C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. V Third Session, 2014/1936 (Saka)
No. 10, Friday, December 05, 2014/Agrahayana 14, 1936 (Saka)

SUBJECT	PAGES
STATEMENT BY THE PRIME MINISTER	
Reported use of objectionable lanugage by a Union Minister	2-3
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 181 to 189	5-60
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 190 to 200	61-104
Unstarred Question Nos. 2071 to 2300	105-581

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 582-595

LEAVE OF ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE 596

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 72nd Report of the Standing Committee on Finance on Action Taken by the Government on the 32nd Report of the Committee on Appraisal of BPL criteria, pertaining to the Ministry of Planning

Rao Inderjit Singh 597

BUSINESS OF THE HOUSE 598-603

ELECTIONS TO COMMITTEES 604-607

(i) Governing Council of North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science 604

(ii) Tuberculosis Association of India 605

(iii) Rubber Board 606

(iv) Rajghat Samadhi Committee 607

DISCUSSION UNDER RULE 193 630-653

Natural calamities in various parts of the country

Shrimati Bijoya Chakravarty 630-632

Shri Bhartruhari Mahtab 633-639

Shrimati Rama Devi 640-642

Shri Vinayak Bhaurao Raut 643-645

Shri Hukmdeo Narayan Yadav 646-647

Shri Hukum Singh 648-649

Shri Jagdambika Pal 650-652

Shri Keshav Prasad Maurya 653

MOTION RE: SECOND REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS 654

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION 655-709

Implementation of the recommendations of the National Commission on Farmers

Shri Bhartruhari Mahtab 655-662

Shri Prahlad Singh Patel 663-667

Shri Prem Singh Chandumajra 668-670

Dr. Satya Pal Singh 671-673

Shri Bhagwant Mann 674-676

Shri Hukumdeo Narayan Yadav 677-680

Shri Rattan Lal Kataria 681-683

Shri Hukum Singh 684-686

Shri Nishikant Dubey 687-691

Shri Faggan Singh Kulaste 692-693

Shri P.P. Chaudhary 694-696

Shri Jagdambika Pal 697-700

Shri Nagendra Kumar Pradhan 701-703

Shri Virendra Singh 704-708

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 710

Member-wise Index to Unstarred Questions 711-715

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 716

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 717

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Prof. K.V. Thomas

Shri Anandrao Adsul

Shri Prahlad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, December 05, 2014/Agrahayana 14, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

HON. SPEAKER: Question Hour. Q. No. 181, Shri M. B. Rajesh.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, the other day, when the hon. Prime Minister made a statement in the Rajya Sabha responding to the issue that was being discussed, there was a suggestion and also a demand from the Lok Sabha that the Prime Minister should make such a statement in the Lok Sabha also.

The hon. Prime Minister is present here in the House. I would seek your permission to permit the Prime Minister to make a statement on this issue.

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। They were demanding it yesterday.

11.01 hrs.

STATEMENT BY THE PRIME MINISTER
Reported use of objectionable lanugage by a Union Minister

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, पिछले कुछ समय से राज्य सभा में सदन नहीं चल पा रहा है। मैं लोक सभा के सभी सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने इस इश्यू की सेंसिटिविटी होने के बावजूद भी सदन को चलने दिया है। इस विवादित बयान के सम्बन्ध में संसद में मसला उठने से पहले जब मेरी पार्टी के सांसदों की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने बड़ी कठोरता के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग और ऐसी भाषा का प्रयोग न करने की हिदायत भी दी थी और अपनी नाराज़गी भी प्रकट की थी। कोई भी ऐसी चीजों को अप्रूव नहीं कर सकता है। बाद में मंत्री श्री ने माफी मांगी है। मंत्री श्री नयी हैं, उनके सामाजिक बैकग्राउंड को हम जानते हैं, वे गांव से हैं और उन्होंने क्षमा मांगी है। इस सदन में वरिष्ठ जनों का कर्त्तव्य होता है कि इतने बड़े सदन के सामने हमारा एक साथी जब क्षमा मांगता है तो हमें भी उदारता बरतनी चाहिए। मैं लोक सभा के सभी सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने सदन चलने दिया है। मैं इस बात पर, पूरे सदन का भी और हम सबका भी, सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, उनका यह दायित्व मानता हूँ कि मर्यादाओं को हम सबको स्वीकार करना चाहिए और उन मर्यादाओं के अंदर रहते हुए ही, चाहे वह सदन के अंदर हो या बाहर, हमें बातें बोलनी चाहिए। उसमें कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता है। मैं मानता हूँ कि जब मंत्री श्री ने क्षमा मांगी है और वे एक नयी मंत्री हैं तो सभी वरिष्ठ नेताओं को भी और अपने-अपने दल

के जो लोग वहाँ बैठे हैं, उनको भी अनुरोध करना चाहिए और इस विषय को समाप्त करके देश हित में काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब इसके बाद क्या हुआ? खड़गे जी, एक तो कोई नोटिस नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, कल भी आपके लोग बार-बार यह मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जवाब दें, ऐसी आपकी घोषणाएं थीं। आज प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कह दिया है। मुझे लगता है अब इस विषय को छोड़ देना चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी को भी मालूम हो जाए कि किस संदर्भ में यह कदम उठाया गया है और क्यों इस सदन में ऐसी घटना हुई है। उनके नोटिस में भी लाना जरुरी है क्योंकि वे सदन के नेता हैं। हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हैं, या किसी व्यक्ति का बैकग्राउंड देखकर एजीटेशन या माहौल तैयार नहीं कर रहे हैं। हमारा यह कहना है कि मंत्री लोग, जो बाहर स्टेटमेंट एक नहीं, दो नहीं और आपके पक्ष के अनेक नेता भी ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। सारे देश में एक ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है जिससे समाज की एकता टूटने का खतरा है। इसीलिए क्या एक्शन वह लेना चाहते हैं और उन्हें किस ढंग से डायरेक्शन देकर सुधारना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी के नेता ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, अब आपकी बात पूरी हो गयी हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, अब उन्होंने कह दिया है, अब इसके बाद बात समाप्त हो जानी चाहिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, I am sorry.

… (*Interruptions*)

11.06 hrs

At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.

… (*Interruptions*)

11.07 hrs.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q.No. 181, Shri M.B. Rajesh. Do you not want to ask the question?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : टेबल कीजिएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.वेणुगोपाल जी। आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहेंगे।

(Q.181)

DR. P. VENUGOPAL : Madam, the main aim of Independent Evaluation Office was to evaluate the smooth functioning of central social sector schemes. Instead of going into that, the IEO is keen on replacing the Planning Commission in the name of reformation. In a democratic set up, social welfare schemes are to be evolved by the political sections of the society. I would like to know whether this Government will ignore the need to evolve people-centric social sector schemes which have been carried out by our beloved leader, Amma by upholding the century old tradition of Dravidian movement. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप यहां से न जाए। When anybody is speaking, उनके सामने से नहीं जाया जाता, इतना तो नियम याद रखें। If you want to go, you can go. But this is no discipline.

… (*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL : I would like to know whether social sector schemes will get importance and more funds will be allocated with renewed vigour and with effective monitoring mechanism. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except what the hon. Minister speaks.

(Interruptions) …[*]

---

[*] Not recorded.

RAO INDERJIT SINGH: Madam, the Independent Evaluation Office was conceived of in 2010. It was conceived of as an attached office of the Planning Commission. The notification for the Independent Evaluation Office took place in 2011. In 2013, the first Director-General of the Independent Evaluation Office took charge. Thereafter, he held office for a span of about a year. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing is going on record. I have already said that only the Minister's statement will go on record. Whatever Minister is speaking and whatever I have allowed, that will only go on record.

(Interruptions) … *

RAO INDERJIT SINGH: Shall I continue?

HON. SPEAKER: Yes.

RAO INDERJIT SINGH: The Director-General of the Independent Evaluation Office held office for about a year. Currently, the Director-General's chair is vacant. The Prime Minister on the 15th of August this year announced that the Planning Commission itself will have to be revamped and a new institution will take the place. The present Planning Commission was constituted vide Government of India Resolution dated March 15, 1950. The Government has decided to replace this resolution with a new resolution. But while the new decision has to take place, the old decision is currently in place. The decision to revamp the Planning Commission to a new institution took place because the so-called social sector schemes that the hon. Member has asked for, have not been implemented over the last 64 years in the manner desirable by the country. Therefore, one is at the cusp between the old institution and the new institution. I can only assure the hon. Member that the Government is fully committed today to ensure that the social sector schemes are implemented in the best way possible that the benefits of governance reach the lowest common denominator and everybody in the new dispensation hopefully will be addressed.

* Not recorded.

(Q. 182)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती : अध्यक्ष जी, जैसा कि हम जानते हैं कि मिग-21 लड़ाकू विमान जो कि भारतीय वायु सेना की रीढ़ होता था, इस लड़ाकू विमान को चरणबद्ध तरीके से फेज़ आउट कर दिए जाने से वायु सेना को लड़ाकू विमानों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके मद्देनज़र वायु सेना फ्रांस से राफ़ेल लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रही है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदने के विषय में अभी तक क्या प्रगति हुई है एवं लड़ाकू विमानों की खरीद में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या क़दम उठाए जा रहे हैं?

श्री मनोहर पर्रिकर : महोदया, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बेट एयरक्राफ्ट राफ़ेल का आर.एफ.पी. हम लोगों ने इश्यू किया था, उसके बारे में नेगोशिएशन्स चालू है और जब तक नेगोशिएशन्स खत्म नहीं होती हैं, तब तक उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा माननीय सदस्य की चिंता मिग रिप्लेसमेंट को लेकर है। उसके लिए तेजस का इनिशियल ऑपरेशनल क्लीयरेन्स हो गया है और तेजस के बीस और बीस, चालीस एयरक्राफ्ट एयर फोर्स में शामिल होंगे। एसयू-30 का भी प्रोडक्शन एचएएल से चालू है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती : महोदया, भारत मिसाइल एवं अंतरिक्ष विज्ञान में विश्व के विकसित एवं अग्रणी देशों की श्रेणी में शामिल है। लेकिन लड़ाकू विमानों के निर्माण में भारत अभी भी अन्य देशों पर ही निर्भर है। मेरा माननीय मंत्री जी से दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि स्टैल्थ प्रोद्योगिकी से सुसज्जित लड़ाकू विमानों का भारत में निर्माण शुरू कराने, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी गति मिलेगी, क्या सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है? यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

श्री मनोहर पर्रिकर : महोदया, एलसीए का निर्माण तेजस के रूप में इस समय किया जा रहा है। 20 इनिशियल ऑपरेशनल क्लीयरेंस और 20 फाइनल ऑपरेशनल क्लीयरेंस से वायु सेना में शामिल किए जाएंगे। लेकिन माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, मैं बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजिकल आई.जी.ए. साइन हुआ है, वह वर्ष 2007 में हुआ है और काफी हद तक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन भी शुरू हो चुका है। प्राइमरी डिज़ाइन फाइनल हो चुका है और आर एंड डी का मामला फाइनल स्टेज पर है। मुझे लगता है कि इसको अगर हम कर पाए तो ज्यादा तेजी से काम कर सकेंगे। इसमें काफी टेक्नोलॉजी इम्पोर्टिड रह सकती है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसे डेवलप करके रिप्लेस करें।

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Madam Speaker, it is a known fact that the condition of the Indian Air Force is absolutely perilous especially in the backdrop of the preparedness of both our neighbours, China and Pakistan.

The Indian Air Force has been reduced to a mere 34 Squadrons. f the two big purchases is the MMRCA as the Minister was talking about. The methodology being used to procure the MMRCA, use of life cycle cost has been strongly and vehemently opposed by the Ministry of Finance itself putting that procurement into major major delays for many years. The other, the Russian joint venture development is currently under a lot of threat because Russians are refusing to pass on critical sensitive technology to the Indian Government for joint development. In this context, Madam, I fear that the Indian Air Force has a long wait before it actually gets any planes and the Tejas will not qualify. So, I am just wondering what this Government or what the Minister has specifically in his mind to address this critical gap of advanced preparedness in the Indian Air Force?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Tejas is physically a replacement of MIG-21 which is being phased out. Mk-II which has a more powerful engine is being taken for upgradation of Tejas Mk-I. I think that will satisfy the phasing out of MIG-21. The production is also going on Sukhoi platform. A lot of Sukhoi aircrafts will be introduced. As far as your LCC concerns are concerned, we are looking into it. At this stage, I would not be able to say anything because the negotiations are on. Let the process get over. We have noted his concerns about LCC also.

SHRI R.K. SINGH : Hon. Speaker Madam, I have two concerns with respect to what is happening in defence procurement. One concern pertains to procurement of MMRCA. I notice that the aircraft which was bid for and the aircraft which was finally selected are of 1980s technology, a technology which is on its way out. We are going to spend huge amount of money on aircrafts equipped with obsolete technology. The aircraft which is proposed to be procured- Rafale, does not compare in any way with Su-30. So why are you going in for it? Also, the cost is

prohibitive. As my colleague pointed out, the concept of life cycle cost has actually made aircraft much more expensive than what it would have been if we had purchased it according to normal financial rules. So, my first question is, why are you going in for an aircraft which is virtually on its last leg? Now I come to second question.

HON. SPEAKER: You can ask only one question.

SHRI R.K. SINGH : The second question actually flows from the first one. It is about the prospective multi-roll fighter, the 5th generation aircraft. We have tied up with the Soviet Union for design and development of this aircraft. But my information is that this aircraft is already flying in the Soviet Union. So what is the design and development all about?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Firstly, I think his concern is about Rafael. As I said very clearly, once the complete negotiations are over, we will definitely take his concerns into account. Rafale is not old generation aircraft; it belongs to 4th + generation. It is quite a new aircraft. In fact, the 5th generation aircraft is only with USA which is F-22 Raptor. The other one they are manufacturing is also out there to be sold but we would not get it obviously because the first production will go to NATO and other countries. So, we have to develop these because there is no 5th generation aircraft available in the market. Of course, the Russian version is already in test flight. Once the R&D part is taken care of, we will get it. What we are getting is almost very close technology to what Russians themselves are manufacturing.

SHRI P.R. SUNDARAM : Hon. Speaker Madam, India had the resource to launch satellite to Mars and proved it. But when it comes to defence products, they usually purchase different products like fighter aircrafts from Russia, though Mig-21 has seen a lot of crashes in recent years in Russia. On purchase of defence products with Russia, as per agreement the delivery of the product was delayed. I would like to know what type of action has been taken for this as per agreement.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I think there is slight confusion between MIG-21 and MIG-29. What is being phased out is MIG-21 which is an old aircraft. MIG-29 is the latest one which we get from Russia, which has quite advanced technology. What we are doing here is a fifth generation stealth capacity aircraft which basically does not leave radar signature immediately. There is a time lag between the radar signature. So, automatically its strike rate improves sufficiently over the normal aircraft.

As regards space technology, we are quite ahead. We are doing successful testing of all the missiles and other technologies. We are also introducing them. There is some constraint obviously because of number and the cost of development.

(Q.183)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : Madam, my question is regarding Pakistan. Pakistan has decided to provide India with Non-Discriminatory Market Access status as opposed to the Most Favoured Nation status with a view to avoid possible political ramifications that may occur over the nomenclature of the Most Favoured Nation status in Pakistan.

In the wake of discontinuation of Foreign Secretary level talks, are we in some way, if any, pursuing this order to secure the NDMA agreement from Pakistan?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam Speaker, the hon. Member was right in saying that the different nomenclature is now being used. However, ultimately it just stands for the Most Favoured Nation Treatment that Pakistan has, unfortunately, failed to give us, although we had given the Most Favoured Nation status to Pakistan even in 1996. Subsequently, of course, use of this nomenclature – Non-Discriminatory Market Access - came to play. However, it only means MFN from our point of view. In this, I would just put it on record that the first attempt to get the MFN status back again in return to the status that we have offered to Pakistan was taken up even in September 2012 when the Commerce Secretaries of both the countries met. Subsequently, when the fifth SAARC Business Leaders Conclave was held in January, 2014, the Commerce Ministers of both the countries met and did commit and reiterate the commitment of both the Governments to get back to the schedule which was agreed for giving MFN status to India. Unfortunately, we have not progressed on it. It is hoped after the meeting on 27th May by the Prime Ministers of both the countries that we would go back to trade normalization route. We are hoping that there must be something happening on this.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : Madam, what steps are being taken by the Government on our side to improve trade facilitation in order to compliment the trade liberalization between the two nations?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: At this stage, there are no specific talks which are being held. As I said, after the 27th May, post the swearing-in ceremony when the Prime Minister had invited Pakistan and the Prime Ministers of SAARC countries Prime Ministers to attend, it was stated that there could be a move immediately towards full trade normalization on the basis of the September 2012 blueprint. We hoped that would have continued but at the moment, there is nothing specifically happening on this.

श्री राधेश्याम बिश्वास : मैडम, हमारा प्रश्न वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है। अगर आप परमिट करें तो हम पूछना चाहेंगे।

माननीय अध्यक्ष : अगर आप इस प्रश्न से संबंधित पूछना चाहते हैं तभी पूछ सकते हैं, मंत्रालय से संबंधित नहीं पूछ सकते हैं।

(Q. 184)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : माननीय अध्यक्ष महोदया, कई वर्षों से केंद्र सरकार देश में गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के लिए योजना घोषित करती है। इस योजना में करोड़ों रूपये खर्च होते हैं। फिर भी आज देश के कई भागों में कुपोषित बच्चों की संख्या लगभग 40 प्रतिशत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि देश के किन राज्यों में कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है? इस बारे में राज्यवार जानकारी दें और देश में भूख और कुपोषण के कारण हर साल कितने बच्चों और गर्भवती महिलाओं की मृत्यु होती है?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Madam, the hon. Member has asked me which are the worst States regarding malnutrition. There are 200 districts, it is not so much States, which are worst affected. The overall worst States would be – Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand. These are the 10 States which have the largest incidence of malnutrition both in mothers and in children.

Regarding death figures, it is not possible for me to give death figures because these are not recorded for malnutrition data.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : महोदया, एक समय देश में पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा देश, आज पोलियो मुक्त हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि हमारा देश कुपोषण से कब मुक्त होगा? क्या सरकार इस बारे में कोई समिति गठित कर रही है? सरकार का क्या विचार है?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Madam, the Government has taken this extremely seriously. Malnutrition levels were at 47 per cent. They are coming down but we have put this now into the mission mode and made it the main programme of this Ministry. We are re-training the Anganwadi workers. We spent about Rs.18000 crore every year. Unfortunately, there was a lack of training. The programme was focussed around a belief that they would feed the children and the mother. Now we are concentrating on weighing machines which will give us the real time status. We have two different kinds of programmes and

one is the Sneh Shivir which is based on positive deviance. This means that for 12 days a month, we get best case studies – the children who are not malnourished and their mothers and then train a woman who do have malnourishment. We have started the re-training of Anganwadi workers. We hope to be working with them in a much more defined way with them to deliver results.

In 200 high-burden districts, we have placed second worker whose job is to go door-to-door to pick up malnutrition children. We have made a special card in which each house is identified to find out what is the status of both the mother and the child. These were pilots that were originally taken up in West Bengal and Odisha. The Sneh Shivirs have worked extremely well. So, we are now adopting them for all the 200 burdened districts. Hopefully, as a result of this mission we will be able to show you results within a year.

श्री विनोद कुमार सोनकर : महोदया, पूरा देश कुपोषित माताओं और बच्चों को ले कर चिंतित है। लेकिन इनके लिए काम करने वाली जो आंगनबाड़ी कार्यकत्री हैं, विशेष कर उत्तर प्रदेश में, उनकी सेवा को ले कर, उनके कार्य को ले कर जितना वेतन उनको मिलना चाहिए या सेवा नियमों का पालन होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। मैं केंद्र सरकार से जानना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों की तरह क्या आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नियमितिकरण करने का विचार है?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Madam, there is no proposal to regularize them but they are being re-trained. There is a whole package coming up in which they are re-trained; they are going to be given weighing machines; and they are going to be giving us reports in real time. It is quite true that they get a honorarium from the Ministry of Rs.3000 a month. But under the scheme terms, the State is supposed to add an additionality. Some States give them Rs.2000 more or Rs.3000 more. Some States like Uttar Pradesh unfortunately have only agreed to give them Rs.200 more. We have added now schemes in which they get insurance. This Government has given them insurance. We give help to their children. It is not for us to decide on whether to give them more because we give them a base. The State Government has to decide on how much they will add.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA : Hon. Speaker, Madam, thank you for giving me this opportunity to raise a question. We appreciate the initiative of the Government, on ICDS, in their commitment for women and child welfare. But the hon. Minister replied in a detailed statement about the programme of *Sneh Sivir* for which the Government spent Rs. 123 crore last year. But for the Anganwadi programmes we do not have proper buildings till date and the implementation of the programme also is not proper. I would like to ask the hon. Minister if the Central Government is designing a mechanism wherein it will monitor the implementation of these schemes in coordination with the State Governments because *Sneh Sivir* is a very good policy but at the grassroot level there are certain lacunae. Every Member of Parliament here is a member of the monitoring and vigilance committee but this particular scheme does not find place in the list of items that need to be monitored. Is the Central Government preparing to design a scheme to monitor this programme?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: There are already several layers of monitoring. There is the CDPO, under that comes the supervisor. The Supervisor monitors the Anganwadi. The Anganwadi monitors the village. Now, the Anganwadis in those high burden districts is going to be given a helper. But it is a good suggestion that it should be in the list of things that Members of Parliament can monitor. We will see what we can do about that.

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आज हमारा 123 करोड़ की आबादी का देश है। अगर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की बात करें तो हम 55वें रैंक पर आते हैं। आज भी 30.7 परसेंट बच्चे हमारे देश के अन्दर मॉल न्यूट्रिस्ट हैं। हमने तीन लाख सात हजार स्नेह शिविर लगाये।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उन स्नेह शिविरों से क्या आउटपुट आया? जो मॉल न्यूट्रिशियन लेवल आज भी हमारे देश के अंदर 30.7 परसेंट है, क्या स्नेह शिविरों के बाद वह कम हुआ है या आज भी वह वहीं स्टैंड करता है?

श्रीमती मेनका संजय गांधी : अभी तक जो पॉयलट प्रोजेक्ट था, वह वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में था। स्नेह शिविरों की वजह से Malnutrition did come down. It had a very positive, strong and an

immediate effect. It usually takes just a couple of months to show the effect. This is what did happen which is why we have now adopted this and we are now going to put it in the high burden districts to begin with.

श्रीमती पूनम महाजन : महोदया, मैं इसी विषय पर यह बात कहना चाहती हूँ कि कुपोषण के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा था और कुछ स्टेट्स के उन्होंने नाम लिए। जिस प्रदेश से मैं आती हूँ, वहाँ पर ठाणे से लेकर उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ में अभी भी कुपोषण बहुत ज्यादा है। इस भीषण कुपोषण की वजह यह है कि आई.सी.डी.एस. के मुद्दे उसमें आते हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार ने एक मुद्दा उठाया था कि महिला बचत घर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही इन विषयों को आगे लेकर जाएगा। जब यह खाना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से बनाया जाता है, फिर वह किसी और आर्गनाइजेशन से टाईअप करती है, किसी और बड़ी कम्पनी से टाईअप करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उस खाने की क्वालिटी कन्ट्रोल पर एक मैकेनिज्म नहीं हो पा रहा है। बहुत जगहों पर अच्छा खाना नहीं बन रहा है, क्योंकि, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के पास उतना पैसा नहीं होता है, जिससे अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं पहुँच पा रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहती हूँ कि बच्चों को अच्छा खाना मिल सके, इसके लिए क्वालिटी कन्ट्रोल का क्या मैकेनिज्म हैं?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: The answer to this question will be a complicated one. I wish I could give you a clear answer but the Supreme Court in two separate judgments stated this. In one it said कि यह कान्ट्रेक्टरों को दिया जाए, the second judgement said कि आप एन.जी.ओज. के जरिए दे दें। There is another school of thought which says that कि इन दोनों को छोड़कर के the food should be made within the village by the Anganwadis. Now, we have a problem. The anganwadis do not have community centres in most places. They do not have kitchens; they do not have toilets. So, how do they cook food?

Secondly, yes, some NGOs are good. Sometimes, the NGOs deliver and sometimes, they do not deliver. The contractors also have the same problem. Sometimes they cheat and sometimes, they do not. We are trying to find out a viable mix and match. We have sent out teams all over India to find out as to what is working where.

For instance, it is excellent in Aurangabad, Maharashtra. We are trying to follow what happens in Aurangabad. *Akshaya patra* is doing extremely well in the whole State of Rajasthan and it is an NGO. In some areas, contractors are doing well and others not so. So, we have to decentralise the scheme and also find out a proper mix and match. It really cannot be one thing fits all.

HON. SPEAKER: Q.185, Shri Ram Tahal Choudhary – not present.

(Q. 185)

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष जी, कई कम्पनियों एवं फर्मों द्वारा धोखाधड़ी इक्नोमिक आफेंस के माध्यम से हो रही है और ऐसी कई कम्पनियां देश में हैं। ऐसी कितनी कम्पनियां हैं, उनके क्या नाम हैं तथा उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? आम आदमी को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत एक लाख रुपए लेने के लिए सौ चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहीं बड़े-बड़े कोरपोरेट सैक्टर के लोग बोर्ड के उच्च अधिकारियों से बात करके पैसा प्राप्त कर लेते हैं और बाद में आफेंस करके पैसा नहीं चुकाते हैं। ऐसी कितनी कम्पनियां हैं, जिन्होंने ऐसा किया है, कृपया मंत्री जी उनका ब्यौरा दें?

श्री अरुण जेटली : माननीय सदस्य ने एक जनरल प्रश्न किया है कि आर्थिक विषयों में किस-किस प्रावधान में कितने अपराध हो रहे हैं। इसके बहुत सारे कानून हैं। ये अपराध इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं, एक्साइज़ लॉज़ में होते हैं, मनी लांडरिंग में होते हैं, फेमा में होते हैं, साफेमा में होते हैं, काफीपोज़ा में होते हैं, प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट में हैं और इस प्रकार से बहुत अधिक कानून हैं। इसकी कोई कम्पोजिट लिस्ट केवल कम्पनियों के संबंध में अलग से बनाई जाए, ऐसी कोई लिस्ट उपलब्ध नहीं है। लेकिन जहां-जहां कोई इंडिविजुअल या कोई पार्टनरशिप फर्म हो या कोई कम्पनी हो, जो अपराध करता है, उसके खिलाफ इन अलग-अलग कानूनों के तहत कार्यवाही की जाती है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : महोदय, किंगफिशर एयरलाइंस वर्ष 2012 से बंद है। इसमें हज़ारों कर्मचारी काम करते थे। आज वे बेकार हैं। हमारी स्टैंडिंग कमेटी मुम्बई में गई थी। उस समय स्टेट बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन को मैंने और समिति के सभी सदस्यों ने पूछा था, समिति के तत्कालीन चेयरमैन आदरणीय यशवंत सिन्हा जी ने भी पूछा था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप किसी का नाम मत लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे : महोदय, उस समय वह एयर लाइंस और लोगों को पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारी स्टैंडिंग कमेटी की वजह से वह रुक गया। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी दस हजार करोड़ रुपया उनकी तरफ बकाया है। उनका यूबी ग्रुप से कांट्रेक्ट है। यूबी ग्रुप प्राफिटेबल है। क्या वे उनकी तरफ से पैसा जमा नहीं करेंगे?

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे : महोदय, साउथ अफ्रीका में उनका बहुत बड़ा करोबार है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे आफेंस करने वाली बहुत-सी कम्पनियां हैं। इसमें बताना चाहता हूं कि एस.बी.आई. के 1400 करोड़ रुपए, पी.एन.बी. के 700 करोड़ रुपए, बैंक आफ बड़ौदा के 500 करोड़ रुपए, आई.सी.आई.सी. के 450 करोड़ बकाया हैं। यह तो जनता का पैसा है। उनकी तरफ 10 हजार करोड़ रुपए का बकाया है। आज यह पैसा कैसे वसूल होगा? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इक्नोमिक आफेंस में आर.बी.आई. के रूल के अनुसार कोई कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, इसमें दो अलग-अलग विषय हैं। अगर बैंक से इस इरादे से लोन लिया गया है कि बैंक को चीट करना है तो ऐसे केसेज में उन पर पीनल लॉ के तहत कार्रवाई होती है। ऐसे कई केसेज हैं, जिनमें कार्रवाई हो रही है। कुछ केसेज ऐसे हैं कि लोन लेने के बाद चेक्स बाउंस वगैरह हो जाते हैं। आपने कुछ कंपनियों का जिक्र किया। जिन लोगों को वे फिर पैसा नहीं दे पाते हैं या जिनके चेक्स बाउंस करते हैं, तो वे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में उनके खिलाफ केस डाल देते हैं। कुछ केस केवल इसी प्रकार के हैं।

पिछले दो-तीन वर्षों में जब अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी हुई तो इसकी संख्या बढ़ी है। बैंकों से जो लोग लोन लेते हैं, उसमें दो प्रतिशत तक एनपीएज को एक प्रकार से एक्सेप्टेबल मान लेते हैं। लेकिन पिछले दो-ढाई वर्षों में ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, इनकी संख्या उस दो प्रतिशत से ऊपर होकर छः प्रतिशत को भी क्रॉस कर गयी है। इसका मतलब बैंकों से पैसा लेना और उस पैसे को वापस न लौटाना, इस प्रकार के केसेज की संख्या बढ़ी है। ऐसे सभी केसेज में बैंक इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अगर वह कार्रवाई किसी क्रिमिनल लॉ के तहत संभव होती है तो वह भी कर सकते हैं, लेकिन जो उनके पास सिविल लॉ के अधिकार हैं, उसकी कार्रवाई तो निश्चित रूप से संभव होती है। वे डी.आर.टी. में उनके खिलाफ मुक़दमा डालते हैं, उनसे पैसा वसूल करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरा कानून तब लाया गया था जब पहले एनडीए की सरकार थी। यह सरफाज़ी नाम का कानून है, जिस कानून के तहत आप पन्द्रह दिन या कुछ अवधि का नोटिस देते हैं और उस कंपनी ने अपने जो भी एसेट्स सिक्यूरिटाइजेशन में दिए हुए हैं, उन एसेट्स को उसी वक्त अटैच कर लेते हैं और बैंक उन एसेट्स को अटैच करने के बाद उनकी नीलामी का निर्देश दे देते हैं। उसके लिए बैंक को फिर डी.आर.टी. या कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, वह सिर्फ उन एसेट्स के सेल के माध्यम से उस पैसे की वसूली करता है। ऐसे जितने भी केसेज में बड़े डेटर्स हैं, उसके लिए बैंक के पास ये अधिकार हैं और वे ये सारी प्रक्रिया अपना रहे हैं।

इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक गाइडलाइंस के तहत भी अलग-अलग श्रेणी होती है, जैसे किसी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की भी एक ग्रेडेशन होती है इत्यादि। उसका यह कंसीक्वेंस रहता है कि जिस कंपनी को आप ऐसा डिक्लेयर कर देते हैं, उनके ऊपर फिर बहुत सख्त कार्रवाई हो जाती है। उन्हें फिर किसी दूसरे स्थान से लोन नहीं मिल सकता, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, वे भी डिफॉल्टर्स घोषित हो जाते हैं। अगर वे किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हैं तो उस कंपनी को भी फिर लोन नहीं मिलेगा। इस प्रकार की सख्त कार्रवाई का इन सब कानूनों में प्रावधान है, जिसके तहत, आपने जिन केसेज का उदाहरण दिया, उन केसेज में भी कार्रवाई हो रही है।

श्री कौशल किशोर : महोदया, मैं आपके माध्यम से इनडायरेक्ट आर्थिक अपराध करने वालों के बारे में जानना चाहता हूं। जो वित्तीय फर्म हैं, उनमें कुछ लोग आर्थिक अपराध तो करते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, जैसे यूनिटेक जैसी कंपनियां हैं, जो लोगों से यह कह कर पैसा लेती हैं कि हम आपको मकान देंगे और उन लोगों का पैसा चार-चार, पांच-पांच सालों तक फंसाए रख कर उन पैसों का दूसरी ज़गह यूज करती हैं। यह एक इनडायरेक्ट अपराध है। इसमें सरकार की बदनामी होती है और सरकार के ऊपर भी आक्षेप आता है कि इसकी वज़ह से लोगों का नुकसान हो रहा है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, वैसे मंत्री जी यह कह सकते हैं कि यह उनसे जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, लेकिन चूंकि यह सरकार से जुड़ा हुआ सवाल है और ये प्राइवेट फर्म्स हमारे देश में ही काम कर रहे हैं, तो ऐसी प्राइवेट फर्मों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? उनके खिलाफ आप कौन-सा निर्णय लेंगे?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, इस प्रकार से छोटे निवेशकों से पैसा ले लेना और उन निवेशकों के पैसे का दुरूपयोग करना, उन्हें वापस न देना, या उनको किसी प्रकार का आश्वासन दे देना कि आपको मक़ान मिलेगा या किसी मल्टी लेयरिंग मार्केटिंग स्कीम का आश्वासन दे देना, इसके संबंध में बहुत शिकायतें आती हैं। पिछले सत्र में ही हमने सेबी के कानून को संशोधित किया था, जो लागू हो चुका है। जो भी इस प्रकार की कलेक्टिव सेविंग स्कीम्स हैं, उन्हें हम लोगों ने सेबी के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया है, जिसमें उनके पास ऐसे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रॉसीक्यूशन लॉंच करने के अब ज्यादा अधिकार हो गये हैं। इसके अतिरिक्त, इस दिशा में काम करने वाले चिट फंड्स के सम्बन्ध में कुछ राज्य सरकारों के पास भी अपने कानून हैं और केन्द्र के भी कानून हैं, जिसके तहत वे कार्रवाई करते हैं।

इसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसी योजना आती है कि आपको मकान या फ्लैट दिया जाएगा और उसके लिए लोगों से पैसे ले लेना और उसको न देना, यह केवल फौजदारी कानून के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोई भी चीटेड व्यक्ति अगर इसकी शिकायत करता है तो जो कन्संर्ड पुलिस है, उसके पास पूरा अधिकार है और उस पर कार्रवाई करने के पर्याप्त प्रावधान हैं। इस प्रकार के अपराध करने की वजह से आज भी बहुत से लोग जेलों में हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : महोदया, अभी एन.पी.ए. के विषय में चर्चा हो रही थी। निश्चित रूप से यह देश के लिए चिन्ता का विषय है। यह जानकारी प्राप्त हुई है कि तीन लाख करोड़ से ज्यादा रूपयों का एन.पी.ए. देश में है और वह प्रत्यक्ष रूप से है, अप्रत्यक्ष रूप से है, यह आँकड़ा कई लाख करोड़ का है। वर्तमान में ऐसी स्थिति बनी है कि इस स्थिति को अगर तुरन्त ठीक नहीं किया गया या इस विषय में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाये गए तो भारत सरकार की जो नेशनलाइज बैंकों में हिस्सेदारी है, वह हिस्सेदारी कम हो सकती है, क्या ऐसी कोई स्थिति वित्त मंत्रालय ने नोटिस की है?

श्री अरुण जेटली : यह स्थिति निश्चित रूप से चिन्ता की है, लेकिन इतनी गम्भीर नहीं है, जितनी आपके प्रश्न से प्रतीत हो रही है। आज भी जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनमें कंजरवेटिव और कन्वेंशल बैंकिंग की एक परम्परा रही है। इसी वजह से पूरे विश्व में आज से कुछ साल पहले जब बैंकिंग संकट आया था तो भारत उस प्रकार की बैंकिंग की वजह से उस संकट से भी बचा रहा था।

जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है और जो लोग व्यवसाय करते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है, तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है। इसके साथ-साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर बैंकों का पैसा लेकर उसे डायवर्ट करते हैं। इन सारे कारणों की वजह से पिछले दो-तीन वर्षों में बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी बढ़े हैं। जैसा मैंने उत्तर में आंकड़ा दिया, इसके अलावा स्ट्रेस्ड एसेट्स भी बढ़े हैं, उनकी संख्या भी बढ़ी है। स्ट्रेस्ड एसेट्स वे हैं, जहां कंपनी काम कर रही है, अभी वह घाटे में है, लेकिन उसके लोन को रीस्ट्रक्चर करते हैं, ताकि कंपनी बंद न हो जाए, उसके कर्मचारी रोजगार से बाहर न हो जाएं, तो इसलिए उनको और सुविधा देते हैं, ताकि वह कंपनी दोबारा खड़ी हो सके। इससे कर्मचारियों का रोजगार भी बच जाए, कंपनी अपना प्रोडक्शन भी करती रहे और वह पैसा वापस दे दे। इनकी संख्या बढ़ी है। यह विषय गंभीर और चिंता का है। इसलिए बैंक्स इस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, इस पर कड़ी नजर हम लोग बनाये रखते हैं। मेरी हाल में बैंक्स के सभी चेयरमैंस के साथ इस विषय पर अलग से बैठक हुयी और उनसे बातचीत हुयी। हम लोग

स्थिति को नियंत्रण में लायेंगे और बैंक्स भी इसके लिए काफी डिटरमेंड हैं कि एनपीएज की संख्या कम हो। हम डी.आर.टी की बेंचेज बढ़ा रहे हैं, अपील ट्रिब्युनल्स उसके अंदर बढ़ा रहे हैं, ताकि वसूली की जो कार्रवाई है, उसे भी हम थोड़ा शीघ्र एक्सपीडाइट कर पाएं।

HON. SPEAKER: Q. 186 – Shri Vincent H. Pala – not present.

Prof. Saugata Roy – not present.

दोनों माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है। मिस्टर मिनिस्टर आप रिप्लाई टेबल पर ले कर दीजिए। इस विषय पर वैसे भी पहले पूरक प्रश्न हो चुके हैं।

…(व्यवधान)

(Q. 186)

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : महोदया, इस पर सवाल तो नहीं आया। प्लानिंग कमीशन के विषय में यह प्रश्न है। बहुत विस्तार से कंसल्टेशन का प्रयास किया गया है। जिनकी स्वयं रूचि है, जिनके पास ज्ञान है और जिनके पास अनुभव है, उन सब को जोड़कर आने वाले पांच-दस वर्ष तक कैसे इंस्टीटय़ूट काम करे, इस पर विचार-विमर्श चला है। 7 तारीख को मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। उनके साथ भी विस्तार से विचार-विमर्श करेंगे। प्लानिंग कमीशन में पहले भी अन्दर यह काफी चर्चा रही है कि इसमें समयानुकूल परिवर्तन कैसे लाया जाया, उन्हीं चीजों को आगे लेकर एक नये स्वरूप की दिशा में प्रयास चल रहा है।

(Q. 187)

श्री लक्ष्मण गिलुवा : अध्यक्ष महोदया, सरकार का उत्तर मिल गया है। रक्त दान महादान है, इस संबंध में, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा के लिए विशेष रूप से निजी क्षेत्र के रक्त बैंकों के कार्यकलाप को विनियमित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है या आने वाले दिनों में उसके लिए क्या योजना है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, यह ब्लड बैंक से संबंधित प्रश्न है। देश में कुल 2635 स्टेट और यूनियन टैरिटोरिवाइज ब्लड बैंक्स हैं। इन ब्लड बैंक्स को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटिज के कोऑर्डिनेशन से लाइसेन्स दिए जाते है, इसलिए लाइसेन्स देने का अधिकार ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को है। वह सारे पैरामीटर्स को देख कर लाइसेन्स देते हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और एड्स कंट्रोल सोसयाटिज स्थान-स्थान पर और समय-समय पर सरप्राइज इन्सपैक्शन करती हैं और वे इन्सपैक्शन के साथ-साथ यह देखती हैं कि क्वालिटी ब्लड और सेफ ब्लड दिया जा रहा है या नहीं और साधारण व्यक्ति को ऐक्सेस टू ब्लड है या नहीं है। इस तरीके का यह कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को एनकरेज करने के लिए हम वालन्टरी ब्लड डोनेशन को एनकरेज करते हैं और उसके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चलाते हैं। हमने नेशनल ब्लड ट्रासफ्रयूजन सर्विसेज को कोऑर्डिनेशन स्टीयरिंग कमेटी के रूप में परिवर्तित किया है। यह कमेटी हर तीन महीने में मिलती है और अपने इन्सपेक्शन की रिपोर्ट की चर्चा करती है। इसको कैसे अधिक अच्छा बनाया जा सके इसके लिए हम प्रयासरत है।

मैं एक बात आपके माध्यम से इस हाउस में शेयर करना चाहता हूं कि ब्लड ऐक्सस के मामले में, डब्ल्यू.एच.ओ. ने दुनिया के 51 देशों को हाई लेवल पॉलिसी मेकर्स में शामिल किया है उसमें भारत भी आता है, - for achieving self sufficiency and safe blood, blood products based on voluntary non-remunerative donations. यानी हम डब्ल्यू.एच.ओ के वर्ल्ड स्टैन्डर्ड के तहत उन 51 देशों में आते हैं जो सेफ ब्लड, ऐक्सेस टू ब्लड और क्वालिटी ब्लड देने में सफल रहा है। ये हमारे प्रयास हैं। हम जो इन्सपेक्शन करते हैं, हम ने उसकी भी डिटेल्स रिपोर्ट दी है जिसमें हमने बताया है कि हम किस तरीके से समय-समय पर इन्सपेक्शन करते हैं। पिछले तीन सालों में हमने जो ऐक्शन लिए हैं, उनकी भी जानकारी उन्हें दी है। यदि उनके पास कोई स्पेसिफिक केस होगा तो हम उसको भी देखेंगे।

डॉ. मनोज राजोरिया : अध्यक्ष महोदया, ब्लड बैंक्स दुर्घटना के समय या आवश्यकता के समय मरीज की जान बचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। यह सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन यह बहुत दुःख की बात है कि कुछ ब्लड बैंक्स ने इसे सेवा की बजाय व्यवसाय बना रखा है। जो ब्लड बैंक्स सही कार्य नहीं कर रहे हैं उनकी इरेगुलरिटिज को रोकने के लिए मंत्री जी ने कुछ योजनाओं की जानकारी दी है। मैंने उन्हें पढ़ा है। योजना जितनी बड़ी होनी चाहिए उतनी बड़ी नहीं है, उसमें सिर्फ एनुअल इन्सपेक्शन और सरप्राइज विजिट की बात की गई है। आज इस आधुनिक आई.टी के युग में, जब मरीज परेशान होते हैं तो उन्हें ब्लड के लिए दर-दर भटकना पड़ता है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि 'ओ' पॉजिटिव ब्लड या 'ए.बी.' पॉजिटिव ब्लड उपलब्ध है या नहीं? आज के इस आधुनिक युग में क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कोई ऐसी योजना है जिससे कि सभी ब्लड बैंक्स में कितना ब्लड किस ग्रुप का अवेलबल है, जब कभी मरीज या अस्पताल को ब्लड की आवश्यकता हो तो नेट पर उसे देख सके और उस ब्लड बैंक के द्वारा मरीज को या उनके परिजन को ब्लड तुरंत उपलब्ध हो जाये।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि देश भर के सभी ब्लड बैंकों को आई.टी. के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ा जाये ताकि इनका लाभ मरीजों को मिले ?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदया, सुझाव अच्छा है, विभाग इस पर विचार करेगा और हम डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहे हैं इस दृष्टि से आम व्यक्ति को लाभ होने वाला है, इस पर विचार करेंगे।

DR.K. KAMARAJ : Hon. Speaker, through you, I would like to ask the Minister that in India only 2,635 Blood Banks are there. Out of this, most of the Blood Banks are private Blood Banks. We have only 1,024 Blood Banks. We have around 576 tehsils; most of the Blood Banks are owned by private sector. Indian Medical Association run some Blood Banks. Is Government planning to start Blood Banks wherever the Indian Medical Association has a presence? Is there any plan to start Blood Bank in each taluk?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: No. We are expanding our infrastructure, which is an on-going and continuous process. As far as coordination with IMA is concerned, no specific proposal has come. If we receive any proposal, the Government would think over it.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : महोदया, रक्तदान एक बड़ी प्रवृत्ति है, क्योंकि रक्त बन नहीं सकता है, वह किसी को देना ही पड़ता है। मैं रक्तदान की प्रवृत्ति के बारे में प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं गुजरात से आता हूं, अहमदाबाद मेरा संसदीय क्षेत्र है। गुजरात में रक्तदान की प्रणाली ऐसी है कि वहां सबसे ज्यादा लोग रक्तदान करते हैं। अहमदाबाद में 100 बार रक्तदान करने वालों की संख्या अनगिनत है। मैं मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि रक्तदान में लोक भागीदारी और उसे जन-आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है? जो रक्तदाता है, उनका सम्मान करके इस प्रवृत्ति को और आगे ले जाने के लिए लोक भागीदारी के साथ कोई योजना बनाई है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदया, लोगों की भागीदारी के लिए विभाग द्वारा कार्यक्रम चलते हैं, अवेरनेस के प्रोग्राम चलते हैं, जो लोग ब्लड डोनेशन में वोलेंटरली आगे आते हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। इस दृष्टि से अवरनेस के प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन गुजरात अनुकरणीय है। इसलिए वहां की अवरनेस लेवल बहुत हाई है। वहां पर बहुत बड़ी संख्या ब्लड डोनर की है। वहां ब्लड बैंक के साथ-साथ, ब्लड डायरेक्टरी का भी बहुत उपयोग किया जाता है। निश्चित रूप से हम उसको अनुकरण करने का प्रयास करेंगे।

(Q. 188)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न - 188

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले - उपस्थित नहीं।
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत - उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी आप अपना उत्तर दें

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE):(a) to (c) A statement is laid on the table of the House.

माननीय अध्यक्ष ; इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न - 189

श्री एम. मुरली मोहन - उपस्थित नहीं।
श्री सुनील कुमार मण्डल - उपस्थित नहीं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

(Q. 189)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हिन्दुस्तान में जो प्राइवेट निजी मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें जो बच्चे एडमीशन कराने जाते हैं, उनसे मनमर्जी पैसा लिया जता है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख और 50 लाख रुपये। अगर कोई पी.जी. करने जाता है तो करोड़ में उनसे रुपये लिए जाते हैं। इस तरह का रोजगार पढ़ाई में चल रहा है। पढ़ाई में इतना पैसे खर्च करने के बाद वह डॉक्टर गांव में जाना नहीं चाहता, गांव के अस्पताल में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि ये सभी बड़े बाप के बच्चे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि निजी मेडिकल कॉलेजों में इस तरह की लूट न हो, इस पर कोई नियंत्रण हो। सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया जाए कि पैसे के बल पर डिग्री न बिके, साधारण बच्चे भी मेडिकल की डिग्री ले सकें।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और विभाग इस बारे में सजग है। हमारे अपने मौनीटरिंग प्रौसैस चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ और करने की आवश्यकता है। सदस्य महोदय के सेंटीमेंट्स को हम ध्यान में रखेंगे।

<u>12.00 hrs.</u>

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR): Madam, I beg to lay on the Table

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Defence Institute of Advanced Technology, Pune, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Defence Institute of Advanced Technology, Pune, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 967/16/14]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam I beg to lay on the Table a copy of the Cigarette and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.727(E) in Gazette of India dated 15th October, 2014 under sub-section (3) of Section 31 of the Cigarette and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply & Distribution) Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 968/16/14]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT SINGH): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Mazagon Dock Limited, Mumbai, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Mazagon Dock Limited, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 969/16/14]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 970/16/14]

(c) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 971/16/14]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 972/16/14]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 973/16/14]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pahalgam, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pahalgam, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 974/16/14]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Mountaineering and Allied Sports, Dirang, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Mountaineering and Allied Sports, Dirang, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 975/16/14]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Construction Industry Development Council, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Construction Industry Development Council, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 976/16/14]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 977/16/14]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Chennai Environmental Management Company of Tanners, Chennai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chennai Environmental Management Company of Tanners, Chennai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 978/16/14]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Manufacturing Technology Institute, Bangalore, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Manufacturing Technology Institute, Bangalore, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 979/16/14]

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 980/16/14]

(b) (i) Review by the Government of the working of the State Trading Corporation Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the State Trading Corporation Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 981/16/14]

(5) A copy of the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 622(E) in Gazette of India dated 28th August, 2014 under sub-section (8) of Section 18 of the Explosives Act, 1884.

[Placed in Library, See No. LT 982/16/14]

(6) A copy of Notification No. S.O. 2619(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 14th October, 2014, making certain amendments in Notification No. S.O. 1105(E) dated 11th October, 2004 issued under Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[Placed in Library, See No. LT 983/16/14]

(7) A copy of the Trade Marks (Amendment) Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 555(E) in Gazette of India dated 1st August, 2014 under sub-section (4) of Section 157 of the Trade Marks Act, 1999.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 984/16/14]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Basic Chemicals Pharmaceuticals Cosmetics Export Promotion Council (CHEMEXCIL), Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Basic Chemicals Pharmaceuticals Cosmetics Export Promotion Council (CHEMEXCIL), Mumbai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 985/16/14]

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Shellac and Forest Products Export Promotion Council (formerly Shellac Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Shellac and Forest Products Export Promotion Council (formerly Shellac Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Shellac and Forest Products Export Promotion Council (formerly Shellac Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 986/16/14]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Plastics Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Plastics Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 987/16/14]

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export Promotion Council for EOUs & SEZs, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Promotion Council for EOUs & SEZs, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 988/16/14]

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, on behalf of Shri Jayant Sinha, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 989/16/14]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Policy Research, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Policy Research, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 990/16/14]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Social and Economic Change, Bangalore, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Social and Economic Change, Bangalore, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 991/16/14]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development Economics (Delhi School of Economics-University of Delhi), Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development Economics (Delhi School of Economics-University of Delhi), Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 992/16/14]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 993/16/14]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Madras School of Economics, Chennai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Madras School of Economics, Chennai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 994/16/14]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pratichi (India) Trust, Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pratichi (India) Trust, Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 995/16/14]

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export-Import Bank of India, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export-Import Bank of India, Mumbai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 996/16/14]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the IDBI Bank, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the IDBI Bank, Mumbai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 997/16/14]

(10) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders), Kolkata, for the period from 1.4.2014 to 3.6.2014.

(ii) Liquidator's Report on the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders), Kolkata, for the period from 1.4.2014 to 3.6.2014, alongwith Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT 998/16/14]

(b) (i) Review by the Government of the working of the United India Insurance Company Limited, Chennai, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the United India Insurance Company Limited, Chennai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 999/16/14]

(c) (i) Review by the Government of the working of the New India Assurance Company Limited, Mumbai, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the New India Assurance Company Limited, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1000/16/14]

(d) (i) Review by the Government of the working of the National Insurance Company Limited, Kolkata, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the National Insurance Company Limited, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1001/16/14]

(e) (i) Review by the Government of the working of the Oriental Insurance Company Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Oriental Insurance Company Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1002/16/14]

(f) (i) Review by the Government of the working of the General Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the General Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1003/16/14]

(11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961:-

(i) The Income-tax (7th Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. S.O.1902(E) in Gazette of India dated 25th July, 2014, together with an explanatory memorandum.

(ii) The Income-tax (8th Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. S.O.2399(E) in Gazette of India dated 16th September, 2014, together with an explanatory memorandum.

(iii) The Income-tax (9th Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. S.O.2487(E) in Gazette of India dated 24th September, 2014, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 1004/16/14]

(12) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

(i) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/06/1372 in Gazette of India dated 25th August, 2014.

(ii) The Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/07/1414 in Gazette of India dated 1st September, 2014.

(iii) The Securities and Exchange Board of India (Stock Broekers and Sub-Brokers)(Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/15/1671 in Gazette of India dated 8th October, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 1005/16/14]

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Small Industries Development Bank of India, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Small Industries Development Bank of India, Mumbai, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1006/16/14]

(14) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-Section (3) of Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873:-

(i) The Post Office Savings Bank General (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.219(E) in Gazette of India dated 28th March, 2014.

(ii) The Post Office Savings Accounts (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.220(E) in Gazette of India dated 28th March, 2014.

(iii) The Post Office Recurring Deposit (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.221(E) in Gazette of India dated 28th March, 2014.

(iv) The Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.222(E) in Gazette of India dated 28th March, 2014.

(v) The Post Office Monthly Income Account (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.223(E) in Gazette of India dated 28th March, 2014.

(vi) The Senior Citizen Savings Scheme (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.224(E) in Gazette of India dated 28th March, 2014.

(vii) The National Savings Certificates (VIII Issue) (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.226(E) in Gazette of India dated 28th March, 2014.

(viii) The National Savings Certificates (IX Issue) (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.227(E) in Gazette of India dated 28th March, 2014.

(ix) The Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.490(E) in Gazette of India dated 11th July, 2014.

(x) The Post Office Recurring Deposit (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.491(E) in Gazette of India dated 11th July, 2014.

(xi) The Senior Citizen Savings Scheme (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.492(E) in Gazette of India dated 11th July, 2014.

(xii) The Post Office (Monthly Income Account) (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.493(E) in Gazette of India dated 11th July, 2014.

(xiii) The National Savings Certificates (VIII Issue) (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.494(E) in Gazette of India dated 11th July, 2014.

(xiv) The National Savings Certificates (IX Issue) (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.495(E) in Gazette of India dated 11th July, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 1007/16/14]

(15) A copy of the Kisan Vikas Patra Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 705(E) in Gazette of India dated 1st October, 2014, under sub-section (3) of Section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959.

[Placed in Library, See No. LT 1008/16/14]

(16) A copy of the Public Provident Fund Scheme (Amendment) Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.225(E) in Gazette of India dated 28th March, 2014 under section 12 of the Public Provident Fund Act, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 1009/16/14]

(17) A copy of the Notification No. G.S.R.496(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 11th July, 2014, notifying that the subscriptions made to the Fund on or after the 1st day of April, 2014 and the balances at the credit of the subscriber shall bear interest at the rate of 8.7 per cent second provisio, shall be inserted issued under section 5 of the Public Provident Fund Act, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 1010/16/14]

(18) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working and activities of the State Bank of Hyderabad for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts under sub-section (4) of Section 40 of the State Bank of India Act, 1955 as amended by Banking Laws (Amendment) Act, 1985 and sub-section (3) of Section 43 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1989 as amended by Banking Laws (Amendment) Act, 1985.

[Placed in Library, See No. LT 1011/16/14]

(19) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Insurance Regulatory and Development Authority, Hyderabad, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1012/16/14]

(20) A copy of Notification No. S.O.2806 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 1st November, 2014, regarding extension of term of Fourteenth Finance Commission upto 31st December, 2014 under Article 280 of the Constitution read with Sections 6 & 8 of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951.

[Placed in Library, See No. LT 1013/16/14]

(21) A copy of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and whole-time Members) Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 597(E) in Gazette of India dated 20th August, 2014 under Section 53 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 1014/16/14]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 1015/16/14]

(2) A copy of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), Akashvani, News Reader-cum-Translator (Grade I), (Grade II) and (Grade III) Recruitment Regulations, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. N-10/16/2013-PPC in Gazette of India dated 8th September, 2014 under Section 34 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990.

[Placed in Library, See No. LT 1016/16/14]

12.02 hrs

LEAVE OF ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

HON. SPEAKER: The Committee on Absence of Members from the Sittings of the House in their First Report presented to the House on 4th December, 2014 have recommended that leave of absence from the sittings of the House be granted to the following members for the periods mentioned against each:

1.	Shrimati Hema Malini	07.07.2014 to 31.07.2014
2.	Shri Deepak Gurupada Adhikari	07.07.2014 to 21.07.2014
3.	Shri Gutha Sukender Reddy	16.07.2014 to 08.08.2014
4.	Late Shri Kapil Krishna Thakur	30.07.2014 to 14.08.2014
5.	Shri Tapas Paul	07.07.2014 to 14.08.2014
6.	Shri Sanwar Lal Jat	09.07.2014 to 14.08.2014
7.	Shrimati Mausam Noor	24.11.2014 to 23.12.2014
8.	Shri M.I. Shanavas	24.11.2014 to 23.12.2014

Is it the pleasure of the House that leave as recommended by the Committee be granted?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. SPEAKER: Leave is granted. The members will be informed accordingly.

12.03 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 72nd Report of the Standing Committee on Finance on Action Taken by the Government on the 32nd Report of the Committee on Appraisal of BPL criteria, pertaining to the Ministry of Planning*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT SINGH): Madam Speaker, I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of recommendations contained in the Seventy Second Report of the Standing Committee on Finance (15th Lok Sabha) on the subject "Action Taken by the Government on the recommendations contained in Thirty Second Report (15th Lok Sabha) on Appraisal of BPL Criteria" in pursuance of Direction 73-A of the hon. Speaker, Lok Sabha *vide* Lok Sabha Bulletin Part II dated 1st September, 2004.

The Seventy Second Report of the Standing Committee on Finance (15th Lok Sabha) was presented to the Lok Sabha on 7th August, 2013. The Seventy Second Report relates to appraisal of BPL Criteria. In the Report, the Committee deliberated on various issues and made 5 recommendations, where action is called for on the part of the Government. These recommendations mainly pertain to issues relating to BPL Identification Criteria and Streamlining and restructuring/re-organisation of Centrally Sponsored Schemes.

---

* Placed in Library, See No. LT 1017/16/14

Action Taken Statements on the recommendations/observations contained in the Report had been sent to the Standing Committee on Finance on 6th November, 2013. Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in the Seventy Second Report is indicated in Annexure.

I would not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the Annexure. I would request that this may be taken as read.

12.04 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam Speaker, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 8th December, 2014 will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Consideration and passing of the Payment and Settlement Systems (Amendment) Bill, 2014.
3. Consideration and passing of the Appropriation Acts (Repeal) Bill, 2014.
4. Discussing and Voting on Supplementary Demands for Grants (General) for 2014-15.
5. Introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill.
6. Consideration and passing of the Anti Hijacking (Amendment) Bill, 2010, after it is passed by Rajya Sabha.
7. Introduction, Consideration and passing of the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2014 to replace an Ordinance.

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : अध्यक्ष महोदया, मेरा आग्रह है कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित समस्याओं को जोड़ने की कृपा करें।

1. विदर्भ में कपास एवं सोयाबीन उत्पादक किसानों को भारी नुकसान होने से उत्पन्न स्थिति के समाधान की आवश्यकता है।
2. वर्धा में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हुए कार्य में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है। उसकी जांच कराने एवं भ्रष्टाचार समाप्ति हेतु कड़े कानून की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष : आपके दो विषय ही हैं।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्नलिखित दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ लिया जाएः

1. देश के विभिन्न भागों में नक्सली घटनाओं में सामान्य नागरिक सहित पुलिसकर्मियों की हत्या हो रही है, जिससे भारी जान-माल का नुकसान हो रहा है। नक्सली अपने मकसद में लगातार कामयाब हो रहे हैं। अतः नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार हो रही घटनाओं पर अविलम्ब कार्रवाई कर नक्सली घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता के संबंध में।

2. बिहार राज्य के भागलपुर सहित देश के सभी अविकसित पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण तथा पर्यटन की दृष्टि से आवश्यक सभी आधारभूत संरचनाओं के लिए अतिशीघ्र विकास कार्य करने हेतु धन उपलब्ध कराकर पर्यटन केन्द्र के रूप में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI): Madam, I may kindly be allowed to raise the following issues to be included for discussion in the List of Business for the next week:

1. The issue of supply of food grains to the tea workers of Assam through FCI which has been in practice since 1946 but now the Government is planning to stop it which will affect over 19 lakh tea workers' families in Assam.
2. The long pending demand of the people of Assam for construction of Dhubri-Phulbari bridge over Brahmaputra River which will connect the States of Assam and Meghalaya with the rest of the nation. Presently, people have to travel a long distance by road or through water way between Dhubri and Phulbari putting their lives at risk.

माननीय अध्यक्ष : आपने दो विषय ही दिये थे।

श्री बदरुद्दीन अजमल : मैडम, मैंने तीन विषयों के बारे में बताया था। कृपया, तीसरा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है।

3. Suspension of North-East Industrial and Investment Promotion Policy-2007 by the Union Ministry of Commerce and Industry which will affect the industrial growth of NE region.

माननीय अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा -उपस्थित नहीं।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाएः-

1. गुजरात में ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस जैसी संस्था खोली जाए।
2. अहमदाबाद बडोदरा एक्सप्रैस वे को मुंबई तक बढ़ाया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री रामचरण बोहरा -उपस्थित नहीं।

प्रो. सौगत राय -उपस्थित नहीं।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध करता हूँ

मैं आदरणीय कपड़ा मंत्री का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र अंबाला के उत्तर भारत की प्रसिद्ध कपड़ा मार्केट की ओर दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर दूर-दूर से ग्राहक व छोटे कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ पर वर्ष में लगभग 2500 करोड़ रुपए का कपड़े का व्यापार होता है। परंतु सरकार की ओर से इस क्षेत्र में पिछले कई दशकों से टेक्सआइल गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए न तो कोई ठोस प्रयास किया गया है और न ही कोई बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने " मेक इंन इंडिया " का नारा दिया है, यदि सरकार यहाँ पर कपड़े के उत्पादन व टेडिंग के लिए कलस्टर सिस्टम लागू कर दें तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ व पंजाब जैसे राज्यों का गेटवे ऑफ हरियाणा माना जाना वाला यह अंबाला शहर भारत के कपड़ा व्यापार में निर्णायक भूमिका निभा सकता है तथा रोजगार के नये-नये अवसर पैदा कर सकता है। हरियाणा में कपास की खेती भी खूब होती है। डिवीजन लेवल के सभी रेलवे नेटवर्क भी यहां पर उपलब्ध है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अंबाला के कपड़ा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यहां पर कलस्टर सिस्टम लागू किया जाये।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रंजीत रंजन -उपस्थित नहीं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव - उपस्थित नहीं।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, on these issues which the hon. Members wanted to add, as far as the Government is concerned, from the day one, I have been maintaining that we have no problem. But one thing to be considered is the time of the House. We have also decided under your Chairmanship in the BAC that every week we will be taking two important issues. About the priority, the request of the Members, if the Chair decides after finding out the suitability of Ministers, we have no problem. I want to make this very clear.

Secondly, Madam, today I expected that the Congress Party and its friends will be there in the House so that we can take up the Bill. Yesterday we were discussing the Bill and in the middle of it we stopped it thinking that they would be here today and then we could take it up and pass it. Unfortunately, for reasons not known, they have gone out. I hope that they will realise the importance of Parliament and expectations of the people, come back to the House and join the debate.

Madam, on the one side we are asking for raising issues. On the other side, when issues are allowed to be discussed, if you are not in the House you are hurting the interests of the people who have elected all of us. This also has to be kept in mind.

Yesterday, there was also some sort of unfortunate remark on the Chair which is reported in the media today saying that the Speaker seems to be working

under pressure. I want to say humbly one thing. Issues were raised, discussed and then responded to. The Minister came, apologized and then expressed regrets, and the issue was over.

One day we discuss all other issues. On the second day, under whose pressure, under whose instance, my friends from the Congress Party are doing this, I am not able to understand. They have to answer this.

The House do not function under the pressure of anybody. Forget the Speaker. The Speaker is the highest authority in our Parliamentary democracy. We must respect the Chair, not person, Madam, as you are saying. Then, they wanted the Prime Minister to respond. The Prime Minister went to the Rajya Sabha and made a statement. The Prime Minister came here and made a statement. He sat through the entire Question Hour also thinking that there may be some thing. He intervened also in the Question Hour on an important issue like the Planning Commission because there is a lot of anxiety and inquisitiveness among the people to know what is happening to the Planning Commission. On that, he said that he is calling the Chief Ministers' Conference tomorrow. So, that being the case, I hope that our friends from the Congress Party realise it.

I would like to put on record that much bigger remark by bigger people, who have got more experience and who have changed more Parties a number of times, and made blunders and made such statements that are not acceptable in democracy but still they got away with them. One poor woman, for the first time has come to the House and expressed regrets. Madam, I want to read out one line from the respected Alexander Pope, and I quote: "All people commit sins and make mistakes. God forgives them and people are acting in a God-like manner when they forgive." So, they say: "To err is human; to forgive is divine." I say: "To err is human; accepting it is noble; and then forgiving it is divine." They should understand it. That is why, nobody is continuing on Shri Beni Prasad Verma; nobody is continuing on Shri Tapas Pal; nobody is continuing on Shri Mani Shankar Iyer; nobody is continuing on Shri Digvijay Singh ji and a lot of

other people who have all said various things at various times. I am not making any aspersion on anybody and I do not want also.

But please understand one thing. Let the country also know that the Government wants the House to function properly. We are ready to walk an extra mile. The Prime Minister is also willing to join the debate as and when required. I would request some of the Opposition Parties – I do not say 'Opposition' because many of the Opposition friends including our friends from Assam, Tamil Nadu, Telangana, Odhisa, Punjab – of course, they are our partner – and other Parties are all here. They are all joining the debate. We had a healthy debate. We were able to transact many of the Questions today. That should be an ideal situation.

So, I would, once again, renew my request to the Congress Party and his friends: "Please come back to the House and join the discussion. Let us enhance the prestige of this House and meet the expectations of the people." That is my request from the Government side. I hope that they realise it because this sort of attitude is not going to help anybody. On the other hand, it will boomerang if you obstruct. If you obstruct, it will boomerang on the people who do it; I do not say one Party, whoever does it. So, please try to understand. People are the ultimate judges. They will decide what to do and what not to do.

Thank you.

<u>12.14 hrs</u>

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) Governing Council of North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences

HON. SPEAKER: Now, we shall take up Item No. 18 – Motion for Election to the Governing Council of North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong.

Shri Jagat Prakash Nadda.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to move the following:-

> "That in pursuance of rule 3(b) read with rule 4(b) of the Rules of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as a member of the Governing Council of North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, subject to the other provisions of the said Rules."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of rule 3(b) read with rule 4(b) of the Rules of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as a member of the Governing Council of North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, subject to the other provisions of the said Rules."

The motion was adopted.

(ii) Tuberculosis Association of India

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I beg to move:

> "That in pursuance of Rule 3(vi)(a) of the Rules and Regulations of Tuberculosis Association of India, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, to Members from amongst themselves to serve as members of the Central Committee of the Tuberculosis Association of India, subject to the other provisions of the said Rules and Regulations and Bye-laws made thereunder."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of Rule 3(vi)(a) of the Rules and Regulations of Tuberculosis Association of India, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, to Members from amongst themselves to serve as members of the Central Committee of the Tuberculosis Association of India, subject to the other provisions of the said Rules and Regulations and Bye-laws made thereunder. "

The motion was adopted.

(iii) Rubber Board

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to move:

> "That in pursuance of clause (e) of sub-section (3) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, read with sub-rule (1) of Rule 4 of the Rubber Rules, 1955, the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of clause (e) of sub-section (3) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, read with sub-rule (1) of Rule 4 of the Rubber Rules, 1955, the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

The motion was adopted.

(iv) Rajghat Samadhi Committee

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (SHRI BABUL SUPRIYO): Madam, I beg to move:

> "That in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951, the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Rajghat Samadhi Committee for the term commencing from the date of notification by the Governmnet, subject to the other provisions of the said Act."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951, the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Rajghat Samadhi Committee for the term commencing from the date of notification by the Governmnet, subject to the other provisions of the said Act."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Now, the House will take up 'Zero Hour'. Shri Radheshyam Biswas.

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): Hon. Speaker, Sir, I stand here to raise a matter of urgent public importance.

My Parliamentary Constituency, Karimganj is located in the southern part of Assam. It is bounded by Bangladesh on north and west, Mizoram on east; and Tripura on south. Karimganj town is a very remote town in the map of India with so many problems. So, for the interest of the people of Karimganj as well as our national income, I am speaking about use of one discovery made by ONGC *vide* Notification dated 4th January, 2012. ONGC Srikuna has discovered a huge gas reserve at Patharia in the district of Karimganj.

Madam, Patharia is just 7 kilometre away from Karimganj town; and for the interest of the local people, it is necessary to set up a gas pipeline connection system to provide the cooking gas connection at low cost. As a result, ONGC will earn a lot of revenue. Local economy will also be strengthened. Above all, the Government will be able to save valuable foreign exchange. In future, we can extend the same to the other nearest city like Hailankandi, etc. The Government can set up the gas turbine project to generate power, which is one of the most essential needs of day-to-day life of our nation. Thank you.

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ जहां सरकारी अस्पतालों में इलाज की कठिनाइयां हैं फिर भी हमारी सरकार जीवन रक्षक उपकरणों के संदर्भ में बहुत अच्छे प्रयास कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ बड़े और छोटे शहरों में ऐसे तमाम नर्सिंग होम्स बनते चले जा रहे हैं, आप मुझे इस शब्द के लिए क्षमा करेंगी कि कुकुरमुत्ते की तरह जगह जगह नर्सिंग होम्स बनते जा रहे हैं। इन सभी में आजकल एक प्रचलन हो गया है कि वहां आईसीयू वार्ड तुरंत बना देते हैं और वेंटीलेटर लगा देते हैं। उसमें यह होता है कि आज आम गरीब को जरूरत रहे या न रहे, तुरंत उसे बताएंगे कि आप वेंटीलेटर पर चलिए और वेंटीलेटर पर रखकर आईसीयू वार्ड में उसका

इलाज किया जाता है। इस पर इतना ज्यादा उस गरीब का पैसा खर्च होता है तथा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति तब हो जाती है जब वेंटीलेटर पर कभी कभी वह आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गया लेकिन तब भी वेंटीलेटर से उसको नहीं हटाया जाता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं, मैं यही आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि आदमी मर गया लेकिन तब भी उसको वेंटीलेटर से नहीं हटाया जाता और उसका इलाज चल रहा है। उसके परिवार वाले अपने गहने और जमीन बेचकर लाखों रुपये देकर उस आईसीयू वार्ड का पेमेंट करते हैं। मृत शरीर के साथ यह जो अनैतिक कर्म इन छोटे छोटे अस्पतालों में आईसीयु के नाम पर हो रहा है, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस पर केन्द्र सरकार तुरंत रोक लगाए तथा कोई ऐसा सिस्टम डवलप करे जिससे इस तरह की अनैतिकता देश के तमाम जगहों पर जो इलाज के नाम पर हो रही है, वह बंद हो जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा उठाये गये विषय के साथ डॉ संजय जायसवाल को एसोशिएट किया जाए।

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी से नागपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की, तुर्जापुर से नांदेड़ हिस्से के मार्ग की बहुत दयनीय अवस्था है। इस मार्ग पर जगह जगह गढ्डे हो गये हैं। प्रतिदिन यहां सड़क दुर्घटनाओं के हादसे में मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे निर्वाचित क्षेत्र लातूर जिले के चापुली गांव में सड़क पर गढ्डों की वजह से एक ट्रक ने अपना संतुलन खो दिया और एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में एक ही परिवार के सात लोग मारे गये तथा तीन गंभीर रूप से जख्मी हो गये। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय मार्ग के इस हिस्से को जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए ताकि मासूमों की जान बचाई जा सके। धन्यवाद।

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Hon. Speaker Madam, I thank you for giving this opportunity to speak on the subject of subsidy on chemicals used by coconut growing farmers.

Coconut crop is grown in large scale in the Southern States. Madam, 2,22,835 coconut farming families are farming coconut trees in 4.25 lakh hectares of land in Tamil Nadu. In my Krishnagiri constituency alone, in 16,000 hectares of land, there are 16 lakh coconut trees. Every year, in about 5,000 hectares of land, the coconut trees are affected by so many pests like black headed Caterpillar, Slug

Caterpillar, Leaf Caterpillar, Red Palm Weevil, Bark Weevil, Bug worm, White Grub, termite and coconut mites. According to a recent survey, about 500 hectares of coconut trees are affected in Krishnagiri district alone.

These major pests affect the foliage in a large scale. Due to pest attack, the farmers would have to lose Rs.50,000 per acre for another two years as it will take at least two years for the trees to recoup. In spite of several efforts made in the past two decades to control the pests by synthetic chemical application, the anticipated results have never been achieved. It requires chemicals and pesticides to control them effectively. The cost of chemical treatment works out to be approximately Rs.2,000 per acre. For every 45 days, this treatment is given either through root feeding treatment or spraying. It is necessary to treat the unaffected coconut trees to prevent further damage. Our Puratchi Thalaivi Amma Government has taken many steps to help the poor coconut farmers.

The coconut growing farmers cannot afford the expenses on large quantity of these chemicals and pesticides. Hence, I would request the Government to provide maximum subsidy to these chemicals used by the coconut growing farmers. Thanking you.

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Respected Madam Speaker. Thank you very much for giving me the time to speak on this important topic of national interest.

Madam, maize is a highly produced cereal in the State of Karnataka. There is an increasing trend of producing maize in that area. It is grown in all the three seasons in an area of about 9,36,000 hectares with an annual production of 7,30,000 tonnes.

Though the major area is under kharif cultivation with hybrids, the major impediments in boosting productivity are non-availability of high yielding single cross hybrid seed and susceptibility to downy mildew disease. Suitable interventions for it are – growing of early maturing hybrids DMH 1, DMH 2 and

Prakash; use of resistant variety NAC 6002 and NAC 6004 and seed treatment with metalaxyl @ 2g/kg seed to control downy mildew.

It is well understood that maize is mostly not consumed directly. Thereby, it is required to set up maize based industries in Karnataka, which further boost the demand for it and maize growers may feel motivated to grow it more.

Madam, in view of the above, I request the hon. Ministers of Agriculture and Food and Public Distribution to kindly look into this matter.

Thank you, Madam.

साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। महोदया, मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से जुड़े हुए तराई क्षेत्र विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र बकहराइच की तरफ दिलाना चाहूंगी जो हर साल बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित होता है। इस बाढ़ का कारण बरसात में नेपाल द्वारा छोड़ा जाने वाला पानी है। अचानक ही पानी के तेज बहाव के कारण लाखों लोगों का जीवन को तबाह हो जाता है। इस साल भी अगस्त माह में रात के पहर जब गावों, कस्बों के लोग सो रहे थे, नेपाल की ओर से बैराज के गेट अचानक खोल दिए गए और रातों-रात बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर, सीतापुर का काफी इलाका जलमग्न हो गया। अचानक आई इस बाढ़ से लोगों को अपने पशुधन आदि को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का मौका भी नहीं मिला और लोग आसमान के नीचे सड़कों पर आ कर रात गुजारने को मजबूर हो गए। मैं एवं आस-पास के अन्य सांसद भी स्वयं अपने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य में शामिल रहे। इस घटना में सैकड़ों जानें चली गई और जान-माल, कृषि एवं पशुधन का भयंकर नुकसान हुआ तथा नानपारा तहसील व महसी तहसील के अंतर्गत आने वाली सड़कें व पुल-पुलिया व नहरें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। माननीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी हुआ था।

महोदया, यह कोई पहली घटना नहीं है, अपितु इस क्षेत्र के लोग बाढ़ को हर साल झेलने के लिए मजबूर रहते हैं। इसके बाद हर साल बाढ़ राहत के नाम पर हाय-तौबा मचती है। मुआवजे की रकम को ले कर मारामारी होती है। फिर प्रशासन में लूट खसोट का अनवरत चक्कर चलता रहता है। अफसरों की जेबें भरती हैं और पीड़ित जनता राहत और बचाव के नाम पर सिर्फ घोषणाएं सुनती रहती है। ऐसी घटनाओं में प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार की संवेदनहीनता साफ दिखती है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सावित्री जी, शून्य काल में अपनी बात उठाते हुए सरकार के सामने सिर्फ अपनी मांग रखी जाती है। पूरे पेज के पेज को नहीं पढ़ना होता है। आप जल्दी अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

साध्वी सावित्री बाई फूले : मैडम, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करती हूँ।

ऐसे समय में प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता साफ दिखती है, जब वे राजनीति साधने के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर मात्र औपचारिकता पूरी करती हैं और केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहायता की जमकर लूट-खसोट करवाती है।

ऐसी स्थिति में मैं सरकार से मांग करती हूँ कि बाढ़ के पानी तथा नदी के कटान से जो सैकड़ों गांव प्रभावित हैं, उन गांवों को बचाने हेतु विशेष पैकेज दे कर नदी के पानी की ठोकर बंधवाकर कटान को रोकने का प्रबंध तथा सड़क व पुलिया की मरम्मत कराई जाए।

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। दिनकर जी ने कहा है कि अतः

रे तू आरती लेकर किधर जा रहा है,
तेरा खुदा, तेरा ईश्वर मस्जिदों में नहीं है,
मन्दिरों में नहीं है, वह खेतों और खलिहानों में है।

बिहार कृषि संस्कृति और कृषि प्रदेश के रूप में चर्चित रहा है। अभी रबी बुआई का समय है। बिहार के किसान खाद के लिए और बीज के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। इस अवस्था में बिहार की जो स्थिति बन गयी है, उस स्थिति में आज किसान, इस देश के चौरासी प्रतिशत लोग कृषि पर अवलंबित हैं। उसके विकल्प में कोई उद्योग-धंधे नहीं पनपे हैं। कृषि ही एकमात्र जीवन का आधार बनी हुई है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रालय से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जो बिहार के किसानों की स्थिति है, बुआई का जो समय है, डी.ए.पी., यूरिया जो चोर बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, सरकार उसे रोके। केन्द्र सरकार बिहार सरकार पर दबाव डाले। बड़े पैमाने पर वह ट्रेन के माध्यम से यूरिया उपलब्ध कराके किसानों को राहत पहुँचाने का काम करे। मैं इस ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान और माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते वह सार्क समिट में गए थे और नेपाल से उन्होंने परिवहन समझौता किया है। मैं माननीय नितिन गडकरी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने दिल्ली से काठमांडू की सीधी बस सेवा भी प्रारंभ कर दी है। नेपाल की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और उनके आवागमन हेतु दिल्ली में बहुत तकलीफ होती है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में रक्सौल

रेलवे का ड्राइपोर्ट भी है। रक्सौल से पूरा नेपाल सीधा जुड़ा हुआ है और वहाँ से काठमांडू की दूरी दो सौ किलोमीटर से भी कम है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध होगा कि या तो एक अन्तर्राष्ट्रीय राजधानी एक्सप्रेस या पशुपतिनाथ एक्सप्रेस के नाम से रक्सौल से दिल्ली के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन चलायी जाए। अभी मात्र एक ट्रेन है और उस ट्रेन को एक हजार किलोमीटर आने में छब्बीस घंटे का वक्त लगता है। आप समझ सकती हैं कि नेपाल के नागरिकों को दिल्ली आने में कितनी तकलीफ होती होगी।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हर प्रदेश की तरह एक राजधानी एक्सप्रेस या एक अन्तर्राष्ट्रीय राजधानी एक्सप्रेस रक्सौल से दिल्ली चलायी जाए।

HON. SPEAKER: Shri D.S. Rathod -- not present.
Shri Vikram Usendi.

श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर): महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। छत्तीसगढ राज्य में हाथियों का बड़ा आतंक मचा हुआ है। छत्तीसगढ राज्य में सरगुजा वन ब्रिज के अन्तर्गत जसपुर, उत्तरी-दक्षिणी सरगुजा, बैकुंठपुर, कोरिया और बिलासपुर वन मंडल में रायगढ़, धर्मजयगढ़, कोरबा इत्यादि वन मंडल के अनेक ग्रामों में हाथियों का बड़ा आतंक है। 1990 के दशक में हाथी बिहार, झारखंड, उड़ीसा से वहाँ पहुँचकर रहते थे और वापस चले जाते थे, लेकिन वर्तमान में वहाँ उनका स्थायी डेरा बना हुआ है। वे वहाँ पर किसानों की फसलों को पूरा नुकसान पहुँचा रहे हैं। चाहे गन्ना हो, चाहे धान हो, वे उसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसके साथ-साथ वे किसानों के मकानों को भी नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि, उनमें धान रखा रहता है। उसका मुआवजा भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसानों की फसल को हो रहे नुकसान को बचाने के लिए वहाँ पर सोलर फेन्सिंग की व्यवस्था किसानों के खेतों में की जाए। वहाँ फॉरेस्ट एरिया में एलिफेन्ट कॉरिडोर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव अभी तक लम्बित है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उस क्षेत्र में किसानों को हो रहे नुकसान को रोकने की व्यवस्था की जाए और हाथियों के लिए प्रबन्ध किया जाए। वहाँ पर सैंकड़ों लोगों की हाथियों के हमले में मृत्यु हो चुकी है। उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

DR. K. KAMARAJ (KALLAKURICHI): Hon. Speaker, Madam, I would like to raise an issue that affects 60 per cent of the population in our country. I think that the Members and you also will acknowledge the issue that is being raised by me.

I am raising the issue of mother-tongue. Language is a medium of communication. It has come to form well before one lakh years. Language is more than just a medium of communication. It has a rich culture. It is everyone's duty to protect a language and the mother-tongue. Otherwise, we will lose our rich culture and tradition which our forefathers left for each and everyone.

All over the world, around 7,000 languages are spoken. In India, about 780 languages are spoken. Of these 780 languages, only 122 languages are spoken by more than 10,000 people. The Indian Constitution has recognised 22 languages including Sanskrit. All over the world, the oldest language is Tamil. In India, around 40 per cent of people speak Hindi and the rest of the people speak Bengali, Marathi, Tamil, Telugu, Oriya etc. Of this, Tamil language is one of the oldest languages.

On the request of the former Chief Minister Amma in the year 2004, Tamil was recognised as a classical language. I support the demand of the people of Tamil Nadu and the Tamil Nadu Government to include all the languages in the Eighth Schedule as the official languages of India.

Under Article 348(1) of the Constitution of India, English is the language of the Supreme Court and the High Courts for Acts and Bills etc. The forefathers and framers of our Constitution have anticipated difficulties of the citizens and included a Special Directive in Article 350 that every person shall be entitled to submit a representation for redress of any grievance to any office or any authority of the Union or State in any language used in the Union or in the State as the case may be. Also, in clause (2) of the Article 348 of the Constitution of India, it says that notwithstanding anything in sub clause (a) of clause (1) of Article 348, the Governor of a State may with the previous consent of the President authorise the use of Hindi language as is already done in Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan High Courts or any of the languages used for any purpose of the State, in the proceedings of the High Court having its principal seat in the State. If we are to take the administration of justice genuinely closer to the people, then it is

absolutely imperative that local language is used in the High Court, as is already being done by the State Government and the Legislature.

I reiterate the stand of our beloved leader and former Chief Minister hon. Puratchithalaivi Amma and the people of Tamil Nadu and request the Government of India to accept the use of Tamil language in the Madras High Court and take up the matter again with the Supreme Court of India.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदया, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र अम्बाला की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के काफी हिस्से के साथ यमुना नदी लगती है। हर वर्ष वर्षा के दिनों में यहां बाढ़ आती है, जिसके कारण किसानों की जमीन का भारी कटाव होता है और फसल की बरबादी होती है। वर्षों से यमुना नदी में खनन न होने की वजह से रेत का स्तर भी काफी बढ़ गया है, जिसके कारण बाढ़ का पानी किनारों से बाहर निकल कर फसलों को नुकसान पहुंचाता है। एक अनुमान के अनुसार यमुना केवल दो लाख क्यूसेक पानी को सहन कर पाती है, लेकिन कई बार छह से लेकर आठ लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि यमुना जल प्रबंधन नीति बनाई जाए, जिससे कि किसानों की फसलों व जमीन को बरबाद होने से बचाया जा सके।

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): Hon. Speaker, Madam, thank you very much for giving me the opportunity to raise this very important issue relating to my State, especially to Western Odisha. This is regarding inclusion of Sambalpuri/Kosali and Ho languages in the Eighth Schedule of the Constitution of India.

Sambalpuri/Kosali is the mother tongue of about 70 lakh people spread over ten contiguous Districts of Western Odisha. It has been prevalent in written form for more than fifty years. It is a medium of education in non-formal schools. It has a robust oral tradition of many centuries in the form of folk music and folk literature. It forms the pride of a strong linguistic identity and the resultant cultural homogeneity of the entire Western Odisha region.

Similarly, Ho language is the mother tongue of more than a million tribal people living at the borders of Odisha and Jharkhand. Also, this language satisfies majority of the criteria required for inclusion in the Eighth Schedule.

I understand that the matter of inclusion of more languages in the Eighth Schedule of the Constitution is presently under consideration of the Government of India. Hon. Chief Minister of Odisha Shri Naveen Patnaik in his meeting with hon. Prime Minister urged upon him for inclusion of Sambalpuri/Kosali and Ho languages in the Eighth Schedule. A Committee was appointed for the same in my State.

The hon. Prime Minister, during his last election campaign in Sambalpur, highly praised the Sambalpuri language, Sambalpuri tradition, Sambalpuri music, and Sambalpuri saree. So, I urge upon the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister to consider the demand made by our State and our Chief Minister for inclusion of Sambalpuri/Kosali and Ho languages in the Eighth Schedule of the Constitution.

Thank you.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र के किसान पिछले कई वर्षों से एक मुसीबत में हैं। किसानों को राष्ट्रीय भूमि अभिलेख कार्यालय के माध्यम से अपनी जमीन का सर्वे कराने और सर्वे के हिसाब से आपस में बंटवारा करने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन, पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र शासन ने सर्वे की कार्य प्रणाली पर रोक लगा दी है। सर्वे करते वक्त पारंपरिक पद्धति के बजाय सैटेलाइट सर्वे, इ.टी.एस. सिस्टम से सर्वे करना, डी.जी.पी.एस. सिस्टम से सर्वे करना, ऐसे कई अच्छे सुझाव महाराष्ट्र शासन ने रखा है। लेकिन, इसमें एक मुसीबत यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र के पास जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें महाराष्ट्र सरकार ने उसके बहुत ज्यादा चार्ज प्रस्तावित किए हैं। आज के समय में एक सर्वे करने का चार्जेज 15,000 रुपये प्रति किलोमीटर है। उसकी बजाय अब महाराष्ट्र सरकार ने 50,000 रुपये प्रति किलोमीटर का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास रखा है।

महोदया, मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो नया प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है, उसे तुरंत मंजूरी दें, लेकिन उसे मंजूरी देते वक्त उसे 50,000 रुपये प्रति

किलोमीटर की जगह पर 25,000 रुपये प्रति किलोमीटर के चार्ज को मंजूरी देकर किसानों को राहत देने की कोशिश करें।

श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे शून्य काल में इस अति महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष जी, पूरे देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों का भारी अभाव है। यूजीसी द्वारा वर्ष 2009 से नेट तथा स्लैट की अनिवार्यता के कारण जिन लोगों ने अपना शोध कार्य पूरा कर लिया, उन लोगों को आज भी उच्च शिक्षा विभाग में चूंकि उन्होंने नेट तथा स्लैट उन मानकों के आधार पर नहीं किया है, इसलिए उन्हें नहीं लिया जाता है। यह परिस्थिति पूरे देश के अंदर है। मेरे राज्य उत्तराखण्ड के अंदर भी ऐसे शोध शिक्षार्थी, जिनका शोध कार्य वर्ष 2009 के पूर्व हो चुका है, उन्हें नहीं लिया जा रहा है।

अतः ऐसे शोधार्थियों की समस्याओं को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हस्तक्षेप से उन्हें नियमों में पूर्व की भांति शिथिलता दी जाए तथा उत्तराखण्ड प्रदेश सरकार को भी निर्देशित किया जाए कि वे इस प्रकार के युवाओं का समाधान उदारता के साथ निकाल सकें।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके संज्ञान में एक विषय लाना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में जोल्हूपुर से हमीरपुर रोड बनायी जा रही है। वह रोड इतनी खराब थी कि विश्व की जाने-माने डिस्कवरी टी.वी. चैनल पर बताया गया था कि जोल्हूपुर से हमीरपुर रोड एशिया में सबसे ज्यादा खराब रोड है। उसमें काम प्रगति पर है। रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है। चौड़ीकरण के नाम पर रोड के किनारे से मिट्टी लेकर रोड पर डाली जा रही है। विशेष रूप से जो उस रोड की पुलिया हैं, जबकि उनको नये तरीके से बनाना चाहिए था। उनको नये तरीके से न बनाकर सिर्फ जितना रोड चौड़ा किया जा रहा है, उतनी ही पुलिया बनायी जा रही है। वहां कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। उस रोड से बालू का खनन बहुत ज्यादा होता है। अगर रोड की गुणवत्ता की जांच न हुई और यह रोड को अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ दिन तक यह चल सकेगा।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि प्रदेश सरकार को वह निर्देशित करे कि वह एक कमेटी गठित करे, जो समय-समय पर उस रोड की जांच करती रहे, जिससे वह रोड अच्छे तरीके से बनायी जा सके और उस क्षेत्र की जनता उसका लाभ उठा सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी : उपस्थित नहीं।

श्री दुष्यंत चौटाला।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। मैं आज सदन के संज्ञान में एक बहुत इंपोर्टेंट विषय लाना चाहता हूं। नोटिफिकेशन 24, 2014 की 2 दिसंबर को लायी गयी, जिसके तहत अनब्रैंडेड डीजल पर एक रूपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का काम सरकार ने किया। इसी तरह 12 नवंबर, 2014 को डेढ़ रूपए एक्साइज ड्यूटी के बढ़ाये गए। आज अगर देश की बात करें तो अधिकतम हिस्सा बाढ़ से, साइक्लोन से या ड्रॉट से अफेक्टेड है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इस गंभीर मुद्दे पर अपील करता हूं कि इस तरह एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर किसान की रीढ़ की हड्डी फिर तोड़ने का काम किया है, क्योंकि, जो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है, वहां ज्यादातर एग्रीकल्चर आज ट्यूबवेल्स के तहत, मोटर के तहत होता है और डीजल का बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है। एक ओर तो हम किसान को डीजल पर सब्सिडी देने का काम करते हैं, वहीं एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर उस सब्सिडी में कटौती करते हैं, दूसरी ओर उसका रिलीफ अनेक महीनों बाद उस तक पहुँचाया जाता है।

आपके माध्यम से मेरी सरकार से अपील है कि इस गम्भीर मुद्दे पर सरकार दोबारा विचार करे। जो एक्साइड ड्यूटी अनब्रांडेड डीजल पर बढ़ायी गयी है, उसे वापस लेने का काम करे या किसी और तरह की सब्सिडी देकर हमारे किसानों को मजबूत करने का काम करे।

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका और सदन का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र सहानपुर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक अतिमहत्वपूर्ण मण्डल मुख्यालय है। सहारनपुर से मेरठ रेल लाइन के दोहरीकरण की मांग वर्षों से एक मांग लम्बित पड़ी है। उद्योग, व्यापार और कृषि की दृष्टि से सहारनपुर एक महत्वपूर्ण स्थान उत्तर प्रदेश और भारत में रखता है।

माननीय अध्यक्ष : आप रेल लाइन की डिमांड कर लीजिए, मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी।

श्री राघव लखनपाल : महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वर्षों से चली आ रही इस मांग को ध्यान में रखते हुए, दोहरीकरण का कार्य स्वीकृत करते हुए, उस कार्य को प्रारंभ कराया जाए।

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Hon. Speaker, I would like to draw the attention of hon. Minister for Civil Aviation regarding redevelopment of Dharavi slum in Mumbai. It is well known that Dharavi is one of the largest slums in Asia and Central Government is serious about redeveloping and the State Government is also serious about redeveloping the entire area as per the proposed Dharavi Redevelopment Project. There are hurdles in constructing multi-storeyed buildings as the NOC is required from the Airport Authority of India in respect of the height of all building structures proposed under this project.

It is very difficult to get separate approval for each and every project in which a lot of time is wasted. I suggest that a blanket approval is issued for the entire Dharavi Redevelopment Project building structures by the Airport Authority of India for 18-storeyed buildings instead of giving approval for individual buildings within the DRP. Since the Dharavi region does not come under air funnel zone, NOC may be granted for 18-storeyed buildings instead of the proposed 12-storeyed buildings. I request the hon. Minister for Civil Aviation to seriously look into the matter and issue the orders for grand blanket permission to the construction undertaken under Dharavi Redevelopment Project.

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity to raise an important issue in this august House.

Even in this modern age, kerosene continues to be the poor man's fuel. Most of them live in remote areas and hence our Government has been distributing kerosene through Public Distribution System. As far as Tamil Nadu is concerned, 65,140 kilo litre of kerosene per month is actually required. Unfortunately, from March, 2010, only 59,780 kilo litre of kerosene per month is made available by the Centre. Like adding insult to injury, only 29,056 kilo litre is now released by the Centre which is les than half of the State's requirement. As the oil marketing companies are not providing exact data about the number of LPG connections, there is a huge discrepancy. Even in the wake of the nation-wide increase in LPG connections, allocation of kerosene for some State has not been reduced. We find that only Tamil Nadu is being victimized due to the indifferent handling of the situation by the officials both in the administration and in the PSUs of the Union Government.

I urge upon the hon. Prime Minister to whom our beloved leader Amma has written already to immediately restore the kerosene allocation to the required level of 65,140 kilo litre per month. I reiterate the request on the floor of this House.

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): अध्यक्ष महोदया, कल टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर छपी थी कि सेन्टर टू स्टॉप सप्लाई ऑफ ग्रेन्स टू टी वर्कर्स। वहां लगभग 19 लाख 500 लोगों को सब्सिडाइज ग्रेन्स और

आटा दिए जाते हैं। अचानक कल अखबार में यह न्यूज आया कि 1 जनवरी, 2015 से यह बंद हो जाएगा तो लोगों में हाहाकार मच गया। लोगों में रोना-धोना शुरू हो गया। कल से पूरे असम के टेलीविजन और अखबारों में यही न्यूज चल रहा है। अगर यह सुविधा बन्द हो गई तो बहुत बड़ी मुसिबत आ जाएगी।

मैं टी गार्डेन वर्कर्स की तरफ से आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि सेन्ट्रल गवर्मेन्ट इस सुविधा को बन्द न करे।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने के लिए मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं मध्यप्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हो कर आई हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बृहद है। वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग -75 का उपयोग किया जाता है। आज उस मार्ग की स्थिति बहुत खराब हो गई है। इस राजमार्ग का उपयोग करने के कारण हमारी क्षेत्र की जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर कई दुघर्टनाएं हो रही हैं। इसलिए आपके माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी से मैं यह निवदेन करना चाहती हूं कि वरियता के आधार पर इस राजमार्ग का निर्माण कराने की कोशिश करें। धन्यवाद।

SHRI RAMEN DEKA (MANGALDAI): I rise here to say something about my Constituency which is a very backward area. There is a lack of communication. A huge population of that area is tribal and their craftsmanship in textiles and handicrafts is very good. So, I demand from the Government of India to give a special package for those tribal people so that they can do something about their craftsmanship and handloom cloth. Their handloom clothes are very good. They need some technical help as also some help for skill development so that they can pursue their traditional craftsmanship. If they do that, they would be economically upgraded.

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): I am thankful to the Chair for giving me the opportunity to raise an important issue in this august House.

I would like to draw the attention of the Minister of Labour and Employment that the foundation stone for setting up of the Employees' State Insurance (ESI) Medical College and Hospital at Bhubaneswar, Odisha was laid by the then Union Minister of Labour and Employment. However, the construction work for the building of ESI Medical College and Hospital has not

yet been started. There are around 3.50 lakh insured persons under the ESI Scheme in Odisha and they have been eagerly awaiting for setting up of the said Medical College and Hospital as it would be immensely beneficial for them.

Hence, I urge upon the Minister of Labour and Employment to take kind initiative to expedite the process for construction of the building for ESI Medical College and Hospital at Bhubaneswar, Odisha at the earliest.

श्री डी.एस.राठौड़ (साबरकांठा) : महोदया, गुजरात के अहमदाबाद में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, परिसर में आने जाने के लिए निजी उपयोग करते हैं। वहां दो जगहों पर पार्किंग के लिए मूल्य भुगतान करना होता है। इसके लिए पार्किंग एरिया में फी-कलेक्शन केबिन की व्यवस्था है, थोड़े समय में दोनों जगहों पर पार्किंग के लिए नए काऊंटर लगया गया है, फ्यूल पार्किंग से करीब एक किलोमीटर दूर आगे आने के लिए एयरपोर्ट पर पार्किंग लगाया गया है, बाहर आने जाने में 15 मिनट लगता है। इससे यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, आने-जाने के लिए दो किलोमीटर चलना होता है और समय की अधिक बर्बादी होती है। ट्रैफिक के दौरान और अधिक समय लगता है। परिवार, बच्चों एवं बुजुर्ग यात्रियों और बहनों को बैठाने में समय लगता है, 15 मिनट के बाद एक मिनट भी ज्यादा होता है तो चार घंटे का भुगतान लेते हैं, इस वजह से करीब 60 रुपये देना होता है, इसका समय करीब एक घंटे किया जाए, यही मेरी विनती है।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती जयश्रीबेन पटेल को श्री डी.एस.राठौड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Hon. Speaker, Madam, thank you for giving me this opportunity. I would like to raise an important issue. There are about five thousand small and medium copper smelters in India who are engaged in the manufacture of copper alloy tubes, pipes etc. to the tune of around 1,30,000 to 1,60,000 tonnes per year. The employees engaged in this task are around four to five lakhs. As per the trade agreement with the ASEAN countries we are excluding the foreign companies to bring the finished product into India without duty. The people who are purchasing raw material from abroad are being penalized by being asked to pay five per cent duty on it. Therefore, the Indian smelters who are producing these copper tubes and pipes are being harassed because of this. Their profitability has gone almost to zero per cent. Around five to

six lakh peoples are dependent on this and their job is at stake. The advantage of this trade agreement is being taken by countries like Japan and China. They are setting up plants in Vietnam and through Vietnam they are sending it to India. The copper tubes and pipes directly go to the consumers without any sales tax and duty on it. The hon. Prime Minister is talking about making things in India. Therefore, I would like to request the Government that these copper smelters who are trying to produce copper tubes and pipes in India, for them the duty should be waived so that they can survive and let us also have a level playing field.

HON. SPEAKER: Shrimati Anupriya Patel – Not present.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदया, सदन जिन बातों को लेकर प्रतिपक्ष इतनी गंभीरता दिखा रहा है, आज के अखबार में कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उच्च सदन के सदस्य भी हैं, उनका बयान आया है जो राष्ट्र के खिलाफ है। उन्होंने अपील की है कि भाजपा को हराने के लिए नक्सलवादी हमारी मदद करें। मुझे यह कहना है कि हम बहुत छोटी बातों में उलझकर सदन का समय बर्बाद करते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति, जो एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, उच्च सदन का सदस्य है, वह खुलेआम नक्सलवादियों को, उन देशद्रोहियों को अपनी पार्टी की मदद के लिए कह रहा है जिससे ताकि वह भाजपा को हरा सके। यह सीधा समाचार है। मैं प्रार्थना करता हूं यह शून्यकाल का विषय नहीं है। सदन और देश के ध्यान में यह बात आए। इस बात के लिए सदन में चर्चा होनी चाहिए। यह आग्रह मैं आपसे करता हूं, छोटी-छोटी बातों पर सदन का समय खराब होता है, इतने गंभीर सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। कल हमारे एक मित्र ने कहा था कि हमारे यहां अकाल की स्थिति हुई तो लोग नक्सलवादी बन जाएंगे। चेयर पर माननीय उपाध्यक्ष जी थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज की, कम से कम इस वाक्य का प्रयोग नहीं हो सकता और ऐसी भावनाएं व्यक्त नही की जा सकतीं। वह बात रिकार्ड से निकवाया गया। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने गैर-जिम्मेदार और देशद्रोह करने वाला बयान दिया है उनके खिलाफ सदन निंदा प्रस्ताव पारित करे। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री प्रह्लाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

<u>13.00 hrs</u>

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : अध्यक्ष महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र लखीमपुर-खीरी कृषि प्रधान क्षेत्र है जहां पर अधिकतर लोगों की आमदनी का जरिया खेती है। चूंकि लखीमपुर-खीरी रेलवे के मीटर गेज मार्ग पर

पड़ता है, इस कारण इस जिले में खाद, यूरिया व डीएपी की आपूर्ति इफको व कृभको कंपनियों द्वारा की जाती है। लेकिन इसकी रैक सीतापुर जनपद के रेलवे गोदाम पर उतारी जाती है, जो लखीमपुर जिले के विभिन्न स्थानों से 50 कि.मी. से 150 कि.मी. दूर पड़ता है। इससे खाद आपूर्ति में बाधा होती है तथा नेपाल का सीमावर्ती जिला होने के कारण वहां खाद की तस्करी की भी संभावना रहती है, जिसके कारण डीएपी व यूरिया की कमी का सामना कृषकों को करना पड़ता है व समय से तथा पूरी मात्रा में खाद न मिल पाने के कारण फसलों का नुकसान होता है। इससे सीधे तौर पर समग्र कृषि उत्पादन पर खराब असर पड़ने के साथ-साथ किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। पूर्व में इफको व कृभको यूरिया, डीएपी का उतार लखीमपुर जिले के लखीमपुर और मेघलगंज रेलवे स्टेशनों पर होता था।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार व रेल मंत्रालय से मांग करना चाहता हूं कि पुनः लखीमपुर जिले के लखीमपुर रेलवे स्टेशन व मेघलगंज रेलवे स्टेशन पर इफको व कृभको खाद के उतार का रैक पाइंट बनाया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : चन्दूमाजरा जी, आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त कीजिए। आपको कल भी समय दिया था, लेकिन ऐसा बार-बार नहीं होगा।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जंगलों की कटाई से वातावरण पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वह चिंता की बात है, किन्तु एक बहुत चिंता वाली बात है, जो मुश्किल सामने आ रही है, वह यह है कि जंगलों की कटाई के कारण जंगली जानवर भुखमरी से मैदानी क्षेत्रों में आकर किसानों की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे उनकी जान-माल का भी नुकसान हो रहा है। पंजाब सरकार ने इस संबंध में एक प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी है कि यदि इसमें केन्द्र सरकार 50 परसेंट मदद कर दे तो 50 परसेंट किसान उसमें अपना हिस्सा डाल देंगे। अगर वहां जालीदार तार का प्रबंध हो जाये, तो उससे किसान भी बच जायेगा, उसकी फसलें भी बच जायेंगी और किसानों की मुश्किल का समाधान भी निकल आयेगा।

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार का राजकीय उपकरण कोटा इंस्ट्रुमैंटेशन लिमिटेड में आर्थिक तंगी के कारण वहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा। इतना ही नहीं, जिन कर्मचारियों का पी.एफ. बकाया है, उसका पैसा भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इस कारण वहां कर्मचारी परेशानी में हैं। कोटा का यह राजकीय उपकरण, जो देश का पहला और दूसरा राजकीय उपकरण इंस्ट्रुमैंटेशन लिमिटेड के नाम से है, उस संबंध में मेरा इतना ही कहना है कि केन्द्र सरकार एक विशेष

प्लान बनाकर उस राजकीय उपकरण को आर्थिक पैकेज दे। वहां के कर्मचारियों को वेतन और पी.एफ. मिल सके, ताकि वे अपने बच्चों और परिवार का पालन-पोषण ठीक से चला सकें।

माननीय अध्यक्ष : श्री राम स्वरूप शर्मा -- अनुपस्थित।

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Madam Speaker, I thank you for giving me an opportunity to speak.

I wish to mention about National Highways which connects Kolkata and Mumbai. I would like to draw your kind attention to the speed limit of vehicles on National Highway No. 53 connecting Gandeimunda to Debgarh (38 kilometres) and National Highway No. 49 connecting Thainali to Debgarh (55 kilometres). There is also a portion between Debgarh to Hindo (80 kilometres).

Even though this portion falls under National Highway, the speed limit of vehicles is less than 30 kilometres. I do not want to elaborate further on this point. If this is the situation, why is it named as National Highway?

Madam, through you, I would urge upon the hon. Minister that this matter may be examined thoroughly and if I am correct, then immediate action has to be taken in this matter.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity to speak.

In our State, there is one national highway, NH 5, connecting Chennai and Kolkata. When hon. Vajpayee ji was the Prime Minister, it was made four-lane. Afterwards, the road was not maintained properly.

I would request the hon. Minister, through you, that the road from Vijayawada to Vishakapatnam should be made eight-lane. In that there is one small road, Anakapalli to Anandapuram, which should be converted into a four-lane road. That comes under my constituency. Everyday thousands of people are using it and a number of accidents are taking place. So, I request that the road should be widened. Thank you.

श्री लल्लू सिंह (फ़ैज़ाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र अयोध्या, जो एक धर्म नगरी है, वहाँ किसी समय राम की पैड़ी का निर्माण हुआ था। उसकी डिजाइन गलत होने के कारण उसमें निरंतर जल प्रवाह नहीं रहता है जिसके कारण राम की पैडी में अयोध्या का मल-मूत्र और गंदगी भरी रहती है। जो तीर्थयात्री वहाँ पर आते हैं, उनको बहुत कष्ट होता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से चाहता हूं कि वहाँ पर रेलवे पुल के नीचे एक बैराज बनाया जाए ताकि सरयू जी का जलस्तर ऊपर उठे और राम की पैड़ी से माइनर निकालकर शारदा सहायक नहर में मिलाया जाए ताकि निरंतर जल प्रवाह बना रहे। इसके बनने से अयोध्या ही नहीं, बल्कि दूसरी तरफ बस्ती जिले में भी अयोध्या पम्प कैनाल बना हुआ है जिससे वहां के किसानों को निरंतर खेती के लिए पानी मिलता रहेगा। धन्यवाद।

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर सदन का और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। देश में नक्सली मुठभेड़ में मारे गये जवान चाहे वे सी.आर.पी.एफ. के हों या पुलिस के जवान हों, इन लोगों को हम लोग शहीद कहते हैं। लेकिन उन शहीदों के परिवारों को जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वे नहीं मिलती हैं। महराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले में भी नक्सली मुठभेड़ और माओवादी मुठभेड़ में हमारे कई जवान शहीद हुए। उनके परिवार के लोगों को आज बहुत ही विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जो विधवाएँ हैं, वे अपना जीवन निर्वाह बर्तन मांजकर करती हैं। मैं शून्यकाल के माध्यम से इसे सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमें उन शहीदों के परिवार को आर्थिक ताकत तथा नौकरी देने का एक नियम बनाना चाहिए जो शहीदों के काम आए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका ह्र्दय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज देश में बच्चों के लिए बैंकों में खाता खोलने की सुविधा की जरूरत है। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के पूर्वी जिले में मेरे द्वारा गोद लिए गये ग्राम पंचायत घोड़ासहन (दक्षिण) में हजारों बच्चे वैसे हैं जिनके पास बचत करने के लिए तो कुछ धन है परन्तु अपना खाता किसी बैंक में नहीं रहने के कारण वे राशि बचत कर पाने में असमर्थ हैं। आज के बच्चे, कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, इसके लिए आवश्यक है कि वे बैंकों के एकाउन्ट होल्डर बनें।

मुझे जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, उसके अनुसार देश के सभी अग्रणी बैंकों में दस वर्ष या उससे अधिक आयु वाले बच्चों के लिए उनका खाता खोलने का प्रावधान तो है परन्तु इस प्रावधान को गंभीरता से लागू नहीं किया जाता। बच्चों का बैंक एकाउन्ट हो, इसके लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया जाता है। प्रचार-प्रसार या जागृति के अभाव के कारण क्या माता-पिता या बच्चे सभी इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। विद्यालय के शिक्षकों, पंचायतीराज संस्थाओं के लोगों को एक अभियान के द्वारा चाईल्ड

बैंक स्थापना में अपना योगदान देना पड़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के जन-धन योजना की तरह इसे भी बच्चे-बच्चे तक पहुंचाने की आवश्यकता है।जब प्रत्येक बच्चे का खाता खुल जाएगा तो स्वतः उनमें बचत के प्रति झुकाव होगा और वे अपने खाते में कुछ राशि रखेंगे जो बूंद-बूंद तालाब की तरह भरेगा। बचत की आदत डालने से बच्चे अपव्यय से बचेंगे। गलत राह पर जाने की संभावना कम रहेगी और यह कहावत सचमुच चरितार्थ होगी।

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात पूरी हो गयी है।

श्रीमती रमा देवी : कृपया दो लाइन और बोलने दिया जाए। यह कहावत सचमुच चरितार्थ होगी कि "सकल वस्तु संग्रह करे, एक दिन आवे काम।" मुसीबत के समय खाते में संचित किया धन उनके और उनके माता-पिता के काम आयेगा और हमारे देश के बैंकों को लाइफ-टाइम ग्राहक मिल जाएगे। चाइल्ड बैंक स्थापना अभियान या बच्चों के खाता खोलने का अभियान, दोनों अभियानों की आवश्यकता तत्काल है और उसके दूरगामी प्रभाव होंगे, जिससे ग्रामीण भारत की गरीबी भी दूर होगी, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मुझे मालूम है कि कुछ संस्थाएं इस काम में लगी हुई हैं। जैसे दिल्ली में "चाइल्ड रिलीफ एंड यू" नामक संस्था इस दिशा में कुछ काम कर रही है। धन्यवाद।

SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA): I would thank you, Hon Speaker, for calling me to raise an important issue.

The Tamil Nadu Government is providing social security pension to the needy people under eight schemes. In 2011, the monthly pension has been increased from Rs.500 to Rs.1000 by our hon. Chief Minister Amma whereas the Government of India's support is only Rs.200-Rs.500 per beneficiary. When Government of India contribute only Rs.600 crore, the State Government is bearing the total financial commitment of Rs.4,491 crore. Our revered leader Puratchithalavi Amma had already requested the hon. Prime Minister to enhance the Central Government pension amount to Rs.1000 per month. The Government of Tamil Nadu has also requested the Centre to cover more categories of pensioners. It has also requested the Government to remove the ceiling on the number of pensioners under the Central Schemes which are just three out of the eight implemented by the Tamil Nadu Government.

Hence, I urge upon the Union Government to enhance the pension amount and increase the number of beneficiaries under the Central Scheme.

श्री राजवीर सिंह (राजू भैया) (एटा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र एटा के अंतर्गत एटा और कासगंज दो जिले आते हैं। वहां पर अभी तक रेलवे लाइन का विस्तार नहीं हो पाया है। मेरे ये जिले बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि एटा और कासगंज को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए तथा अच्छे दिनों का अहसास हमारे एटा और कासगंज के लोग भी करें। धन्यवाद।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अध्यक्षा जी, मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा-चित्रकूट में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। बांदा-बबेरू-कमासिन मार्ग, बबेरू-मरका मार्ग, कमासिन-मरका मार्ग, बांदा-बिसंडा मार्ग और कर्वी से राजापुर मार्ग बहुत ही खराब है। इस बात को मैं पहले भी आपके सामने रख चुका हूं। प्रदेश सरकार से जब बात होती है तो वे कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। अगर धन देते हैं तो पैसा निकाल कर बराबर कर दिया जाता है। हम केन्द्र सरकार से कहते हैं तो केन्द्र सरकार कहती है कि यह राज्य सरकार का मामला है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करके वहां की दुर्दशा को ठीक कराया जाए। धन्यवाद।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : अध्यक्षा जी, जिस भारत में गाय-मां की पूजा होती है, मैं उसी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख में 14 गाय और एक बछड़ा काट दिया गया था। वहां हम लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया। हमारे साथ सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा जी भी थे और हम सुबह साढ़े छह बजे से लेकर साढ़े तीन बजे तक गौ-माता का अंतिम संस्कार करके आये, तो हमने मांग की कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे सामने तो उन्होंने कह दिया कि हम सजा देंगे, लेकिन अब उल्टा हम 250 लोगों पर, जो धरने पर बैठे थे, एफ.आई.आर. हो गयी है। इसमें चार लोगों के नाम और 250 लोगों को अज्ञात बताया गया है। मैं केन्द्र सरकार से यही अपील करना चाहती हूं कि इस प्रकरण की सही तरीके से जांच हो और अपराधियों को सजा मिले। साथ ही सरकार ऐसा कानून बनाए कि जो गौ-माता की हत्या करता है उसे फांसी की सजा हो। धन्यवाद।

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदया, बिहार की राजधानी पटना की आबादी बढ़ कर के 80 लाख से भी ज्यादा हो गयी है। ग्रेटर पटना के रूप में वर्ष 2006-07 में ही, जब मैं नगर विकास मंत्री था तो उस समय आग्रह किया गया था। वहां की आबादी बढ़ने के कारण यातायात की व्यवस्था चरमरा गयी है। वहां घण्टों जाम रहता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि पटना को मेट्रोपोलिटन सिटी का दर्जा, जो कि लम्बित है, वह केन्द्र सरकार प्रदान करे और साथ ही मेट्रो ट्रेन चलाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त दिल्ली में जो मेट्रो ट्रेन चलती है, उसमें महिलाओं के सदृश्य ही वृद्ध और विकलांग नागरिकों के लिए अलग कोच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे की इन लोगों को दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने में सुविधा प्रदान हो सके।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2:15 p.m.

13.16 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

<u>14.22 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Twenty Two Minutes past Fourteen of the Clock

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Yesterday, one thing was decided. Even today I am repeating the same thing. In the larger interests and for the sake of good parliamentary system, if the opposition wants to participate in the Bill, I am ready for it. It may be taken up on Monday.

HON. DEPUTY SPEAKER: I feel the House agrees -- it will be taken up on Monday.

Now, we shall take up Discussion under Rule 193.

14.23 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

Natural calamities in various parts of the country-Contd....

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Sir, while discussing on recent floods and cyclones, we must have a clear picture of it. Recent devastating cyclone in Andhra, killer flood in Jammu & Kashmir and ferocious cloudburst in the North Eastern region, especially in Assam are simply a tip of the iceberg and are more to follow after this.

Due to ferocious *Hudhud*, lakhs of people rendered homeless and many people lost their lives. Nearly 50 lakh people were severely affected. Apart from the loss of animal wealth, countless individuals and government properties have been fully dashed to the ground.

We know that in Jammu & Kashmir hundreds of people lost their lives. Except a few, most of the dead bodies are yet to be recovered. Thousands of villages have completely submerged and everything is lost. To begin afresh, people have to try very hard because all the commercial concerns and industrial properties have been completely lost. The affluent people, who had business in the urban hub of Jammu & Kashmir, also lost everything. When there is no industry, people have got very little money in their pockets to buy anything and start the life anew.

Sir, as you know, in Assam, flood occurs generally in rainy season from April to August. But, this time it occurred in the month of September. This has never happened. The devastation was so huge that it looked as if a huge water ball was coming down cascading and within 20 minutes -- you will be surprised to know -- everything was gone. As a result of floods in the entire North East Region including Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya, nearly 102 people have lost their lives, and many people have become crippled. As far as loss of infrastructure, loss of property, and loss of agriculture fields is concerned, it must be worth more

than Rs. 300 crore. I am grateful to the hon. Prime Minister because Assam has been given Rs. 270 crore, and the same amount has been given to Arunachal Pradesh and Meghalaya also. But much more is needed as the loss was very big.

Floods in Assam are an annual feature. The Brahmaputra River is a big river, and it has got big banks. In addition, there are many other rivers also. Nearly 250 embankments had to be mended, but because of the lackadaisical behaviour of the Assam Government, because of huge corruption, and because of siphoning off money granted by the Central Government, all the embankments are in a very bad shape and even a normal rain destroys everything. In order to rectify this problem, the funds given by the Central Government must be spent by the Central Government agencies only. Otherwise, if it is given to the Assam Government, then with the corrupt nature of the Government they cannot do anything. Moreover, the Assam Government has failed because they have got in-fighting going on. Hence, no development work is taking place now.

I am a Member of Parliament from Guwahati, which is the gateway to the North-East Region. Guwahati is going to become a very important city for South-East Asia Region, which has been emphasised by the Prime Minister. During rainy seasons, Guwahati is under water; communication is completely lost; and roads and schools are also under water and people need boats even in the city of Guwahati. Hon. Prime Minister, Shri Modi, gave me an assurance that he will do something, but what is surprising is that no proposal has come from the Government of Assam till now. The Government of Assam has not submitted any proposal for development of Guwahati city to free it from artificial floods that come in every rainy season.

Secondly, I want to say that disasters never happen as they occur. We have seen and experienced such type of cyclonic floods earlier also, but this time a lot of lives of people were saved because of pre-warning by the Disaster Management Department. I feel that the Disaster Management Department must be active, and must be made active. Moreover, proper monitoring is necessary for the funds

given in Calamity Relief Fund or for Disaster Management. I am saying this because most of the money is not properly used. I have seen and felt this in all these years of my political life. Hence, monitoring should be done by the officials who are in-charge of the money.

Thirdly, cloud burst and heavy rainfall occur because of people's behaviour. We never care for the nature. We did not care for the nature, and that is why nature takes revenge on human beings. Hence, after flood, there is erosion and more than 30 per cent land mass of Assam has been eroded by the Brahmaputra River. I feel that we should be very careful, and we may keep the nature of 'nature' in mind. We must behave properly, and if we behave properly, then I think that we will be able to stop all these disasters that have occurred in the country.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, Odisha was hit by a severe cyclonic storm Phailin on 12th October, 2013 during which 18 out of 30 districts were affected substantially. The State Government had submitted two memoranda to the Government of India requesting for release of Rs.4,212.41 crore and Rs.1590.09 crore for relief, repair and restoration of Phailin affected areas and flood affected areas. Odisha had also requested the Union Government for advance release of Rs.1,000 crore to the State pending detailed assessment of loss for continuing the on-going relief and restoration work in the cyclone and flood affected area. In between what had happened was that the Government changed and very little money actually was transferred to the State. Subsequently, when this new Government has come, they reopened the issue, because that file was already closed – that is what I was given to understand – and they have provided some money. But that is not sufficient. I will come to that issue later.

Hon. Prime Minister, the previous Prime Minister announced an advance release of Rs.1,000 crore each to Odisha and Andhra Pradesh, though Andhra Pradesh was not affected that much by Phailin last year. But the same amount was advanced to undivided Andhra Pradesh and also to Odisha. Out of this, Rs.750 crore was released from NDRF on *ad hoc* basis and balance Rs. 250 crore was shown as released from SDRF which is the second installment for the year 2013-14 amounting to Rs.169.99 crore and advance release of Rs.80 crore, that is, a portion of Centre's contribution to SDRF for the year 2014-15.

I am giving this detail because there is a disconnect in understanding the actual amount that was demanded by the memorandum, the actual amount that was assured by the Government and subsequently the manner in which the money has gone and how little it is. Subsequently, after detailed assessment of losses, the Government of India on 22nd January, 2014 communicated the approval of only Rs.934.61 crore from the NDRF subject to adjustment – these are all red-tapism – of 75 per cent of balance available in the SDRF account of the State. Out of this *ad*

hoc release of Rs.750 crore, an amount of Rs.298.62 crore was identified as excess released amount which is required to be adjusted in future calamities.

What does one understand by this? It is just mathematical figure. It is jugglery and nothing else. Odisha was shattered by Phailin. The rescue and relief operation that was carried out by our party workers, by our Government machinery brought accolades from the United Nations and India felt great. The representatives of the United Nations delegation went down to Bhubneswar to facilitate the Chief Minister for doing that service to help people. Odisha had shifted more than 10 lakh people to safety. This was unique in the sense because it was recognized throughout the world. There was minimum casualty, because of Phailin cyclone. What the Union Government did, the figure that I had mentioned earlier demonstrates the attitude of the previous Government. This was least expected. Recently, during September, 2014 another communication has been received and this is the tragedy. I would expect that the Minister would respond to this issue. We received a communication from the Ministry of Home Affairs, File No. 20-3/2014-NDM-I dated 10th September, 2014 wherein it has been intimated that additional amount of Rs. 399.83 crore, that is, Rs.292.77 crore towards gratuitous relief and Rs.107.06 crore towards input subsidy is due to the Odisha Government.

Surprisingly, after having admitted that Rs.399.83 crore is due to the State, Union Government have further indicated in the same letter that the Government of India would not have any objection to Government of Odisha spending this amount of Rs.399.83 crore from the SDRF amount in 2014-15 and 2015-16. Do I have to remind the Government that the corpus of SDRF is meant for normal relief and restoration work in case of flood, drought, cyclones, storms, etc., which visit our State almost every year? Is this a fair treatment? How can Union Government advise and say that the entire corpus of SDRF pertaining to the year 2014-15 and 2015-16 be utilised for Phailin which occurred during 2013? What was expected and what ultimately happened?

After the gratuitous relief and input subsidy in connection with Phailin is spent from SDRF account for the year 2014-15, there will be no balance left in SDRF for relief and restoration work in connection with cyclonic storm Hudhud which hit the State on 12th October 2014 and affected 15 Districts out of 13. Therefore, I would urge upon the Government and expect the Minister to fund Rs.399.83 crore on account of Phailin, and an interim assistance of Rs.500 crore urgently for relief and restoration work in connection with the cyclonic storm Hudhud from NDRF.

Now I come to Hudhud. It is a beautiful bird of Israel but Oman, the country, named the severe cyclone after it. This Hudhud made landfall near Visakhapatnam in Andhra Pradesh which is close to Odisha, on 12th October 2014. It has severely affected the southern and central coastal Districts of Odisha. Because our Government ensured adequate preparedness in due time, there were very few casualties. There were only three casualties to be precise because of a boat capsize during evacuation process.

More than 2.5 lakh people were evacuated to safe shelters. Sixteen units of NDRF, ten units of Odisha Disaster Rapid Action Force and 1,265 fire service personnel were deployed to undertake rescue operations. Though death toll could be restricted, yet there was extensive damage to private houses, agriculture and public infrastructure. This severe cyclone has affected areas in Odisha which are hundred kilometres away from the coastline. Such disaster has never happened earlier in such farther places of Odisha which are densely populated by tribal people.

Chief Minister of Odisha had written to Prime Minister on 16th October this year stating that SDRF corpus for the year 2014-15 is almost empty, funds to the extent of Rs.107 crore was allotted in advance which were spent on cyclone Phailin-related expenditure last year. Major portion of the balance funds of this year's SDRF corpus has been spent towards liabilities of cyclone Phailin,

especially in providing agricultural inputs subsidy to farmers who submitted crop loss.

Sir, due to Phailin and on relief and restoration measures on account of floods that State faced during June-August this year, why are the claims relating to previous calamities still pending? SDRF is empty. Is NDRF also empty or is it delaying tactics? Our Chief Minister has requested for an interim assistance of Rs.500 crore of NDRF as immediate requirement for relief and restoration. This request was on 16th October 2014. We are now in December. Please tell us what you have done.

Yes, a Central team has gone, made a survey, and have come back to Delhi, and they have submitted their report. When are you going to take decision? People are suffering because their shelters have been uprooted, their belongings were blown away, they are living in a hand-to-mouth situation. This is the position in which the tribal people of the Districts of Koraput, Rayagada, Malkangiri and of 15 Districts have been affected. The insurance compensation for Phailin has not been given. I would restrict myself to Odisha relating to Phailin and Hudhud and expect the Government to respond.

There is also another issue which this House should also deliberate, that is, the severe flood that affected Kashmir Valley. I am told that the last severe flood of this nature had occurred in 1902. The words that are being said which I have heard from people who have gone around that place are – *zinde ruid setha chee*. This is in Kashmiri and 'it means it is enough that we are alive', because the devastation that Kashmir Valley saw in those weeks was unparallel. All the institutions of power and governance from the Civil Secretariat to the High Court and Lal Chowk, the business district were under water for more than 15 days. Just imagine the city capital is under water for 15 days. Can one imagine such a situation happening in any State Capital and the collapse that was brought in?

The floods exposed the unpreparedness of the State Government and its inadequate mechanism to deal with natural calamities. One need not compare the

preparedness of Odisha or Andhra Pradesh and the unpreparedness of Jammu and Kashmir. But this is the challenge before us to make every State Government prepare to face any natural calamity at any point of time. I will come to the major problem why Kashmir could not be prepared before hand. There were no weather warnings though India Meteorological Department whose building was also flooded in Central Kashmir. Narbal and Cowa villages are almost destroyed. The floods inflicted on Srinagar City was a misery worst in the last 25 years.

Rajbagh, Jawahar Nagar, Gogji Bagh, Shivpura, Indira Nagar, Natipura, Nowgaon, Lasjang, Lal Chowk, Babadang, Karun Nagar, Qamarwari and Bemina were the most hit with more than five lakh people marooned for days. But there is a silver line in these dark clouds. The unprecedented havoc raked by the Jhelum river in Jammu and Kashmir saw the Indian Armed Forces launch one of its biggest rescue and relief operations in the State. They rescued more than 2.5 lakh people from different parts of the State. The NDRF also played a greater role. Not only the Army and the Air Force, but the Navy also participated in the rescue and relief operation. They were welcomed by the affected people of the Valley.

Major floods have hit Kashmir after more than 50 years. What is alarming is that a few years ago, the engineers had warned that the Valley might face severe floods. There had been severe floods in 1902, 1955, 1957 and 1959. During 1902 floods, most of Srinagar remained inundated for two years. At that time, it was reported in different newspapers as if there was no distinction between Dal Lake and the city of Srinagar of 1902 and it remained flooded for 2 years. At least, this time with all modern technology, it could be controlled in 15 days. What has happened in between? There is stoppage of channels of drainage of flood water because all those have been choked. Still the Government and the apparatus have been able to drain out water. But I would say that still the disease persisted.

What has changed in between 112 years? This was tragedy that was waiting to happen. Why is it that the Central Water Commission does not have a single forecast site in Jammu and Kashmir? This comes under the Ministry of

Water Resources. I would request the Home Minister also to have a joint meeting to discuss as to why the Central Water Commission does not have a forecasting site in Jammu and Kashmir though the State is prone to flooding.

Is it not true that unregulated urbanisation has also left no channels of water to flow? What is the Government doing now? Have they worked out any short-term and long-term plan to energise the water channels for swift passage of storm water from Srinagar and river Jhelum?

Now, I would talk about the floods of Assam because only Madam Bijoya Chakraborty just now mentioned about it. I would say 178 casualties happened in Assam, Meghalaya and Arunachal Pradesh in September, 2014. I would say, I would not like to delve into the political aspect of it, that the hon. Home Minister visited that area, met the Chief Ministers of Assam and Meghalaya. But it is a very serious matter in the sense that land slides have occurred in a major way. Bridges have been washed away; thousands of houses have been washed away and the greater problem here is that because of the land slide that is taking place, everyday land is getting eroded. The State Government does not have that much capacity financially to protect by constructing embankments and protect the land. It is the Central Government which has to come up with a major plan and programme to protect the landmass of Assam, of Arunachal and also of Meghalaya. This has been happening for the last 65 years. Infrastructure is getting damaged every year. Agricultural land is being washed away by flood water. Lakhs of farmers are becoming landless. Similar erosion is also taking place in the coast of Odisha where sea erosion is taking place and we have been requesting the Central Government repeatedly to do something about this. There are specific places. Even at one point of time, four years ago, the coast line of Puri, which is a major tourist area, was getting eroded, but luckily because nature turned its tide in a different angle that area has been protected. But there are areas in districts of undivided Cuttack and Puri where sea erosion is taking place. Government of India should take note of it, be it in Assam or in Arunachal Pradesh or in

Meghalaya and so also in Odisha. The erosion of land that is taking place needs to be protected.

Greater question is, the Government should contemplate and say, soil erosion should be treated as a national calamity. That is not being done. I would request the Government to take up this matter and declare soil erosion as a national calamity. I would also demand, I would conclude my speech in this way, that a special package be given to the States of Andhra Pradesh, Odisha, Jammu and Kashmir, to Assam, to Arunachal Pradesh and also to Meghalaya who have been affected by severe cyclone, by severe flood and also by cloud burst that had occurred in the North-East.

Thank you.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के विभिन्न भागों में, जम्मू और कश्मीर में वर्षा और बाढ़, आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा के हुदहुद चक्रवात और महाराष्ट्र के सूखे के विशेष संदर्भ में नियम 193 के तहत बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

हम देखते हैं कि हमारे देश की आत्मा गांव में ही बसती है। हमारे किसान गांव में रहते हैं और गांव में खेती करते हैं। उनकी एक सोच है कि हम खेती करते हैं और सभी का पेट भरते हैं। किसान की मेहनत और परिश्रम से ही हम लोग ताकत लेते हैं। मैं एक किसान की बेटी हूं। मैं एक-एक चीज को देखती हूं कि जब आंधी, तूफान, सूखा, बाढ़ या प्राकृतिक विपदायें आती हैं तो उनको बहुत दर्द होता है। उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं और उनका कलेजा टूट जाता है। ऐसी विपदाएं आती रहती हैं। लोगों को जिन विपदाओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें हम लोग ने देखा है। अचानक विपत्तियां आईं और देखते ही देखते सब कुछ ध्वस्त हो गया। हुदहुद के कारण वहां बाढ़ आ गई। जम्मू-कश्मीर में कभी बाढ़ नहीं आती थी, लेकिन इस बार टी.वी. पर बाढ़ के कारण हुए विनाश को देख कर हमारा दिल कांप जाता था। हम लोग त्राहिमाम् करते थे।

मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में और समूचे उत्तरी बिहार में मानसून के दौरान भीषण बाढ़ आती है। पूर्वी चम्पारण जिले के सिकहरना, बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध की स्थिति अत्यनत जर्जर है, जिससे मधुबन, चिरैया, ढाका, पकड़ीदयाल के तटबंध खतरनाक स्थिति में आ गये हैं, इस चीज को हम महसूस करते हैं। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की जानकारी में रहने के बावजूद इस पर कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाई है। इन तटबंधों की दयनीय स्थिति को देखने से पता चलता है कि वर्षों से उन तटबंधों पर ऊंचीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य नहीं किये गये हैं, जिससे वर्षा के दिनों में नेपाल से निकलने वाली नदियों के जल प्रवाह से सिकरहना नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा लाखों हेक्टेयर फसल एवं बड़ी आबादी तबाह हो जाती है। पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत चनपटिया, सुगौली, लालबगेया, चिरैया, ढाका, मधुबन, पकड़ीदयाल, कटैया, सेमरा, मोतीपुर तथा सिकरहना, बूढ़ी गंडक नदी 143 किलोमीटर बायें व दायें तटबंध का ऊँचीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य होने से लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि आबाद हो जाएगी और सिंचाई की सुविधा मिलने से लोगों में नई जान आ जाएगी। पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण और मुजफ्फरपुर जिले की कृषि उत्पादन क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी तथा बाढ़ से होने वाली तबाही से भारी आबादी को निजात मिल सकेगी।

शिवहर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नेपाल से निकलने वाली बागमती नदी के जल प्रवाह से सीतामढ़ी जिले के बेलसंड से रुन्नीसैदपुर तक लगभग 15 किलोमीटर लम्बा एवं 4 किलोमीटर चौड़ा कृषि एवं

आवासीय क्षेत्र में निरंतर जल बहाव एवं जल जमाव से लगभग 50 हजार आबादी एवं 12000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पानी में डूब जाती है। बाढ़ के दिनों में इस इलाके के किसान एवं आम लोग अमानवीय यातना के शिकार होते हैं। जीविका एवं आवास से मरहूम यहां के लोग विस्थापित जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें रहने के लिए न तो घर मिलते हैं और न ही कोई जगह मिलती है। उन्हें बाथरूम्स की सुविधा भी नहीं मिलती है। उनके जानवरों के लिए चारा नहीं मिलता है। उनकी ऐसी स्थिति को देख कर हमें बहुत पीड़ा होती है। इन्हीं के कारण हमारे शिवहर जिले में माओवादी और नक्सलाइट ज्यादा उभर पड़े हैं। क्योंकि, उनका रोजगार इनके कारण छिन जाता है, किसानों की खेती-गृहस्थी छिन जाती है और अंत में वे हथियार उठाकर अपना पेट भरने के लिए निकल जाते हैं। यह भी इसका एक कारण है।

बागमती नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ के साथ जल प्रवाह में बड़े पैमाने पर अपने क्षेत्र में सिल्ट लेकर आती है। बागमती तटबंध की क्षमता घटती जा रही है। 15 किलोमीटर क्षेत्र में सालों से जल-जमाव बना रहता है, इस जल जमाव से पशुपालन एवं कृषि कार्य को करने में काफी असुविधा होती है एवं वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है। हमारे यहां सूखे की भी वही स्थिति है। सूखे की स्थिति में लोग त्राहिमाम् करने लगते हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधा लोगों तक पहुंचने में बहुत विलम्ब हो जाता है और उसका एक हिस्सा रास्ते में चाटुकार खा जाते हैं और वही कहा जाता है कि 'हर बहे सो खर खाता है और बकरी बैठ कर अचार खाती' है। वहां पर बिचौलिए खा-पीकर मस्त हो जाते हैं, लेकिन हमारे किसानों को वह सुविधा नहीं मिलती है।

शिवहर संसदीय क्षेत्र सहित मेरा प्रदेश बिहार पिछले कई वर्षों से सूखे की मार झेल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा प्रेस में दिए गए बयान के मुताबिक राज्य में सूखे जैसी स्थिति है। बिहार में अब तक हुई बारिश में 20 प्रतिशत की कमी आई है। बहुत ही कम हुई बरसात के कारण अब तक सिर्फ 41 धान की फसल की रोपाई हो पाई है। यह तो समझा जा सकता है कि मौसम पर तो किसी का बस नहीं है, परन्तु सूखे से निपटने की अच्छी व्यवस्था होने पर किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है और देश की खाद्यान्न समस्या से निजात मिल सकती है। वैकल्पिक तरीकों से सिंचाई जैसे बोरिंग, ट्यूबवेल इत्यादि का इस्तेमाल करके खेतों को पर्याप्त पानी उपलब्ध करा कर, उन्नत एवं सब्सिडाइज्ड बीज उपलब्ध करा कर खेती को अच्छ किया जा सकता है। वैकल्पिक फसल लगाकर जिसमें कम पानी का उपयोग होता है, सूखे की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। बिहार सहित देश के तमाम किसान आशा भरी निगाहों से केन्द्र एवं राज्य सरकारों की ओर देख रहे हैं। इस प्राकृतिक त्रासदी से अविलंब छुटकारा मिलना चाहिए और इसमें हमारे केन्द्र सरकार की सबसे बड़ी भूमिका है। सूखे के प्रति जागरूकता, सतर्कता एवं भरपूर समर्थन देकर हम वाकई में मजदूरों, ग्रामीणों एवं किसानों के लिए अच्छे दिन ला सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे

प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, प्राकृतिक विपदा तो आती ही रहती है, उस पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन सच है कि विपत्तियां जब आती है तो कायरों को दहलाती, है सूरमा विचलित नहीं होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने 750 करोड़ रुपये एक बार देकर जो उजड़ गए थे, उनको विस्थापित करने का काम किया है। हम यह भी कहना चाहेंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आज प्रधानमंत्री जी की कोशिश बेकार नहीं जाएगी, संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो मत, किए बिना ही जय-जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : महोदय, महाराष्ट्र के साथ अन्य प्रदेशों में सूखा और बाढ़ से जो गंभीर स्थिति पैदा हुई है, उसके ऊपर नियम 193 के तहत जो चर्चा हो रही है, उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

खासकर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में इस वर्ष जिस तरह सूखे की हालत पैदा हुई है, इस सत्र में कई सांसदों ने शून्य काल में इस बारे में चर्चा उपस्थित की और शासन का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ का जो सूखाग्रस्त एरिया है, वहां केन्द्र सरकार की तरफ से आज तक कोई भी टीम नहीं गई है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में आठ जिले हैं, आठों जिलों में हर दिन कम से कम पांच किसान खुदकुशी करते हैं, सिर्फ मराठवाड़ा के आठ जिलों में कल तक 424 किसानों ने आत्महत्या कर ली। इस वर्ष महाराष्ट्र के विदर्भ में 1410 किसानों ने खुदकुशी की, इसका कारण सूखा है। तीन वर्ष हो चुके, वहां एक बूंद बारिश नहीं हुई। इसी वजह से लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, खेती के लिए पानी नहीं है, जानवरों के लिए पानी नहीं है, किसान अपने जानवरों को कसाईखाने में बेचते जा रहे हैं। भगवान की कृपा से जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ, इस मनुष्य देह को खुदकुशी करने के लिए समर्पित करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि खुदकुशी करने वाले की उम्र 45 से 50 वर्ष के अंदर है। कर्ज बहुत हो चुका है, घर में बिटिया बड़ी हो रही है, उसकी शादी नहीं हो रही है, बैंक का लोन है, उनका हफ्ता पूरा नहीं कर सकते, बैंक का हफ्ता न देने की वजह से बैंक की रिकवरी आती है, इसी वजह से परेशान सारे किसान बूढ़े मां-बाप का विचार नहीं करते, बीवी का विचार नहीं करते, बाल-बच्चे का विचार नहीं करते और परेशान होकर एक दिन बाजार जाते हैं, जहर खरीदते हैं और अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं।

15.00 hrs

उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ इस वर्ष, यानी एक जनवरी से दिसम्बर कल तक जिन 424 किसानों ने आत्महत्याएं कीं, उन तक सरकार की कोई सहायता नहीं पहुंची। यह दुर्भाग्य की बात है। हम यहां मांग करते हैं, चर्चा करते हैं, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़णवीस ने साढ़े चार हजार करोड़ रुपये का पैकेज देने की विनती की है। कल महाराष्ट्र के रेवन्यू मिनिस्टर ने संबंधित केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात करके रिक्वैस्ट की कि आप महाराष्ट्र के किसानों के लिए साढ़े चार हजार करोड़ रुपये का पैकेज दीजिए, ताकि हम उनकी जान बचा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें किसानों की जान तो बचानी है, लेकिन उसके साथ-साथ, जैसे मैंने बताया कि जानवरों की भी जान बचाने की जरूरत है। वहां पशु-पक्षी भी मर रहे हैं। पूरा प्रदेश सूखे से बहुत प्रभावित है। मराठवाड़ा और विदर्भ के प्रदेश इस गंभीर स्थिति से आज से नहीं, कई सालों से जूझ रहे हैं।

सूखे की समस्या का समाधान करने के लिए जिस तरह का प्रावधान करना चाहिए था, वह आज तक नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में पानी की कमी नहीं है। कोंकण जिले के रतनागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ जैसे ऐसे जिले हैं, जहां बारह मास नदियां भरती रहती हैं। बारिश में उन नदियों में बाढ़ आ जाती है। पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में नदी जोड़ो कार्यक्रम की सिर्फ घोषणा हुई, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। मेरी आपके माध्यम से सम्माननीय प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना है कि महाराष्ट्र में सूखे की वजह से जो गंभीर स्थिति है, उसका हल निकालने के लिए आप गंभीरता से ध्यान दीजिए और जिन नदियों में बारह मास पानी बहता रहता है, उन नदियों का पानी मराठवाड़ा और विदर्भ के सूखाग्रस्त एरियाज में लेने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा किया तो वहां की जनता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। उसके साथ-साथ वहां की जनता और जानवरों की जान भी बच सकती है। जब नर्मदा सरोवर का पानी कच्छ जैसे रेगिस्तान में जा सकता है और कल का रेगिस्तान आज एक हरियाली जैसा जिला दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र और कई एरियाज में आज तक हम ऐसा नहीं कर पाये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सूखे की चर्चा यहीं समाप्त होनी चाहिए। हम प्रश्न काल या अन्य सुविधा लेकर महाराष्ट्र या मराठवाड़ा की इस गंभीर समस्या को यहां उठाते रहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि केन्द्र सरकार की एक टीम मराठवाड़ा और विदर्भ के सूखाग्रस्त एरियाज की असली स्थिति को देखकर एक रिपोर्ट तैयार करे। लेकिन केन्द्र शासन के माध्यम से महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए जिस तरह का प्रयास करना चाहिए था, वह नहीं हुआ।

मैं आपके माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि वह महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के किसानों और जानवरों की जान बचाने के लिए गंभीरता से प्रयास करके लोगों को राहत पहुंचाये। धन्यवाद।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के बहुत बड़े हिस्से में हुदहुद का प्रभाव पड़ा था। उसके साथ-साथ मधुबनी, जो मेरा क्षेत्र है, वहां भी हुदहुद के आंशिक प्रभाव पड़े। बेनीपट्टी और बिस्फी, इन दो ब्लाक्स में कई गांव ऐसे हैं, जहां काफी क्षति हुई, बर्बादी हुई। जब इसका मूल्यांकन किया गया तो उसमें इन गांवों का मूल्यांकन नहीं हो पाया, जिससे उन्हें जो भरपूर सहायता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पायी।

मेरा आग्रह है कि उन लोगों को भी पूरी सहायता मिले और इसकी ठीक से समीक्षा, मूल्यांकन और सर्वेक्षण हो तथा उन लोगों को भी सहायता मिले। बात यह है कि प्राकृतिक आपदा का कारण क्या है, जब तक उसके कारण का निवारण नहीं होगा, हम रिलीफ बांटते रहें, सहायता देते रहें, उससे किसी समस्या का निदान नहीं होगा। हमने प्रृकति के साथ छेड़छाड़ की है। हमने पहाड़ पर से लकड़ियाँ काटी हैं, पहाड़ को नंगा किया है। पहाड़ से जमीन का, भूमि क्षरण होता है, सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, उन नदियों में इतनी मिट्टी आती है कि सभी नदियों के पेट भर जाते हैं। उन नदियों को दोनों तरफ से बांध से घेर दिया गया है। पानी का बहना सहज स्वभाव है। उसे बहने का रास्ता चाहिए। हमने उसके रास्ते को घेरा है। प्रकृति के विरुद्ध, उसके स्वभाव के विरुद्ध हमने काम किया है। जब मिट्टी ऊपर से आती है तो नदी का पेट गाद से ऊँचा होता गया, अब नदी ऊँची होती जाती है और दोनों तरफ की जमीन गहरी होती चली गयी है। बाढ़ का पानी हर साल ऊँचा उठता जाता है। जब बांध टूटता है तो वह प्रलयंकारी हो जाता है। गांव के गांव बर्बाद हो जाते हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि नदियों के सभी तटबंधों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया जाए, नदियों को स्वतंत्र कर दिया जाए। जब तक हमारे मिथिलांचल में ऐसी स्थिति थी तब ऐसी दुर्गति नहीं होती थी। जब से यह बांध बांधा गया है तब से हम दुर्गति में आ गये हैं। इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए।

पानी के बहाव के जो परम्परागत स्रोत- नदी, नहर, नाले थे, उनका अतिक्रमण कर लिया गया, लोगों ने उन्हें भर दिया। ताकतवर लोगों ने घर बना लिया। मेरे मिथिलांचल में एक-एक तालाब 50-100 एकड़ का था। वे सभी अंग्रेजी राज में खुदवाया गया था, उसमें बाढ़ का पानी आता था। एक बाढ़ का पानी तालाब के पेट में चला जाता था। अब उन पोखरों को भर दिया गया, भूमि-सुधार के नाम पर उसको बांट दिया गया, उसमें खेती हो गयी। अब बाढ़ का पानी आता है तो उसके रुकने के लिए कहीं तालाब नहीं है जो डैम का काम करता था, उससे सिंचाई भी होती थी, मछली पालन होता था और बाढ़ से सुरक्षा भी होती थी। जितने नहर नाले-पैन थे, वे सब भर दिये गये। मनरेगा योजना के द्वारा एक अभियान चलाया

जाए कि ऐसे जितने परम्परागत सिंचाई के स्रोत थे और पानी भरने के स्रोत थे, उन्हें अतिक्रमण से मुक्त करके सभी की खुदाई कर दी जाए, मृत नदियों की खुदाई कर दी जाए ताकि बाढ़ का पानी आवे तो सीधे बहते हुए गंगा नदी या समुद्र में चला जाए, वह कहीं न रुकने पावे। इससे हमें लाभ मिलेगा। हमें इस पर जोर देना चाहिए। मधुबनी और दरभंगा में पश्चिमी कोसी नहर बनायी गयी। उसकी जो रेखांकन है, पानी पहाड़ पर से आता है और उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है। पश्चिमी कोसी नहर की सभी नहरें पूर्व से पश्चिम की ओर हैं। पानी के विपरीत इन नहरों के जो बांध हैं, उनके कारण पानी रुकता है। नहर के भी बांध टूटते हैं और बाढ़ की समस्या निरंतर बढ़ती जाती है। इसीलिए बगहा, बाल्मिकी नगर से लेकर किशनगंज तक, पश्चिम से पूर्व तक एक नहर की खुदाई की जाए ताकि हिमालय से आने वाली नदियाँ, मिथिलांचल में लगभग एक-दो दर्जन नदियाँ हैं, वे सब उस नहर से जुड़ जाएं और सभी नदियों में एक बार बाढ़ नहीं आती है, किसी एक नदी में जब बाढ़ आएगी तो वह उस नहर के द्वारा सभी नदियों में बिखर जाएगी। जब पानी आएगा तो उससे सिंचाई का कार्य भी होगा, उसमें डैम बना दिया जाए। हमारे यहाँ एक छोटी नदी- बछराजा है, जो अंतःसलिला नदी है, उसमें 12 महीने तक जल स्रोत के रूप में पानी निकलता रहता है। उस पर हम लोग लड़ते रहे। यदि उसमें जगह-जगह पर स्लूस गेट बना दिया जाए तो बाढ़ की समस्या भी रुकेगी और साथ-साथ उससे सिंचाई भी होगी। किसान, ग्रामवासी, गरीब, मजदूर जो चाहते हैं, उनकी इच्छा के अनुरूप योजना नहीं बनती है। योजना शिखर से बनती है और सतह पर जाती है। योजना सतह पर बने और शिखर उसे लागू करे। शिखर से योजना बनावे और सतह पर लागू करावे तो वह जन विरोधी योजना बन जाती है। इसलिए मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री से यह निवेदन करूंगा कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। गांव से योजना बने और दिल्ली आवे। दिल्ली उसका कार्यान्वयन करे तब गांवों का कल्याण और विकास होगा तथा बाढ़ की समस्या के साथ प्राकृतिक प्रकोप का निराकरण हो सकता है।

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : अभी हमारे वरिष्ठ सांसद अपने विचार रख रहे थे, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। वास्तव में लोगों ने अतिक्रमण करके सब रास्ते पाट दिए, पानी निकलने की कोई जगह नहीं छोड़ी।

मैं विषय पर आना चाहता हूं, हाल ही में तीन बड़ी-बड़ी त्रासदियां आईं। गढ़वाल में ऐसी त्रासदी आई कि जैसे बादल फटा हो, कहीं किसी को वार्निंग न मिली हो, निकलने का रास्ता न हो। वह ऐसा समय था जब लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए गए थे। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से लाखों लोग वहां एकत्रित थे और एकदम पानी के आने से तमाम रास्ते कट गए। स्थिति यह हुई कि स्थानीय प्रशासन का पता ही नहीं चला कि स्थानीय प्रशासन कहीं है या नहीं। हमें सोचना यह चाहिए कि अगर योजना बनानी है तो जिस क्षेत्र में इस प्रकार की त्रासदी आम तौर से आती रहती है, वहां पर प्रशासन में हमें किस प्रकार की संस्कृति को विकसित करना चाहिए। लोगों में जिम्मेदारी बंटे कि ये लोग बाढ़ का काम देखेंगे, ये लोग बाहर निकालने का काम देखेंगे और ये लोग वहां स्थानीय रूप से रहकर देखेंगे जिससे किसी यात्री को कोई दिक्कत न आए। मुझे आज यह कहने में बड़ा कष्ट हो रहा है कि वहां बाढ़ आई थी, सभी लोग घिरे हुए थे, कहीं जाने का रास्ता नहीं था और दूसरी ओर कुछ लोग बाहर से आकर उन यात्रियों के साथ ज्यादती कर रहे थे, महिलाओं के साथ ज्यादती कर रहे थे। अगर किसी के हाथ में जेवर था और वह नहीं निकल पाया तो उसके हाथ तक काट दिए और उसको लूटा गया। यह बात एक दिन या दो दिन नहीं, हफ्तों तक चलती रही, स्थानीय प्रशासन का कहीं अता-पता नहीं था। एक मिसाल मेरे अपने जनपद की है। वहां 50 यात्री दर्शन करने के लिए गए, उनमें एक स्थानीय विधायक भी थे। जब दो दिन तक वे चलते रहे, उनको कहीं बैठने की जगह भी नहीं मिली, तब वे एक उस जगह पहुंचे जहां एक छोटा सा रेंस्तरां था, उसमें तख्त पड़ा हुआ था। उन्होंने उससे शरण मांगी तो उन्हें 1000 रुपये केवल आधे घण्टे उस तख्त पर बैठने के लिए देने पड़े। आखिर सरकार की जिम्मेदारी क्या है? वहां जो राज्य सरकार थी, उसकी यह जिम्मेदारी बनती थी इस बात को देखने की कि वहां क्या व्यवस्था है और क्या नहीं है। मेरा पहला बिन्दु यही है कि हमें इस पर विचार करना चाहिए कि जो क्षेत्र त्रासदीग्रस्त हैं, जहां आम तौर से त्रासदी आती रहती है, वहां हमारी सारी योजना बननी चाहिए। हमने जिले से लेकर, प्रदेश से केन्द्र तक डिस्ट्रेस मैनेजमेंट के संगठन तो बना दिए, लेकिन कभी उनकी ड्रिल नहीं होती, उनकी आपस में इंटरएक्शन नहीं होती और वहां सही दिशा नहीं मिल पाती है। यह उसी का परिणाम है। यह एक संतोष की बात है कि हाल ही में कश्मीर में जो त्रासदी आई, जिस प्रकार से केन्द्र सरकार ने आगे बढ़कर, खुद प्रधान मंत्री जी ने नेतृत्व प्रदान करके उस त्रासदी को रोकने और वहां के लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की, सारे विश्व में आज

उसकी चर्चा है कि भारत आज इतना बदला है, इतनी तीव्रता के साथ वह कार्रवाई कर सकता है। यह एक संतोष की बात है। अभी दूध की बात आई, बहुत-से लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों की चर्चा की कि किस प्रकार से वहां विनाशकारी लीला हुई। इसमें मेरे दो-तीन सुझाव हैं। एक, जो हमारा वार्निंग सिस्टम है, आज टेक्नोलॉजी के इस युग में इस वार्निंग सिस्टम को जितना मॉडर्नाइज होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। अभी कुछ समय पहले अमेरिका में भयंकर तूफान आया था, वहां तीन दिन पहले चेतावनी दे दी गयी और सरकार की पूरी मशीनरी उन लोगों को बाहर निकालने में लग गयी। संभवतः किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। सम्पत्ति का नुकसान आना स्वाभाविक है, लेकिन जान का नुकसान उन्होंने बचा लिए। हमारे यहां जब त्रासदी आ जाती है, तब चेतावनी दी जाती है। हम कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। साइक्लोन के बारे में हम बता सकते हैं, बारिश के बारे में एडवांस में बता सकते हैं।"बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट" एक टर्मिनोलॉजी है, आखिर ज्यादा बारिश होने को ही बादल फटना कहते होंगे? क्या हमारे वैज्ञानिक इस बात के बारे में अभी तक अध्ययन नहीं कर पाए हैं? जिस देश के वैज्ञानिक इतने आगे बढ़ सकते हैं कि मार्स तक अपना यान भेज सकते हैं, क्या वहां बात इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि हम लोग तीन या चार दिन पहले इस बात का अनुमान लगा सकें कि वहां पर क्या होने जा रहा है? उस बादल फटने से तमाम का तमाम गढ़वाल बर्बाद हुआ है। कश्मीर में भी यही हुआ। एकदम से इतनी बारिश हुई और जैसे पहले भी कहा गया है कि प्रशासन किस के लिए है, सरकार काहे के लिए है? अगर सारे क्षेत्रों में एनक्रोचमेंट होता रहेगा, जहां जिसका मन आयेगा, मकान बना लेगा, जहां जिसका मन आयेगा, रुकावट पैदा कर देगा, सड़कें बना देगा और पानी निकलने की जगह खाली नहीं रहेगी, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आज हम उसी भयंकर भूल का परिणाम भुगत रहे हैं और उसकी बहुत बड़ी कीमत हमें देनी पड़ रही है। क्या यह संभव है कि हम इस आपदा से सबक लेकर, चाहे आपदा गढ़वाल में आई हो, कश्मीर में आई हो, ऐसी त्रासदी जहां भी आई है, वहां से हम एनक्रोचमेंट हटा सकें। अगर अतिक्रमण हट गया होता, तो पानी के बहने की जगह मिल गयी होती और यह त्रासदी न हुई होती।

दूसरी बात रिलीफ मेज़र्स की है। अगर कश्मीर में केन्द्र सरकार हरकत में नहीं आई होती, तो वहां भी हालत यही होती, क्योंकि रिलीफ के नाम पर वहां शून्य था। प्रदेश सरकार तब हरकत में आई जब केन्द्र सरकार ने अपनी टीमें वहां भेजनी शुरु कर दीं। सेना को लगना पड़ा और सेना ने जिस बहादुरी के साथ उस काम को संभाला, उसकी भी प्रशंसा चारों तरफ हुई। इसमें सोचने की बात यही है कि किस प्रकार से हम इस त्रासदी का प्रभाव कम से कम कर सकें। हम इसे खत्म तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुदरत की

मार है, लेकिन निश्चित रूप से हम उसका प्रभाव कम कर सकते हैं और जान-माल की रक्षा कर सकते हैं। इसी बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा, जो देश की दैवी आपदा से प्रभावित है, चाहे आंध्र और उड़ीसा में हुदहुद हो या महाराष्ट्र का सूखा हो, जम्मू-कश्मीर की बाढ़ हो या उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग में सूखे से त्रासदी हुई हो और पूर्वांचल में उस समय बाढ़ की विभीषिका से काफी मौतें हुई हों, ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं।

मैं समझता हूं कि हम सब चुनकर इसलिए सदन में आते हैं कि देश की जनता को, इस तरह की जो समस्याएं या चुनौतियां हैं, कम से कम उन चुनौतियों के समाधान के लिए, केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्यों का भी हम ध्यान आकृष्ट कर सकें और उसका समाधान कुछ निकल सके। ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा में कदाचित, अगर पूरा सदन उपस्थित रहता, तो बहुत अच्छा लगता। पूरे देश की जनता इस बात का आभास करती है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम की बाढ़ हो, महाराष्ट्र का सूखा हो या आंध्र और उड़ीसा का हुदहुद हो, देश के सभी भागों की प्राकृतिक आपदा पर चर्चा हो रही हो और उसमें जो अपने को सम्मानित विपक्ष कहते हों, वे सदन से अगर बाहर रहें, तो वे अपनी जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सदन के रिकार्ड पर जरूर आना चाहिए।

वर्ष 2014 में, इस खरीफ के समय, जिन समस्याओं पर चर्चा हो रही है, उसमें मैं सूखे की तरफ आता हूं। खुद माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि खरीफ 2014 के दौरान, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक में सूखे की स्थिति है। हरियाणा के 21 जिले, कर्नाटक के 9 जिले और 34 ताल्लुका, उत्तर प्रदेश के 44 जिले और महाराष्ट्र के 22 जिले सूखाग्रस्त घोषित हुए थे।

मान्यवर, जब किसान की खून-पसीने की कमाई की फसल का 50 प्रतिशत भाग खराब हो जाता है, तब एक मानदंड होता है कि प्रशासन राज्य सरकार को संस्तुति भेजता है और राज्य सरकार फिर उसे सूखाग्रसित घोषित करती है। महाराष्ट्र के सूखे की स्थिति की भी चर्चा हुई है और वर्ष 2011 में महाराष्ट्र में सूखे के कारण 608 मौते हुईं, वर्ष 2012 में 642 मौते हुईं, वर्ष 2013 में 407 आत्महत्याएं हुईं। अगर आज भी देश की आजादी के इतने वर्षों के बाद, इस तरह की दैवी आपदाओं से लोगों को आत्महत्याएं करने पर विवश होना पड़े, लोग इस तरह से अपनी जीवन-लीला को समाप्त करें।

यह सदन कहीं न कहीं निश्चित तौर से चिंतित है कि इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि देर से आए मानसून के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रोटेक्टिव इरीगेशन के लिए डीजल पर सौ करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। यह निश्चित तौर से एक स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा पुनः बुआई और सूखे के बाद जो बीज खराब हो जाते हैं, उसके लिए

भी राज सहायता बढ़ायी है। समेकित बागवानी के लिए सात सौ करोड़ रुपये सूखे की स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार ने दिए हैं। सूखा पड़ने पर तालाब सूख जाते हैं, पानी का संकट हो जाता है, फोडर का संकट हो जाता है। इससे हमारे देश के किसान जूझते हैं। इसके लिए वर्ा 2014-15 में राट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सौ करोड़ रुपये दिए गए। यहां तक की चारा सामग्री में तेल रहित सोया खली, मूंगफली की खली, सूरजमुखी की खली, कनोला की खली, राइसब्रोन और पामगिरी केक के आयात पर शुल्क की माफी की गयी है। इस तरह से चारे की उपलब्धता के लिए सरकार द्वारा राहत दी गयी है। यह भी कहा गया कि हम जो राट्रीय कृाि विकास योजना का पैसा राज्यों को देते हैं, उस राट्रीय कृषि विकिास योजना में राज्य सूखे की स्थिति को देखते हुए दस प्रतिशत स्थानीय प्राथमिकताओं को देखते हुए खर्च कर सकते हैं। लेकिन आज स्थिति है। उत्तर प्रदेश में 44 जिले सूखे की चपेट में आ गए। इन जिलों में सेन्ट्रल टीम भी गयी और इनको सूखाग्रस्त घोाित कर दिया गया। लेकिन अभी भी सूखा राहत कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा कि फरवरी और मार्च के महीने में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आयी। इसके अलावा इतनी ओलावृष्टि हुई कि किसानों की पूरी फसल खराब हो गयी। उसके संबंध में 17 अप्रैल 2014 को सहायता के लिए एक चिट्ठी लिखी गयी। यहां से एक सेन्ट्रल टीम गयी थी। राज्य सरकार ने पहले पांच सौ करोड़ रुपये की मांग की थी, बाद में 365.28 करोड़ रुपये का अमेंडेड मेमोरेंडम यहां भेजा गया। जो जिले ओलावृष्टि से प्रभावित हैं, यही सूखे की भी चपेट में हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों को एक दोहरी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। 10 अक्टूबर को केन्द्र सरकार ने क्वैरी की थी, जिस को राज्य सरकार ने संशोधित कर दिया। ओलावृष्टि से प्रभावित जनपदों को क्षतिपूर्ति देने के लिए जो मेमोरेंडम आया है, माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए मेमोरेंडम के अंतर्गत निश्चित तौर से पैसा देने का काम करेंगे, जिससे वहां के किसानों को राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर साल बाढ़ आती है। इसी सदन में हमने पिछली बार उठाया था कि बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, बहराइच में पिछली बार साढ़े आठ लाख लोग प्रभावित हुए। जिनमें से 82 लोगों को मौत हुई थी। पूरे प्रदेश का अधिकांश भू-भाग जहां सूखे से प्रभावित था, वहीं इस बार भी बाढ़ की स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फैजाबाद, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर और सिद्धार्थनगर थी। यह रिलीफ कमिश्नर का बयान है कि साढ़े आठ लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। 1037 गांव महरूम हुए और उस बाढ़ की प्रलयकारी स्थिति हर साल हमारी नियम बन गयी है। नियत इसलिए बन गयी है कि नेपाल में यदि थोड़ी बारिश होती है और हमारी 17 सौ किलोमीटर की सीमा जो कि टनकपुर से लेकर बिहार के रक्सौल तक

और उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और बिहार तक सीमाएं मिली हुई हैं। उन सीमाओं पर बाण गंगा का बैराज है या नेपाल की करनाली नदी और जलकुण्डी नदी है, उन पर जो बैराज हैं, जब वहां बारिश होती है और बैराज भर जाते हैं तो उस पानी को जैसे ही छोड़ते हैं तो पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ से प्रभावित हो जाता है।

पिछली बार हमने इस बात को कहा था और उस दिशा में माननीय प्रधान मंत्री जी जब नेपाल गये थे तो उन्होंने इस पर बातचीत की थी और उनके प्रयास से यह सफलता मिली थी। फिर अतिरिक्त पानी नेपाल सरकार ने नहीं छोड़ा था जिसके कारण जो प्रलय आती, वह प्रलय नहीं आई। इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड पैरामीटर हो जाए कि अगर कहीं बाढ़ या सूखा हो और जब केन्द्र अपना ज्ञापन भेजता है और सेंटर की टीम चली जाती है तो अगर ये सारे काम समयबद्ध ढंग से हो सकें क्योंकि आज जिस ढंग से खुद प्रआन मंत्री जी ने रुचि ली, जैसे जम्मू-कश्मीर का जिक्र हमारे साथियों ने किया कि श्रीनगर में जब बाढ़ आ गई, तो राज्य सरकार जैसे पंगु हो गई हो, उस समय भी पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को यह लगा कि सम्पूर्ण देश हमारी इस दैवीय आपदा के समय में चट्टान तरह हमारे साथ खड़ा है। लोगों को लगा कि खुद प्रधान मंत्री जी वहां गये और वहां फिर प्रधान मंत्री कार्यालय में जितेन्द्र सिंह जी गये, उसके बाद उन्होंने कैबिनेट सैक्रेटरी को लगाकर वरिष्ठ अधिकारियों को इस काम पर सुपुर्द किया जबकि उसके पहले 1000 करोड़ रुपये का पैकेज वे दे चुके थे। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा और जब प्रधान मंत्री जी गये तो लोगों ने उनसे मांग की कि जो हमारे घरों का नुकसान हुआ है, उसके पुनर्वास के लिए अगर उन लाभार्थियों को सीधे पैसा दिया जाए तो अच्छा होगा।

उस दिशा में जैसे रमा बहन ने कहा, 570 करोड़ रुपया सीधे उन लाभार्थियों को दिया गया जिससे वे अपने घरों का निर्माण कर सकें। इसी प्रकार से 175 करोड़ रुपया वहां के 6 अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए दिया गया। इसी तरीके से नेशनल टाईफून भी हमारे देश के लिए एक चुनौती थी। उस चुनौती के कारण इस बार जिस तरह से सुनामी में मौतें हुई थीं, फैलन में भी हुई थीं। इसीलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में कारगर कदम उठाते हुए स्थिति में सुधार लाया जाए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आन्ध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के अंदर आये हुए तूफान हुदहुद और जम्मू-कश्मीर में आई हुई बाढ़ तथा महाराष्ट्र के सूखे पर बोलने का अवसर दिया।

मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद के फूलपुर लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं और जो मेरा लोक सभा क्षेत्र है, वहां गंगा और यमुना का पावन संगम है। जहां संगम के कारण पूरी दुनिया प्रयाग आती है, वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष मेरा पूरा इलाहाबाद शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के सुराहू तहसील और फूलपुर तहसील के सैकड़ों गांव पूरी तरह से डूबने की स्थिति में रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बाढ़ की इस स्थिति के कारण मेरे क्षेत्र की लाखों बीघे जमीन बाढ़ में कट-कटकर गंगा जी में समा गई लेकिन उसके लिए कोई मुआवजे की व्यवस्था नहीं की गई। शहर बार बार बाढ़ में डूबता है। बाढ़ से बचाने के लिए वहां पर बांध की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं चूंकि किसान परिवार से आता हूं, किसान का जो दर्द होता है, वह दर्द मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि एक किसान जब अपनी फसल खेत में बोता है और बोने के बाद वह इस अपेक्षा से पूरे परिवार के साथ परिश्रम करता है कि पूरी फसल तैयार होने के बाद वह अपने घर उस फसल को काटकर लाएगा और उससे अपने परिवर का पालन-पोषण करेगा।

जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या नील गायों की भी रहती है। किसान की फसल जो पूरी तरह से बर्बाद होने की जो स्थिति बनी रहती है, उस संबंध में मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि किसान इस समय बहुत संकट में है। किसान की खेती बाढ़ से बर्बाद हो रही है तथा उसके खेत और घर बाढ़ में डूबे जा रहे हैं। हुदहुद तूफान की चर्चा यहां पर हो रही है। मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हुदहुद तूफान केवल आंध्र और उड़ीसी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका असर मेरे लोक सभा क्षेत्र तक था, वहां कई दिनों तक वर्षा के साथ तेज हवाओं के कारण लाखों बीघे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जो धान की फसल थी, खरीफ की फसल थी, वह हवा के कारण गिर गई, जिससे किसानों को एक बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से किसानों ने इतने बड़े संकट का सामना किया है, उस संकट को ध्यान में रखते हुए भविष्य में यदि इस प्रकार के संकट आए ।

HON. DEPUTY SPEAKER: You can continue your speech on Monday.

Now, the House will take up Private Members' Business.

15.31 hrs

MOTION RE: SECOND REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): Sir, I beg to move the following:-

> "That this House do agree with the Second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 3rd December, 2014."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 3rd December, 2014. "

The motion was adopted.

15.32 hrs

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION
Implementation of the recommendations of the National Commission on Farmers- Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, two hours time allotted for discussion on this Resolution is almost complete. As there are eight more Members to take part in the discussion on the Resolution, the House has to extend the time for further discussion on the Resolution. If the House agrees, the time for the discussion on the Resolution may be extended by one hour.

I think you all accept the extension of time. Therefore, we extend the time by one hour.

Now, Shri Bhartruhari Mahtab to continue.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, the Resolution that is before us for discussion moved by our hon. colleague, Shri Raju Shetti is relating to the National Commission on Farmers, also known as the Swaminathan Commission Report which deals the issues in five big volumes.

At the outset, I would say that two hours time is not enough to actually dwell into the issues that are mentioned by the Swaminathan Commission. Sir, you have been kind enough to extend it by one hour but I think more Members will be interested to participate in this Resolution. But I would say, as the customary practice is, let us complete one hour and then the sense of the House can be taken.

I had made some initial remarks on 1st August, 2014 and after that, there was a demand from the Members present in the House and that is why it was postponed. Again, today, the 5th of December, practically after 3-4 months, I am now on my legs to participate in this discussion.

I was going through my last deliberations and I was actually discussing the support price mechanism that is prevalent today in our country. Do we not know that the cost of production is invariably higher than the Minimum Support Price,

because of ever increasing prices of inputs? That is one of the major reasons why indebtedness of farmers is increasing in rural areas. Indebtedness of people living in rural areas is increasing manifolds. Indebtedness of farmers is also increasing in a greater way because the Minimum Support Price that is being provided to the farmers is not commensurate with the expenditure on inputs that farmers incur to produce their agricultural products.

Scientists and other people have found out that investment in agriculture is also in the decline over the past two decades. An unfortunate consequence of the constellation of hardships faced by small farm families is the growing number of suicides among farmers. The cost risk return structure of farming is becoming adverse. Consequently, indebtedness is growing in rural areas.

According to NSSO, 59^{th} Round, the average monthly per capita consumption expenditure of farm household across India was Rs. 503 in 2003. All India average monthly income per farmer household during the same period was Rs.2,115. The figure was Rs.1,062 for Odisha and Rs.1,633 for Uttar Pradesh. Therefore, I would urge the Government that there is a need for policy reform in agriculture, which is very much overdue and the Government should look into this aspect at the earliest. Such policy reform should be pro-small farmers, pro-women and pro-landless agriculture labour. If we do not attend to the problems of small farm and landless labour families with a sense of urgency and commitment, the Indian enigma, as it is being said, of the coexistence of enormous technological capability and entrepreneurship on one hand and extensive under nutrition, poverty and deprivation on the other will not only persist but will lead to social disruption and violence and increasing human insecurity.

To understand this issue, I would like to delve on this point a little further. On one side the agriculture university is there, technology has been brought in and a large number of scientists are engaged in agriculture, but on the other side, impoverishment of farmers is so large that their children are undernourished. They do not earn that much of income to make their families survive. If this is the

situation in our society, then social friction is bound to happen and violence is bound to occur. To mitigate that there is a need to have a course correction; there is a need to have a new policy on agriculture.

The basic recommendation of Dr. Swaminathan's five volume report is, "Increase farm productivity and profitability in perpetuity without associated ecological harm." This one line itself surmises the total report of five volumes. There is a need to increase productivity. There is also a need to increase profitability. It is not that it should only happen for one year or two years, it should continue. There should be a system that profitability and productivity increase for perpetuity without associated environmental ecological harm. It should not create problem for the living beings on this earth.

There is a need to convert the agricultural crisis to an opportunity. The hon. Prime Minister repeatedly says, if there is a crisis, let us treat it as an opportunity. I think this the right time to do that by not only reversing the decline but for taking the agricultural revolution forward by helping farm families to bridge the gap between potential and actual yield in all major farming systems.

The NCF report in five volumes contains suggestions to achieve the goal of "faster and More Inclusive Growth" as envisaged in the Approach Paper of the 11th Five Year Plan.

Sir, the key finding of the Swaminathan Report is this. They have noted down the causes of farmers' distress. The major causes of agrarian crisis are unfinished agenda in land reforms, quantity and quality of water, technological fatigue, access, adequacy and timeliness of institutional credit and opportunities for assured and remunerative marketing. Adverse meteorological factors add to these problems. These are the factors for distress of farmers. They have further gone to explain the inequitable land holdings, and some of the main recommendations that they have made in their Report relates to distribution of ceiling-surplus and waste lands. This is nothing new as for the last 40 years we have been hearing this. Secondly, prevent diversion – and this is more important,

specially, for the farmers from Punjab who have been agitating - of prime agricultural land and forest to corporate sector for non-agricultural purposes. Thirdly, ensure grazing rights and seasonal access to forests to tribals and pastoralists and access to common property resources. Fourthly, establish a National Land Use Advisory Service, which would have the capacity to link land use decisions with ecological, meteorological and marketing factors on a location and season-specific basis. Fifthly, to set-up a mechanism to regulate the sale of agricultural land, based on quantum of land, nature of the proposed use and category of buyer.

These are the five parameters, which the Commission has mentioned, and based on the recommendation of the NCF and on the basis of consultations with State Governments as well as Central Ministries, the Union Government has approved the National Policy of Farmers (NPF) in 2007. We were informed that a regular monitoring mechanism has been put in place to oversee the progress of implementation. NPF 2007 provides for cooperative farming and service cooperatives as one of the methods to benefit the small and marginal farmers.

Dr. Swaminathan has been propagating that attention should be on the farmers. Increasing income per hectare was as much of a concern as improving yield per hectare. Improving the well being of farmers rather than concentrating on agricultural output should be the Government's focus to reverse the decline in agricultural growth. We should focus more on the economic well being of women and men feeding the nation than just production. Since the late 1960s, our concentration has been on how the yield will grow and how the productivity will grow, and by doing that we have left out farmers and their family. Dr. Swaminathan has said that our attention now should be focused on the farmers and their family, especially, women and men and then only the farm output will grow. If we move human beings from farm / agriculture side, then there will be very few persons who will engage in agriculture as it has happened in European countries.

Therefore, I would say that we should focus more on the economic well being of women and men feeding the nation than just production.

The fifth volume of the Final Report of the National Commission for Farmers, which came later on, suggests that agricultural progress be measured in terms of the net income of the farm families rather than just in million tonnes of farm commodities produced.

Recently, the Prime Minister has said that there is a need to translate the work that is being done in agriculture universities to the farm land. Though NCF's Report was submitted since 2006 and the policy adopted since 2007, suicide by farmers continue unabated and the distress of farmers has not been mitigated. Declining returns is the main reason why more and more farmers are getting into the debt trap. Farming has become capital-intensive, and a lot of money has to be spent. Those who provide it have become new moneylenders in rural areas and they are the actual exploiters. Therefore, there is a need to see that the farmers are not put to difficulty in availing soft loan, and the price of the input should be under control.

The Minimum Support Price should be determined in such a way that it would be profitable. The Government of India is providing concessional short-term crop loan to farmers through interest subvention. Many State Governments are also providing subvention in interest rate to the needy small and landless farmers. This is a great help, no doubt, to the agricultural farm hands in arranging seed, fertilizer and agricultural implements in time. However, this concession is not available to the fishermen, weavers, dairy farmers and women self-help groups in its present structure. They are equally vulnerable and also are in need of financing for starting and running their activities. The Government should include them in the target beneficiaries of the soft loan available for the agriculture farmers.

Although the share of commercial banks in dispensation of crop loan has reached a level of around 83 per cent of total crop loan at national level, in Odisha

their performance is not at all satisfactory, rather the share of commercial banks has been decreasing over the years. Their performance can be gauged from the achievement against the target during the last three years. In 2011-12, the target was Rs. 4,235.12 crore and the achievement was Rs. 2,270.31 crore, which was just 34 per cent. In 2012-13, the target was Rs. 4,566.75 crore and the achievement was Rs. 3,175.67 crore, which was 37 per cent. In 2013-14, that is, the last financial year, the target was Rs. 5,384.97 crore and the achievement was Rs. 3,103.64 crore, which was 30 per cent. The provision for providing loan to farm hands is declining year after year and this is another major cause of distress of our farmers.

Odisha is a calamity-prone State, as I have mentioned in my previous deliberations. During the last 100 years, the State has experienced as many as 77 years of natural calamity affecting the standing crops of farmers, besides extensive damage to their houses and cattle population. The commercial banks are expected to come forward with adequate credit to farm families. In order to motivate the commercial banks and RRBs to increase their share in crop loan dispensation, Odisha Government is providing substantial interest subvention on crop loan bringing down the effective interest rate to only two per cent. Will the Finance Ministry, I would urge upon this Government, to intervene and see that commercial banks perform better? It should not remain in 30 per cent, 33 per cent or 37 per cent; it should at least go beyond 50 per cent. This should be the case, I would say. I have not gone into the details of what is happening in Vidarbha region or in entire Maharashtra where a large number of suicides have taken place; or in Telangana region. I would say that this should be one of the major reasons because soft money is not being provided at the time of need to farmers or at the time when they want to buy seeds, equipment or fertilizers.

Dr. Swaminathan has urged that farm loans be provided at three per cent. In Odisha, through subvention, we have made a provision to provide loan at two per

cent. Why are commercial banks not disbursing crop loan and why is their share coming down?

Sir, I would not take much time and I would conclude in another five minutes. The other issue which I would mention is crop insurance. The Government of India have decided to implement National Crop Insurance Programme from 2013-14. For Rabi, it has been made compulsory. From the current Kharif season, that is, from 1st April 2014, the scheme has replaced the National Agricultural Insurance Scheme. The NCIP envisages charging of actuarial premium from the farmers on all the notified crops basing on the quotas given by the insurance companies.

It is observed that in one of the districts of Odisha where paddy is the main crop, the lowest premium was as high as 22 per cent. As per the operational guidelines of the NCIP, the premium is to be capped at 11 per cent and the sum assured for the farmers will be proportionately reduced. This scheme will be adding to the woes of the farmers' community. Who would go there with 22 per cent? The entire crop loan will not be covered in spite of paying a higher premium. There is an urgent need to review the scheme and introduce a new scheme on crop insurance, keeping the premium level of NAIS. Other than farming, insurance companies should come forward to cover insurance for fish pond. The Government should provide subsidy up to 50 per cent of the premium as insurance companies are demanding higher premium. Similar insurance cover should be encouraged for orchards.

There are many things to do. Dr. Swaminathan's Report has given so many suggestions. The first is to think of the man, not only the yield; treat the disease, not only the symptom. वैसे तो एक कहावत है जो मैंने पिछली लोक सभा में सुनी थी। I think that was in the 12th or 13th Lok Sabha. One of the senior Members had stood up here and said: हरि अनन्त, हरि कथा अनन्ता। Similarly, when anyone will stand up in this House to speak on agriculture, there is no end to it because every issue is related to agriculture. The total Budget, be it finance, be it animal husbandry, be it health, be

it anything, it all percolates down for the well-being of our farmers. Therefore, whenever we try to discuss anything about agriculture, we need more time and that too when Dr. Swaminathan has come out with such a voluminous Report and has given so many suggestions. I would only say likewise that agriculture is a very vast subject, varied in its problem and solution. It depends on the attitude of the Government. I hope, this Government would do something better.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजू शेट्टी द्वारा राष्ट्रीय कृषक आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार करने की बात के ऊपर जो निजी संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उस पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ है।

महोदय, यह रिपोर्ट स्वामीनाथन आयोग के नाम से जानी जाती है। मैं सिद्धांततः एक बात कहना चाहता हूं कि अभी हमने कुछ ही देर पहले इसी सदन में सूखे पर, बाढ़ पर, चक्रवात पर चर्चा की है, जो शुद्ध खेती से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि यह सोचने के नज़रिए का सवाल है। हम खेती पर आज चर्चा कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मान लिया जाए। पर, सवाल यह है कि हम उसके लिए अपना मापदंड क्या रखते हैं?

महोदय, मैं यह मानता हूं कि इस समाज में चार प्रकार के लोग हैं। कुछ अर्थवादी हैं, कुछ मतवादी हैं, कुछ राजनीतिवादी हैं और कुछ संस्कृतिवादी भी हैं। जो संस्कृतिवादी हैं, वे भी भिन्न प्रकार से बर्ताव करते हैं। कुछ बहुसंस्कृतिवादी हैं, कुछ द्विसंस्कृतिवादी हैं, जिन्हें हम प्रच्छन्न कहते हैं और कुछ संस्कृतिवादी हैं। मैं अपने आपको संस्कृतिवादी मानता हूं। इसलिए मैं यह मानता हूं और यह सच है कि यह देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन एक दूसरी भावना, जिसे हम लोगों ने नज़र अंदाज किया है कि हम ऋषि प्रधान देश भी हैं। अगर हमने प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया होता तो हम सिर्फ उत्पादन की चिंता नहीं करते, बल्कि उत्पादन करने वाले की सम्मान की भी चिंता करते। देश जब आज़ाद हुआ था, तब मेरे दादा जी ज़िंदा थे। हमारे पूरे परिवार के लोग पढ़ने में टॉपर रहे हैं। मेरे दादा जी ने मेरा पिता जी को नौकरी नहीं करने दी। वे कहते थे कि खेती सम्मान की बात है, नौकरी सम्मान की बात नहीं है। यह बहुत लंबी बात नहीं है कि मेरे पिता जी को मेरे दादा जी ने नौकरी करने से इन्कार किया था। लेकिन, आज मैं जब अपने बेटे के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ज़मीन बेच कर भी नौकरी कराना ज्यादा अच्छा है, अन्यथा अगली वाली पीढ़ी में यह मज़दूर होगा और उसके पास चार एकड़ भी ज़मीन नहीं बचेगी।

स्वामीनाथन जी ने जो वर्गीकरण किया, मैं राजू भैय्या से कहना चाहूँगा कि हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। डिबेट यहाँ रूकनी नहीं चाहिए। वर्ष 1950 से वर्ष 1972 तक 22 साल के कालखंड में इस देश पर काबिज लोगों ने किसान को बर्बाद करने के लिए खत्म किया। उन्होंने कहा कि हम भूमि सुधार कर रहे हैं, मध्यस्थ हों, किरायेदार हों या सीलिंग हों, यह एक्ट लागू करके इस देश के 22 साल और इस देश के किसानों के वेस्ट किए। उस पर सीलिंग लागू की गई और आज सीलिंग बाहर कर दी गई। जब उसके हिस्से से सब अधिकार निकल गए, व्यापारियों के हाथ में चले गए तो सीलिंग खत्म हो गई। मगर इससे देश का किसान खत्म हो गया, उसकी कमर टूट गई।

दूसरी बात, ये कहते हैं कि जो परत खेती है, उसको हम कृषि जोत में परिवर्तित कर देंगे। 13 साल इसी प्रयोग में चले गए। सारे चारागाह खत्म हो गए। मेरे घर में भी 22 एकड़ कृषि भूमि के अलावा चारागाह थे, वे चारागाह तोड़ दिये गए। आज हमारे पशु के लिए कहीं पर भी चारा उपलब्ध नहीं है। यह अभियान इस देश की सरकारों ने चलाया, मैं इसे गलत रास्ता मानता हूँ। यह दूसरा गलत कदम था।

तीसरी बात, जो 10 साल वर्ष 1985 से 1995 में हुआ, आप उसे बंजर भूमि कहते हैं, मैं बंजर भूमि समिति का वर्ष 1996 में सदस्य रहा हूँ, उसके कारण मैंने भ्रमण किया। मैं एक आँकड़ा सिर्फ एक लाइन में कहना चाहता हूँ। वर्ष 1996 में इस देश में जितनी बंजर भूमि थी, उस समय हम हरियाणा और पंजाब भी गए थे, अगर हम उसको दुरूस्त करना चाहते तो एक एकड़ के ट्रीटमेंट के लिए उन दिनों 60 लाख रूपए चाहिए थे। जो इस देश के अन्दर उपलब्ध बंजर भूमि थी, अगर उसका ट्रीटमेन्ट करते और उसी दिन बंजर भूमि बनना रूक जाती, जो कि असम्भव काम है, तब भी इस काम में 70 साल लगते।

हम बंजर भूमि के ट्रीटमेंट के लिए 60 लाख रूपए खर्च करने की बात करते हैं, अब तो उसका खर्च बढ़ गया होगा, लेकिन जब किसान को मुआवजा देने का मौका आता है तो पाँच लाख रूपए देने के लिए किसान को शीर्षासन कराया जाता है, उस पर गोलियाँ बरसायी जाती हैं। यह तीसरी गलत नीति थी। मैं मानता हूँ कि बंजर भूमि रूकनी चाहिए थी, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि जल प्रबन्धन हमारे विकास के कारण हो, नहरों के कारण हों, मैं देश के उस जिले से आता हूँ, जो एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि है, वह मेरी जन्मस्थली नरसिंहपुर है। वहाँ पर काली मिट्टी है। अगर उसकी लाइनिंग नहीं होगी तो वहाँ पर सॉल्ट आ जाएगा। मैं जान सकता हूँ, क्योंकि, मैं नर्मदा के किनारे का रहने वाला आदमी हूँ, कि जमीन की कीमत क्या होती है, जमीन बनती कैसे है? खेती के लायक एक इंच जमीन की कीमत क्या होती है, मैं इस बारे में जानता हूँ।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो चौथा चरण वर्ष 1995 के बाद में सरकार ने चलाया, भूमि प्रशासन का, किरायों का बाजार मूल्यों का, लैन्ड रिकॉर्ड का, यह तो इस देश में सबसे पहले होना था। उस समय आप याद कीजिए, जब देश आजाद नहीं था, राजा टोडरमल ने कैसे इस देश की जमीन को नाप दिया। देश की आजादी के बाद आज भी किसान के सामने भूमि जोत के सही आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1991 में जो बन्दोबस्त इस देश के भीतर हुआ, मैं दावा करता हूँ कि उसमें 70 फीसदी राजस्व के मामलों को सिर पर लाद दिया। मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। हम दो भाई हैं, तीसरा आदमी बन्दोबस्त में शामिल हो गया, हमको आठ साल बाद पता चलता है कि मेरी जमीन में किसी तीसरे आदमी का नाम भी घुस गया है। आप कम्प्यूटर युग कहिए, कोई भी युग ले आइये, लेकिन गाँव का किसान अपनी बही निकालता है, जब उसे जरूरत पड़ती है। बही को हर दिन वह पलटकर रूपए की तरह

नहीं देखता है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि चाहे सीलिंग एक्ट हो, जो हमने जापान और कोरिया की नकल की थी, उसका परिणाम है कि आज हिन्दुस्तान का किसान इस बात का दुःखद परिणाम भुगत रहा है।

महोदय, मैं आपसे बड़े आग्रह के साथ कहूँगा कि जो भी कमजोर वर्ग है, जिनको भी सरकार ने जमीनें बाँटकर दीं, क्या वे उन पर काबिज हो पाये, क्या उन्हें कब्जा मिल पाया? जिस जोत की आज हिन्दुस्तान में बात होती है, मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा, मैं देश में मजदूरों के बीच में काम करता हूँ। शुद्ध खेती से हमारे घर में पैसा आता है, मेरा कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। मैं तीन पीढ़ियों से जानता हूँ और इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पाँच एकड़ का काश्तकार अगर असिंचित है तो वह आज मजदूर से भी कम पैसा कमाता है। अगर घर में चार मजदूर हैं तो वे 800 रूपये दिन में लेकर आएंगे, मगर पाँच एकड़ का काश्तकार कभी 22 रूपए से ज्यादा प्रति व्यक्ति कमा नहीं सकता है। मैं यह जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। एक होती है आँकड़ों की बाजीगरी और एक होता है दिल का दर्द, जिसे हम भुगत रहे हैं।

दूसरी पीढ़ी में, जहाँ पर हम सम्मान के साथ अपने गाँव में रहा करते थे, मेरी पीढ़ी आज वहाँ मजदूरों से बुरी हालत में है। लाज बचाने के लिए घर के भीतर हम क्या बर्ताव करते हैं और बाहर क्या करते हैं, इससे बड़ा दूसरा छद्म रूप हमारा हो नहीं सकता है। यह सच्चाई है। इसलिए हम जमीन बेचकर अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाकर, रिश्वत देकर उसे नौकरी कराने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता है।

16.00 hrs

एक बात सामने आई कि मंदिरों और भूदान की जमीन को गरीबों में बांट दिया जाये, ऐसी सिफारिशों को मानने के लिए हमें तैयार नहीं होना चाहिए। मंदिरों की जमीन पर तालाब बने हैं या दूसरे सार्वजनिक हित के काम किए गए हैं। इस आयोग की रिपोर्ट में यह आपत्तिजनक बात है। हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। कर्नाटक की जिन योजनाओं के बारे में उसमें बताया गया है, उन्हें दुरुस्त करने की बात की गई है, मैं उनका भी समर्थन करता हूं।

मैं इसी सदन में गोरक्षा का संकल्प लेकर आया था, तब मैंने आंकड़े दिए थे और वे आंकड़े जरूर इस देश के सामने आने चाहिए। आज पशुधन की स्थिति ठीक नहीं है। वर्ष 1953 में 1000 लोगों पर 435 पशु थे, वर्ष 1961 में 1000 लोगों पर 436 पशु थे, वर्ष 1971 में 1000 मनुष्यों पर 326 पशु थे। वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर 1000 लोगों पर 278 पशु थे। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर अनुमानित 1000 लोगों पर 216 पशु थे, वर्ष 1993 में 1000 लोगों पर 176 पशु थे, वर्ष 2003 में 1000

लोगों पर 124 पशु थे। मैं यह रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि मेरा संकल्प इस सदन में पारित है, लेकिन सरकार उसको लेकर नहीं आई है।

16.01 hrs **(Shri Ramen Deka *in the Chair*)**

सभापति महोदय, आज चारागाहों की स्थिति क्या है? चारागाह दिनों-दिन घटते जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम अपने पशुओं को बचाएंगे, बिना पशुओं के खेती नहीं हो सकती है और जो आज परिस्थिति बनी है उसमें बैल का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। अब बैल का उपयोग नहीं होता है, इसलिए वे सड़कों पर रहते हैं और कसाइयों के दरवाजे पर जाते हैं। हम ट्रैक्टर के भरोसे हैं। हमने खेती को अपने हाथों से नष्ट किया है। एक दिन बालियान जी कह रहे थे कि हम क्यों उस पर विचार नहीं कर सकते हैं, हम क्यों अधिकारियों की बातों में आते हैं? अगर हम ऐसा सीमन लेकर आएं जो यहां पर मादा पशुओं को प्रजनन दे ताकि हम उनके वंश की वृद्धि कर सकें। यह बात कोई अधिकारी नहीं कह सकता है। बालियान जी यहां मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गाय और भैंसों के लिए मादा पशु होंगे तो भविष्य में प्रजनन में सुविधा होगी और वे उन्नत किस्म के होंगे। हमारे देसी जो भी नस्लें हैं उनको भी बचाए रखने का काम हमें करना पड़ेगा। वर्ष 2003 से लेकर 2007 तक के आंकड़े हैं। वर्ष 2003 में 4.2 मिलियन टन के अन्तर से थे लेकिन वर्ष 2007 आते-आते 63 मिलियन टन का फर्क चारागाहों में हो गये। हमें जो चाहिए वह नहीं है। ...(व्यवधान) यह आंकड़ा इसी समिति का है।

सभापति महोदय, जैविक खेती की बात आती है तो मेरे क्षेत्र में सोयाबिन अफलन की स्थिति का शिकार हुयी है। चना और सूरजमुखी में अफलन क्यों हो रहा है? हम जिस प्रकार से दुनिया के लोगों के बीज ले रहे हैं, हमने तो उनके लिए कोई तैयारी नहीं की है कि हमें उनका कोई नुकसान उठाना पड़ेगा, हमने उनके जिन्स के बारे में कोई चिन्ता नहीं की है। उसका परिणाम है कि हम अपने बीज की कीमत से तीन गुणी अधिक कीमत पर उन्नत बीज लेते हैं। जब वह फलता नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी कहीं नहीं है। हमारे लिए कोई कोर्ट नहीं है, हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम बीज बोते हैं, खाद डालते हैं और हम मेहनत करते हैं, फिर भी हम उसके सामने फटे कपड़े लेकर खड़े होते हैं,उसकी कल्पना कोई नहीं करता है। जैविक खेती की रक्षा कौन करेगा? आज भी कुछ किसान हैं जो अपने बच्चों का पेट काटकर देसी बीजों को अपने यहां सुरक्षित किये हुये हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनकी मदद करें जो वास्तव में पुरानी बीजों को संरक्षित कर बचा रहे हैं। आप उनको बाजार मूल्य से 10 गुणा अधिक पैसा दीजिए ताकि वे उन उन्नत बीजों की संख्या बढ़ा सकें। आप ऐसा काम करिए। मैं यह नहीं मानता हूं कि सारे अधिकारी अच्छा नहीं सोचते हैं, वे अच्छा सोचते होंगे लेकिन जमीन पर काम करने वाली की नीयत साफ होनी चाहिए, जो पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान)

मैं पशु क्रान्ति के बारे में कहना चाहता हूं कि किसान के बच्चों को पॉलट्री रोजगार दे रही थी, वह बहुत बड़े रोग की शिकार हुयी है। ऐसी चाहे बकरियां हों चाहे दीगर जानवर हों, मैं समझता हूं पशुधन है। जो भी हमारे जैविक क्रान्ति के संकट हैं, उन पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। मैं बड़े दुख के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

इस सदन में किसानों के बारे में ऐसी ही चर्चाएं होती हैं और इतने ही लोग चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि यही चित्र है, जिसने खेती को इस चौराहे पर लाकर खड़ा किया है। मुझे लगता है कि इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। सदन में इतनी बड़ी संख्या होगी लेकिन अगर खेती पर बात करनी है तो कभी ऐसे अवसरों पर दूसरी जगह पर बहस होनी चाहिए जहां जिम्मेदारी के साथ बात की जा सके। मैं नहीं मानता कि इतने कम समय में कभी ऐसे गंभीर विषयों पर बात हो सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सभापति जी, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की ओर से डा. स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिकमैंडेशंस दी हैं, उन पर सहमति जताता हूं।

आप जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ, उस समय इस देश में 'उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखत चाकरी' की बात चलती थी। आज कृषि क्षेत्र लाभकारी नहीं रहा। कृषि से जीडीपी में हिस्सा 56 प्रतिशत से घटकर आज 11 प्रतिशत रह गया जबकि इस पर 60 प्रतिशत से ज्यादा लोगों की निर्भरता है। इस बारे में हमें सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम पिछले 3-4 महीने की ग्रोथ रेट देखें तो देश की 5 से 7 प्रतिशत है जबकि कृषि का केवल 3.7 प्रतिशत है। ऐसे क्यों हो रहा है? इस देश में जब अनाज की एमएसपी तय होती है, अगर हम पिछले सात वर्षों का देखें तो धान की फसल का खरीद मूल्य 560 से 1200 के करीब हुई, गेहूं के मूल्य 640 से 1285 रुपये हुए किन्तु इस समय में धान की लागत 150 प्रतिशत बढ़ी, गेहूं की 90 प्रतिशत बढ़ी, फर्टिलाइजर की 90 प्रतिशत बढ़ी, ऑटोमोबाइल की 120 प्रतिशत बढ़ी। इसलिए किसान कर्जे में डूबा हुआ है। जो पिछले आंकड़े आए हैं, उनके अनुसार इस देश में 72 हजार से भी ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की है। किसान कर्जे में है। पंजाब देश के केन्द्रीय भंडार में 60 प्रतिशत से ज्यादा अनाज देता है। देश की भुखमरी दूर करने में, ग्रीन रैवोल्युशन लाने में पंजाब के किसान का अहम हिस्सा रहा है। आज वहां का किसान भी खुदकुशी करने लगा है। वहां 89 प्रतिशत से अधिक किसान आज कर्जे में हैं। हरियाणा के 80 प्रतिशत से ज्यादा किसान कर्जे में है। इसलिए किसानी को लाभकारी धंधा बनाने के लिए सरकार को डा. स्वामीनाथन द्वारा दी गई रिकमैंडेशन पर अमल करना चाहिए।

दुख की बात है कि पहले भी बहुत से फार्मर्स कमीशन बने, बहुत सी रिकमैंडेशन्स यहां आईं, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ बल्कि उसका उल्टा हुआ। जैसे स्वामीनाथन जी ने कहा कि कृषि क्षेत्र की लागतों का 50 प्रतिशत अधिक उसमें जोड़कर मूल्य तय करने होंगे। सिंचाई कृषि के लिए बहुत अहम है, यहां बिजली, सड़कों को इन्फ्रास्ट्रक्चर में लिया गया है लेकिन जिस कृषि के लिए सिंचाई की बहुत जरूरत है, उसे इन्फ्रास्ट्रक्चर में नहीं लिया गया। सिंचाई को इन्फ्रास्ट्रक्चर में लेना चाहिए। आज सिंचाई बहुत महंगी हो गई है। पानी की सतह नीचे जा रही है। धरती से पानी निकालना बहुत महंगा पड़ रहा है। खर्चे बढ़ रहे हैं। वर्षा का पानी बर्बाद हो जाता है। अगर वर्षा के 70 प्रतिशत पानी को संभाला जाए तो सिंचाई सस्ती हो सकती है, खेती आगे बढ़ सकती है। जैसे माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना लाई गई है, मैं समझता हूं कि इस पर अमली रूप में स्ट्रैस दिया जाना चाहिए। इसमें बारिश के पानी को संभालने के लिए स्कीम जल्दी बनाकर सारे देश में चलाई जानी चाहिए, ताकि किसानों को सस्ती सिंचाई की सुविधा मिल सके, जिससे खेती हो पाए। नेचुरल केलेमिटी से बचाव के लिए सब जगह इंश्योरेंस की

स्कीम है। किसान के लिए कोई इंश्योरेंस की स्कीम नहीं है, अगर है तो उसमें कंडीशंस ऐसी लगाई जाती हैं, उसके मापदंड ऐसे रखे जाते हैं, जैसे सूखा पड़ा, सारे देश में सूखा पड़ा, तीन किस्म का सूखा था, जहां कोई फसल नहीं रोपी गई, उनको भी थोड़ा बहुत मुआवजा दे दिया गया, एक जिन्होंने फसल रोप दी, लेकिन सूखे की वजह से वे उसे संभाल नहीं पाए, उनको भी मुआवजा दे दिया गया। मगर जहां बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा, उन्होंने फसल भी रोप दी और संभाली भी। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है, जहां सबसे कम बारिश हुई, सबसे ज्यादा फसल हुई, क्योंकि, वहां जेनरेटर और डीजल इंजन के द्वारा खर्चा किया गया, उनको मुआवजा नहीं दिया गया, क्योंकि, यह उनके पैरामीटर में नहीं आता, इसलिए कमाने वाले का ध्यान रखना चाहिए। पिछली सरकार ने किसानों का 72 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था, उसमें कंडीशन लगाई गई कि जो डिफॉल्टर्स होंगे, उनका कर्जा माफ किया जाएगा।

पंजाब के लोग कभी डिफॉल्टर नहीं होते, वे कर्ज उतारने के लिए और कर्ज ले लेते हैं। सबसे ज्यादा पर एकड़, पर फैमिली, पर मैन पंजाब में किसान के ऊपर कर्ज है। मगर उनको कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए प्रदेशों की स्थिति को देखकर केन्द्र की सरकार जो नीति तय करती है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। कृषि के जो सहायक धंधे हैं, पशुपालन, फिश फार्मिंग इसको इंडस्ट्री घोषित किया जाना चाहिए। औद्योगिक रूप में इनको जो सहूलियत मिल सकती है, वह देनी चाहिए। सहायक धंधो को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। अब पर एकड़ भूमि कम हो रही है, स्मॉल फामर्स और मार्जिनल फॉर्मर्स की गिनती इस देश में 82% होगी और 10 करोड़ 76 लाख के करीब लोग ऐसे हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इसीलिए लोग किसानी से दूर जा रहे हैं, लोग लैंडलेस होते जा रहे हैं, यह एक सोशल प्रोबल्म भी बनती जा रही है। बेरोजगारी की प्रोबल्म भी बनती जा रही है। सरकार की ओर से इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जिस धंधे में 60% लोग निर्भर हों, अगर उसको विशेष रूप से मदद नहीं दी जाएगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी। मेरे मित्र पटेल जी ने सही कहा था कि एक समय था, जब किसी लड़की का पिता 10 एकड़ वाले किसान के पुत्र के साथ अपनी लड़की का रिश्ता कर देता था। आज एक छोटी सी दुकान करने वाले को वे प्रिफर करते हैं, इस देश की किसानी की यह दशा है।

डॉ. स्वामीनाथन जी ने जो सिफारिशें की हैं, इस पर अमल भी होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। जो मूल्य तय करने की नीति है, इसमें प्रदेशों की सरकारें, खास तौर पर जो प्रदेश अनाज पैदा करता है, उनको शामिल करना चाहिए, किसानों के रिप्रजेन्टेटिव इसमें होने चाहिए। जो ब्यूरोक्रेटस हैं, वे क्या गिनते हैं, एग्रीकल्चर में जो लेबर काम करती है, उनको अनस्किल्ड लेबर गिनते हैं, जबकि जो किसान खेती करता है उससे बड़ा स्किल्ड लेबर कोई नहीं हो सकता। आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए पी.एच.डी. किए हुए जो डॉक्टरेट की डिग्री लिए हुए हैं, इनको खेत में ले जाइए, उससे ज्यादा जो प्रेक्टिकल तौर पर

किसानी का काम करता है, वह जो सुझाव देगा, वह खेती उत्पादन के लिए अच्छा होगा। कृषि क्षेत्र में जो काम करने वाले लेबर हैं, उनको स्किल्ड लेबर के तौर पर माना जाए। उसे स्किल्ड लेबर के तौर पर मूल्य मिले, ताकि उचित मूल्य किसान को मिल पाए, जिससे खेती लाभकारी बन पाए। डॉ. स्वामीनाथन जी ने जो सिफारिशें की हैं, इसमें मैं समझता हूं कि जो पैरामीटर्स हैं, केन्द्र की ओर से एग्रीकल्वर सैक्टर को बढ़ाने के लिए, प्रदेशों की स्थिति देखकर, वहां की परिस्थितियों के अनुसार केलेमिटी का कम्पन्शेसन देना चाहिए, जहां कर्ज काफी के लिए बात है, ताकि देश आगे बढ़ पाये, देश की किसानी आगे बढ़ पाये। ऐसा कहा जाता है कि यह अर्थव्यवस्था की धुरी है। अगर धुरी ही टूट गयी, तो अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ पायेगी? इस धुरी को कायम करने के लिए, मैं समझता हूं कि स्वामीनाथन जी ने जो रिकमेंडेशन्स दी हैं, वे बहुत अच्छी हैं और उन पर अमल करने की जरूरत है। धन्यवाद।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : माननीय सभापति महोदय, मेरे साथी माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी ने यहां जो बातें कहीं, उनसे मैं बहुत सहमत हूं। इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेज इस देश में आये। पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी आई, फिर अंग्रेज आये। वे तो अंग्रेज थे, विदेशी शासक थे, लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस देश में जो शासक आये, दुर्भाग्य से उनमें ज्यादातर लोग, चाहे वे शासक थे, राजनेता थे या उस समय हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी, वे सब वेस्टर्न कंट्रीज में एजुकेटेड लोग थे। उनका न तो किसानों के घरों से संबंध था और न ही उन्हें कृषि नीति के बारे में कुछ मालूम था, इसलिए इस देश में कृषि नीति का विनाश, मैं उसे विनाश कहूंगा, देश की आजादी के बाद से ही शुरू हुआ।

देश की आजादी के बाद जो कृषि विश्वविद्यालय बनाये गये, जो कृषि नीति शुरू की गयी, कृषि रिसर्च का माहौल बनाया गया, वह सब अमेरिकन सहयोग से किया गया। हमारी जो एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटीज आयीं, वे सब अमेरिकन सहयोग से बनायी गयीं। उसके पीछे क्या उद्देश्य था, अगर किसी को यह उद्देश्य पढ़ना है, मैं निवेदन करूंगा कि प्रो. सुसेन जार्ज, एक अमेरिकन महिला, एक प्रोफेसर ने यह किताब लिखी है और उस किताब का नाम है "How the other half dies". इस देश की कृषि को किस तरह से बर्बाद किया जाये, इसके लिए यहां के एग्रीकल्चर कोर्स बनाये गये, कैरिकुलम बनाये गये। जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट्स थे, टीचर्स थे, उनके द्वारा अमेरिकन यात्रा की गयी, वह आज भी उसी प्रकार से चालू है। यह इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि 350 मोलेक्यूल्स, जिसे हम पेस्टीसाइड्स कहते हैं, भारत ने एक भी मोलेक्यूल को आज तक डेवलप नहीं किया। सारे अमेरिकन मोलेक्यूल्स हमारे देश में आते हैं और हमारी यूनीवर्सिटीज के पढ़े हुए एग्रीकल्चर वैज्ञानिक कहते हैं कि अमेरिकन मोलेक्यूल्स हमारे देश की धरती के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने आज तक एक भी मोलेक्यूल फेल नहीं किया, क्योंकि, उसके लिए उन्हें पैसा मिलता है। मैंने इस बारे में नियम 193 के अन्तर्गत बहस करने के लिए नोटिस दिया है। जब प्रहलाद सिंह पटेल जी बोल रहे थे, यह दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े सदन में जब खेती पर डिस्कशन होता है तो इतने कम लोग सदन में रहते हैं। कुछ लोग इसलिए बैठे हैं, क्योंकि, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 65 प्रतिशत लोग केवल खेती पर निर्भर करते हैं। मैंने एक दिन कहा था कि बिना खेती और बिना किसान के एक भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता। सौ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, लेकिन जब कृषि की बात आती है तो उस पर न तो कोई बात करने के लिए तैयार है और न ही कोई उस पर बहस करने के लिए तैयार है, इसलिए देश की कृषि नीति आज भी एडहॉकिज्म पर चल रही है।

हम डॉ. स्वामीनाथन की बात करते हैं। मैं डॉ. स्वामीनाथन की सभी संशोधित रिकमेंडेशन्स से सहमत नहीं हूं। उसकी एक बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से डॉ. स्वामीनाथन का आयोग बना, उसमें कितने लोग ऐसे थे, जिनका किसान से डायरेक्ट संबंध था? यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कृषि मंत्रालय में ब्यूरोक्रेट्स, जो कृषि नीति की बातें करते हैं, जो मैकेनाइजेशन की बातें करते हैं, जो टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, उन्होंने हजारों-लाखों वर्षों से, हमारे किसानों ने जो सीखा था, वे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वे कितनी अच्छी खेती करते थे। हमने उसे खत्म कर दिया, पशुधन खत्म कर दिया। हम छोटी-छोटी बातों पर बोलते हैं कि हमें मैकेनाइजेशन करना चाहिए, हमें फर्टिलाइजर लाना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि हमारे बागपत में सभी नदियां जहरीली बना दी गयीं। हमारी सारी जमीन को पेस्टीसाइड्स डालकर जहरीली कर दिया गया। हमने उस पर कोई रिसर्च नहीं की। इस देश में गोबर से अच्छा कोई खाद बन सकता है, गाय-बैल से अच्छी कोई खेती कर सकता है, लेकिन उस पर रिसर्च नहीं हुई। आज हम जिसे मिनिमम वेज़ेज ऐक्ट कहते हैं, क्या डा. स्वामीनाथन ने किसानों के लिए वह मिनिमम वेज़ेज ऐक्ट लगाया है? एक किसान के परिवार के सभी लोग काम करते हैं, उसके बच्चे काम करते हैं, किसानों के यहाँ सर्दी के मौसम में बिजली रात के दो बजे आती है तो कोई इस बात को सोचता है, वह उसी समय खेत में जाता है। यदि हम एक टैक्सी वाले को लेकर दिन में यहाँ से आगरा जाना चाहें तो हो सकता है वह दो हजार रुपए ले, लेकिन जब उसे हम रात के बारह बजे जाने को कहेंगे तो वह पाँच हजार रुपए मांगेगा। जब किसान रात को खेत पर जाकर दो बजे रात को मेहनत करेगा तो डा. स्वामीनाथन ने जो मिनिमम वेज़ेज ऐक्ट है, उसे उसके लिए नहीं लगाया। हमारी क्या नीति है? हमारी जितनी मंडियां बनीं, जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जाते हैं, वहाँ पर भी मीडिल मैन बन गये। हमने जिसे किसानों के लिए बनाया था कि इससे किसानों का हित होगा, वहां वे डायरेक्ट जाकर बेचेंगे, वहाँ भी दलाल तैयार हो गये। यदि किसान लुटता है तो केवल किसान लुटता है, क्योंकि हमने किसानों की एहमियत ही नहीं दी। जिस देश में किसान राजाओं का राजा होता है, जिस देश के अंदर किसान खुशहाल नहीं होता, वह देश कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। हम लोगों ने केवल इतना ही सोचा। आज हमारी कृषि देश की जी.डी.पी. को केवल 14 या 15 प्रतिशत योगदान देती है। इसलिए इसे केवल 14-15 प्रतिशत महत्व दिया जाए। हम लोगों ने दूसरे सेक्टर्स को इतना ज्यादा महत्व दिया, जिसे हम कहते हैं- टैम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन खेती के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया गया। मैं तो आज केवल इतना ही निवेदन करूँगा, क्योंकि, मैं इस विषय पर

बहुत ही विस्तार से बोलने वाला हूँ। इस देश में कैसी कृषि नीति हो, इस देश में किस प्रकार से किसानों का भला हो इसके लिए मैं तो सरकार से यही निवेदन करूँगा कि डा. स्वामीनाथन ने जो रिक्मेंडेशंस दिये हैं, वे भी सही मायने में सब प्रकार से ठीक नहीं हैं। उससे किसानों का हित होने वाला नहीं है। उसको रिव्यू किया जाए और जल्दी से जल्दी शॉर्ट टर्म और लांग टर्म पॉलिसीज बनाई जाएं, ताकि किसानों का हित हो सके।

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति जी, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब हरे-भरे खेतों के लिए जाना जाता था। मैं 'था ' इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि, आज जो किसानों की हालत है, वह बद-से-बदतर हो गयी है। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी जब इलेक्शन कैम्पेन कर रहे थे तो उन्होंने देश में दौरे के समय लगभग हर भाषण में कहा कि हम एम.एस.पी. में 50 पर्सेंट की वृद्धि करेंगे। लेकिन अभी जो एम.एस.पी. बढ़ायी गयी है, वह दो या चार पर्सेंट बढ़ी है, जबकि महंगाई की दर आठ पर्सेंट बढ़ती है। किसान का तो कोई चांस ही नहीं है कि वह अपने जीवन-स्तर को थोड़ा ऊँचा उठा सके। छः लाख करोड़ के आसपास कॉरपोरेट सेक्टर को डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट सब्सिडी दे दी गयी। यदि इसका दस पर्सेंट भी किसानों के लिए रख लिया जाता तो किसानों का कुछ भला हो जाता।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खुदकुशियों की ओर दिलाना चाहता हूँ। खुदकुशियाँ क्यों हो रही हैं, क्योंकि, फसलों के भाव नहीं मिल रहे हैं, पानी का स्तर पंजाब में इतना नीचे चला गया कि ट्यूबवैल्स लगाना किसानों की पहुंच से बाहर हो गया। जो नदी, नालों का पानी है, वह प्रदूषित पानी उसमें डाला जाता है, उसमें काले रंग का पानी आता है जो कैंसर बांटता है। वह राज्य जिसका नाम पानियों पर था- पाँच आब, पाँच दरिया, उसका पानी आज पीने लायक नहीं है और सिंचाई के लायक भी नहीं है। पहले अंग्रेज कालेपानी की सज़ा देते थे, लेकिन पंजाब के किसानों को हमारी सरकारें ही कालेपानी की सज़ा दे रही हैं। फसल बीमे के रूप में जो मुआवज़ा मिलता है, उसका तरीका यह है कि 144 यूनिट बनाये हुए हैं। 12 हजार से ज्यादा गांव हैं, लगभग 90 गांव एक यूनिट में आते हैं। यदि आपको मुआवजा लेना है, कोई बेमौसमी बरसात हो गयी या ओले पड़ गये तो कम से कम 35 से 40 पर्सेंट नुकसान होना चाहिए, यानी कम से कम 35 से 40 गांवों का नुकसान होना चाहिए तब मुआवज़ा मिल सकता है। मैं कहता हूं कि 90 गांवों को यूनिट नहीं मानना चाहिए, बल्कि हर गांव को यूनिट मानना चाहिए।

कई बार ऐसा होता है कि गांव की एक साइड में बेमौसम बरसात हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं और दूसरी साइड बच जाती है तो उसको आप मुआवजे में यूनिट नहीं मानेंगे, उसे कुछ नहीं मिलेगा। जो मुआवजा मिलता है, वह एक किस्म का मजाक होता है। सरकारों की तरफ से कभी किसानों को 26 रुपये, 13 रुपये या 15 रुपये के चेक दिए जाते हैं। जब एम.एस.पी. या फसलों के भाव तय करते हैं तो राज्यों से मांगा जाता है कि कितने रुपये में एक एकड़ जमीन पट्टे पर ली जाती है। पंजाब सरकार ने यह जानकारी दी है कि पंजाब में एक एकड़ जमीन 13 हजार रुपये में पट्टे पर मिल जाती है, यह बात गलत है। मैं खुद खेती करता हूं, आजकल 50 हजार रूपये से कम में एक एकड़ जमीन मिल ही नहीं सकती है। उसके आधार पर एम.एस.पी. 13 हजार रुपये बना दी जाती है। हालत यह है कि नए ट्रैक्टर बिकने आते हैं, पंजाब

में ट्रैक्टरों की मंडी लगती है। उसमें बिल्कुल नए, ब्रांड न्यू ट्रैक्टर्स बिकने आते हैं। असल में वहां ट्रैक्टर नहीं बिकने जाते हैं, किसान खुद बिकने आते हैं। उनको कहीं से भी कर्ज नहीं मिलता है, बच्ची की शादी करनी है या बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो रहा है तो वे कहते हैं कि जमीन के नम्बर दे दो और नया ट्रैक्टर ले लो। महंगे से महंगा ट्रैक्टर ले लो और पांच-छः दिन बाद मंडी में वह ट्रैक्टर दो-ढाई लाख रुपये के घाटे पर कैश में बेच दो, इस तरह से हमारे पास पांच-छः लाख रुपये की नगदी आ जाएगी और उससे बेटी की शादी कर लेंगे। मेरे अपने गांव में आज से 15 से 20 साल पहले जो बड़े-बड़े ट्रैक्टरों वाले जमींदार होते थे, दुख से कहना पड़ रहा है कि आज उनमें से दो-तीन लोग साइकिल पर सब्जी बेचने को मजबूर हैं। जो बड़े जमींदार कहलाते थे, वे आस-पास के शहरों में सुबह लेबर चौक पर खड़े होते हैं कि हमें मजदूरी पर ले जाओ, उनकी यह हालत हो गयी है। मैं अपने गांव की बात बताता हूं, एक किसान को अपनी बेटी की शादी करनी थी। उसे कहीं से कर्ज नहीं मिल रहा था। एक दिन वह कर्ज लेने के लिए शहर गया और 50 हजार रुपये लेकर आ गया। उससे उसने बेटी की शादी कर दी। दो महीने बाद वह बीमार हो गया, जब उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो डाक्टरों ने पूछा कि तुम्हारी एक किडनी कहां है? जब घर वालों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि बेटी की शादी के लिए मैं जो पैसे लेकर आया था, वह कर्ज नहीं था, मैंने अपनी किडनी बेची थी। किडनी बेचकर किसान शादियां कर रहे हैं। पंजाब का वह किसान, जो पूरे देश का पेट पालता था, आज खुद भूखे पेट सोने के लिए मजबूर है। सरकारों की तरफ से खेती को बचाने के लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं किए गए।

मैं आपके माध्यम से यह बात सदन में रखना चाहता हूं कि पंजाब के किसानों को बचाने के लिए योजनाएं बनाई जाएं, क्योंकि, जो रस्से बैल के गले में डालने के लिए थे, जो घुंघरु-घण्टी बांधने के लिए रस्से थे, वे किसान के गले का फन्दा बन चुके हैं। आज हालत यह है कि किसानों के बेटे विदेश जा रहे हैं। उसके लिए वे अपनी मां की बालियां बेच देते हैं या फिर जमीन बेच देते हैं और ट्रैवल एजेंट्स के पास चले जाते हैं। इराक में पंजाब के पांच हजार से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब हालत यह है कि पंजाब की हालत इराक से भी बदतर है। हमारे मां-बाप कह रहे हैं कि इराक में जाकर काम कर लो। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि कृषि मंत्री ऐसी योजनाएं बनाएं कि पंजाब दुबारा रंगला पंजाब बन सके। आज पंजाब में गिद्धा-भांगड़ा नहीं होता, आज पंजाब में कैंसर, ड्रग्स, हेपेटाइटिस-सी जैसी बीमारियां होती हैं, छोटी उम्र के बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं। पानी पीने के लायक नहीं है। किसान को बचाने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि इम्मिडिएटली ऐसे कदम उठाए जाएं, जिससे उनको फसलों के दाम मिल सकें, किसानों के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके, ताकि आगे चलकर खेती पर उनकी निर्भरता कम

हो, वे किसी अन्य तरीके से कमाने लायक बन सकें। एक क्रांतिकारी शायर संतराम उदासी ने पंजाबी में एक शेर लिखा है:

"बोहला विच्चों नीर वगिआ, लिया तंगली नसीबां नूं फरोड़िए तूड़ी विच्चों पुत जगिया।"

इसका मतलब है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि पंजाब के किसान को बचाने के लिए जितने भी एफर्ट्स हो सकते हैं, पार्टी लेवल से ऊपर उठकर, राजनीत से ऊपर उठकर करने चाहिए।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, यह प्रस्ताव मूलतः स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से संबंधित है। जो इस प्रस्ताव के प्रस्तुत करने वाले थे, उन्होंने इस पर काफी गंभीरतापूर्वक, विस्तार से और आंकडों के साथ चर्चा की थी। जब महताब जी बोल रहे थे तो उन्होंने काफी विस्तार से इसके बारे में बातें बताई हैं। माननीय प्रहलाद पटेल जी ने गांव, गरीब, किसान और मजदूर के दिल की वेदना की कहानी बताई। मैं एक बुनियादी प्रश्न की ओर जाना चाहता हूं। हिंदुस्तान में जितने किसान आयोग बनते हैं, क्या किसान उस आयोग का वास्तविक प्रतिनिधि होता है? कृषि वैज्ञानिक होना एक बात है और किसान वैज्ञानिक होना दूसरी बात है। भारत में कृषि की उन्नति तभी होगी, जब कृषि वैज्ञानिक से निकलकर खेती के फ्रंटलाइन डैमोस्ट्रेशन्स या जितने काम लैब टू लैंड चलते हैं, उन सभी अनुसंधान संस्थानों का काम, कृषि वैज्ञानिक के हाथों से निकाल कर, किसान वैज्ञानिक के हाथों में चला जाए। आप किसानों को ट्रेनिंग देते हैं तो उनकी भाषा, वेश-भूषा, संस्कार, संस्कृति, मानसिकता, बौद्धिकता को समझे बगैर ट्रेनिंग देते हैं। हम उन्हें मैकेनाइज्ड, साइंटिफिक ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनकी पहुंच वहां तक नहीं होती है।

भारत के किसानों ने अन्न का उत्पादन बढ़ाया है। वर्ष 1990-91 में अनाज का उत्पादन 176.49 मिलियन टन था, जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 260 मिलियन टन हुआ। वैज्ञानिक चाहे अपनी पीठ को जितना भी थपथपा लें, लेकिन यह योगदान भारत के सीमांत किसानों का है। हमारे किसानों ने कम से कम वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया, अपनी अक्ल से खाद का इस्तेमाल किया और वह अपने परिवार के साथ खेत में सड़ा है, गला है, तपा है, मरा है और उसने अपने परिश्रम से भारत के अनाज भंडार को भरकर आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। लेकिन कभी भी पद्मश्री या पद्मभूषण की उपाधि किसी किसान को नहीं दी गयी। वह इसलिए क्योंकि वह निर्धन है, निर्बल है। उसने परम्परागत तरीकों से भारत की कृषि में जो उन्नति की है, उसका विकास किया है, दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। एक तरफ परम्परागत तकनीक है तो दूसरी तरफ मॉडर्न और साइंटिफिक तकनीक है, दोनों में कहीं मेल नहीं है। भारत के किसान के लिए अपग्रेडेशन, मॉडिफिकेशन एंड मॉडरनाइज़ेशन ऑफ ट्रेडिशनल टैक्नॉलॉजी जरूरी है। परम्परागत तकनीक को अपग्रेड कीजिए, मॉडर्नाइज कीजिए और तब जाकर उसे नया बनाइये। हमारे धर्म-शास्त्रों ने कहा है कि विशिष्टीकरण का सामान्यकरण और सामान्य का विशिष्टीकरण, जिसपर विवेकानंद जी ज्यादा जोर देते थे। जो सामान्य जन के पास विज्ञान है, उस विज्ञान को विशिष्टता प्रदान करना और जो विज्ञान की विशिष्टता है, उसे सामान्य करके जन-साधारण तक

पहुंचाना, यही असली विज्ञान है और यह विज्ञान अगर कृषि क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है तो उस अनुसंधान का कोई महत्व नहीं है।

वर्ष 1951 में भारत में 71.09 प्रतिशत किसान थे, लेकिन वर्ष 2011 की कृषि जनगणना के मुताबिक भारत में किसान की संख्या 45.01 रह गयी है। हमारे 26.08 प्रतिशत किसान अब गायब हो चुके हैं। कहां चले गए, खोजना चाहिए। जब खोजने लगते हैं तो खेतिहर मजदूर वर्ष 1951 में 28.01 प्रतिशत था, जो बढ़ कर के वर्ष 2011 में 54.09 प्रतिशत है, वह 26.08 प्रतिशत बढ़ा है। 26.08 प्रतिशत किसान घटा और 26.08 प्रतिशत खेतिहर मजदूर बढ़ा। इसका मतलब जितना किसान घटा है, उतना किसान खेतिहर मजदूर हुआ है। जिसका दादा सौ एकड़ जमीन जोतने वाला था, पचास एकड़ जमीन जोतने वाला था, उसका पोता सीमांत किसान बन गया और जो बड़े-बड़े उद्योगों में थे, जो सामान्य थे, आज वे अरबपति, खरबपति और विश्वपति बन रहे हैं। कितना अंतर है कि उद्योग व्यापार चलता है, घोड़े की चाल से और खेती चलती है कछुए की चाल से? क्या दोनों में कभी मुकाबला हो सकता है? क्या दोनों की गति में कभी बराबरी हो सकती है? नहीं हो सकती है। पैसा कितना दिया जाता है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की सरकार ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए योजना का 0.56 प्रतिशत दिया है। 12वीं योजना में 0.70 प्रतिशत दिया है। एक प्रतिशत राशि भी योजना में से नहीं दी गयी है। जब अनुसंधान के लिए पैसा ही नहीं जाएगा तो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में या अनुसंधान केन्द्र में बैठ कर क्या करेंगे? तम्बाकू खाएंगे, ताश खेलेंगे, वैज्ञानिक औरतें स्वेटर बुनेंगी, क्या करेंगे वे, जब आप उनको अनुसंधान के लिए पैसा नहीं देंगे? इसलिए वैज्ञानिकों को पूरे साधन मिलने चाहिए। कृषि कॉलेजों को पूरे साधन मिलने चाहिए। कृषि और सहकारिता विभाग को 11वीं योजना में 1.92 प्रतिशत दिया गया। 12वीं योजना में 1.98 प्रतिशत दिया गया। उसी तरह से पशुपालन और मत्स्य पालन है, 11वीं योजना में 0.37 प्रतिशत और 12वीं योजना में 0.70 प्रतिशत दिया गया।

मैं सदन में यह बात रखते हुए भारत की सरकार से मांग करता हूं कि कृषि विकास पर जोर देना आपका लक्ष्य है। हमारी जनसंख्या गांवों में बसने वाली है। वर्ष 1951 में 82.07 प्रतिशत थी और वर्ष 2011 में यह 68.08 प्रतिशत हो गयी है। 14 प्रतिशत गांव का आदमी कहां चला गया। गांव का आदमी जो खेती करता था, किसानी करता था, वह शहर में आ गया है। रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, मजदूरी करता है, फुटपाथ पर सोता है, पेड़ के नीचे सोता है, इस पेड़ के नीचे के परिवार वाले की उस पेड़ के नीचे के परिवार वाले से शादी होती है। वह पेड़ के नीचे जन्मता है, बढ़ता है, सोता है, शादी करता है, पेड़ के नीचे हनीमून मनाता है, पेड़ के नीचे बच्चा पैदा करता है, वह बच्चा फिर पेड़ के नीचे बढ़ता है और फिर वहीं

अपनी जिंदगी गुजारता है। यह उस किसान के शहर में आने का दुष्परिणाम है। क्या हम उसे बचाने का काम कर सकते हैं? किसी आयोग का ध्यान इस ओर नहीं गया है।

महोदय, मैं दो बातें कह कर समाप्त कर दूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसीलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हिन्दुस्तान में 751 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र में न जमीन है, न साधन है, न उपकरण है, कुछ नहीं है। इनको पूरी तरह से मजबूत करने का काम किया जाए। सीमांत किसानों की संख्या 64.77 प्रतिशत है और लघु किसानों की संख्या 18.52 प्रतिशत है। कुल मिलाकर 83.29 प्रतिशत किसान, लघु और सीमांत हैं। ये छोटे किसान हैं। इनकी उन्नति कब होगी? इसलिए मैं भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि बजट को बढ़ाइए, राशि को बढ़ाइए।

अंत में एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में कृषि भूमि वर्ष 1990-91 में 185.2 मिलियन हेक्टेयर और वर्ष 2011-12 में 182 मिलियन हेक्टेयर हो गयी। खेती की जमीन घटती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यह कहां का नियम है? तेल कम होता जाए और नाच बढ़ता जाए, ऐसी मिथिलांचल में कहावत है। खेती की जमीन कम है और जनसंख्या का भार ज्यादा है। इसलिए किसान की हालत यह है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि खेती की उपजाऊ जमीन को उद्योग से बचाया जाए। कारखानों से बचाया जाए और उस जमीन को खेती लायक रहने दीजिए। अगर आपको उद्योग लगाना है, आप झारखंड, ओडिशा और आन्ध्र प्रदेश में चले जाइए जहां बंजर तथा पथरीली भूमि है, वहां कारखाना लगाइए, आदिवासी इलाके में लगाइए।, वहां कारखाने बनेंगे, विकास होगा, सड़कें बनेंगी, फ्लैट बनेंगे, दुकानें बनेंगी और उन गरीबों का कल्याण होगा।

अंत में, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि चूंकि भारत की विभिन्न योजनाओं में गांवों के गरीब किसान कहीं पर नहीं हैं, उनका कहीं स्थान नहीं है, उनका कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए उनकी बातें कहीं पर नहीं रखी जाती हैं। बड़े लोग ए.सी. में बैठकर योजनाएं बनाते हैं। गांवों की झोंपड़ियों में अगर योजनाएं बनेंगी तब गांधी जी का दर्शन पूरा होगा, तब भारत का कल्याण होगा। इसलिए मेरी विनती है कि एक नया आयोग बनाया जाए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिर गांव, गरीब किसानों के हित में नयी सिफारिशें आएं, उनको भारत की सरकार लागू करे। गांवों, गरीबों के उत्थान की तरफ जब भारत सरकार का ध्यान जाएगा, तभी भारत का सच्चे अर्थ में विकास होगा। मैं नरेन्द्र मोदी जी की उस दृष्टि को धन्यवाद देना चाहता हूं तथा मेरा अनुरोध है कि उस दृष्टि का कार्यान्वयन जल्दी हो। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, time on this Resolution was extended by one hour when further discussion on the resolution was taken up today. As the extended time is now over, and there are still many more Members to speak on this Resolution, we may further extend the time for two hours. I do hope the House will agree.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : माननीय सभापति जी, मैं इस रिजोल्यूशन के बारे में कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की आज़ादी के 67 वर्षों में जो किसानों का शोषण हुआ, उनको जो लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दिया गया, इसके बावजूद भी भारत के किसानों ने देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा कृषि पर आधारित है। मैं मानता हूं कि कोई जमाना था जब भारत की कृषि का जीडीपी में 65 प्रतिशत योगदान था जो आज घटकर 14 प्रतिशत हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के किसानों ने 2,68,000 करोड़ रुपये का कृषि उत्पादन दूसरे देशों में भेजा है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि क्लाइमेट एक्सचेंज के अन्तर्गत जो वार्ताएं दुनिया के अंदर चल रही हैं चाहे जो अभी दोहा में चलीं, लीमा और पेरू में कल परसों तक चल रही थीं लेकिन भारत ने अपने किसानों की रक्षा के लिए जो कदम इन वार्ताओं के अंदर उठाए हैं, बड़े बड़े पश्चिम के देशों का, बड़े बड़े यूरोप के देशों का दबाव भारत ने नहीं सहा।

जब तक हम अपने देश के किसानों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर लेते तब तक हम किसी भी दबाव के सामने झुकने वाले नहीं हैं फिर चाहे वह देश कितना ही अमीर क्यों न हो। हमारे जो भी प्रतिनिधि दुनिया के सम्मेलनों में गये, उन्होंने पूछा कि जब आप भारत के किसानों के लिए खाद पर सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं, उनकी फसलों पर सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं, आप एमएसपी के ऊपर जो सब्सिडी खत्म करना चाहते हैं, अमरीका, चाइना तथा यूरोप के देशों से पूछा गया कि क्या आपने अपने किसानों के लिए सब्सिडी बंद कर दी, तो फिर भारत को ही बार बार क्यों निशाना बनाया जाता है? 18-11-2004 को स्वामीनाथन आयोग बना था। जिसने चार-पांच रिपोर्ट्स दीं और उनके आधार पर किसानों के हक में उन्होंने कुछ निर्णय लिये। हम उन सब निर्णयों को धीरे-धीरे लागू करने के लिए अपने देश के अंदर वातावरण बनायेंगे, ताकि हमारा किसान अपने पांव पर खड़ा हो। आज भारत के अंदर जी.एम. क्राप्स को भी अंधाधुंध तरीके से लागू करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में भी भारत ने दुनिया के देशों से टकराव मोल लिया कि जब तक जी.एम.क्राप्स, जो हमारे भारत की भूमि है, जो हमारी सॉइल है, पहले हम उसे वहां टैस्ट करेंगे कि वह हमारे भूमि के मुताबिक फिट बैठती है या नहीं, तब उसके बारे में विचार किया जायेगा। हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन पश्चिम के कुछ देश, यूरोप के कुछ देश अगर अपने देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जी.एम.क्राप्स को हमारे ऊपर थोपना चाहेंगे तो भारत किसी भी कीमत पर उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के अंदर स्वदेशी का जागरण भी चल रहा है। जो जहरीले खाद बाहर से आए, इन्होंने हमारी मिट्टी की स्थिति बिगाड़ दी, इन्होंने हमारे पर्यावरण के हालात को बिगाड़ दिया। हमारे देश का किसान अब चाहता है कि हमारा पेस्टिसाइड जैविक आधार पर

बने, वह नीम से बने और इस प्रकार की बहुत बढ़िया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो नीम से बनने वाली खाद है, वह भारत के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो रही है। भारत ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर 1,34,746 करोड़ रुपये खर्च करने का जो टारगेट रखा है, हम चाहते हैं कि अभी जो हमारी सरकार आई है, जैसे-जैसे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जायेगी, हम चाहेंगे इसके अंदर और बढ़ोतरी की जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन पर 12,350 करोड़ रुपये, बागवानी पर 15,974 करोड़ रुपये, तिलहन पर 3,507 करोड़ रुपये, सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाओं पर 13,034 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय कृषि के विस्तार के लिए हिंदुस्तान के छः लाख गांवों के अंदर कृषि क्षेत्र का ढांचा बढ़ाने के लिए, एक जाल बिछाने के लिए अपने हिंदुस्तान के किसानों को मजबूत करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, इस क्षेत्र में नई-नई प्रोद्यौगिकी का उपयोग करने के की बात है।

माननीय सभापति : कटारिया जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रत्न लाल कटारिया : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 63,246 करोड़ रुपये रखे गये हैं। यह पैसा किसानों पर खर्च होगा, उससे उन्हें अपने खेतों में अपनी भूमि का स्तर बढ़ाने में, सिंचाई के साधन बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो नदियों को जोड़ने की योजना बनाई, चूंकि आज भी हमारे देश की जो कृषि भूमि है, वह अधिक मात्रा में सिंचित नहीं है। उसी मिशन को लेकर हमारे प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने बीड़ा उठाया है कि हिंदुस्तान की जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं, उनको जोड़कर हम आने वाले समय में अपने भारत के किसान के हर खेत को सिंचित करने के लिए इस प्रकार की एक योजना बनायेंगे, जिससे हमारा किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

महोदय, मैं हरियाणा से आता हूं।

माननीय सभापति : कटारिया जी, आपने पांच मिनट मांगे थे।

श्री रत्न लाल कटारिया : मुझे बस एक मिनट और दे दीजिए।

माननीय सभापति : आपने पांच मिनट मांगे थे, पांच की जगह आठ मिनट हो गये हैं, अब आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री रत्न लाल कटारिया : मान्यवर, मैं हरियाणा के अम्बाला लोक सभा क्षेत्र से चुन कर आता हूँ। मैंने पिछले दस वर्षों में यूपीए शासन के अंदर हरियाणा के अंदर देखा। मैंने कांग्रेस के पिछले दस वर्षों के शासन के अंदर देखा कि किस प्रकार का भद्दा मज़ाक वहां के किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के लिए आठ-आठ आने के चैक दे कर, एक-एक रूपये का चैक दे कर, उनके साथ किया गया। इससे बड़ी मिसाल कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। मैंने वहां के मुख्य मंत्री जी से एक बार पूछा था कि आप जो यह आठ-

आठ आने के चैक भेज रहे हैं, दो-दो रूपये के चैक भेज रहे हैं, कम से कम इतना ही बता दीजिए कि किसान तक पहुंचाने के लिए प्रति चैक खर्च कितना आ रहा है? एक चैक के ऊपर ही पांच-छह रूपये तक का खर्चा हो जाता है। इस प्रकार से पिछले वर्षों में किसानों की सेवा की गई। इस प्रकार से किसानों को अपने पांवों पर खड़ा करने की योजना बनाई गई।

आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अधिकांश जो विचार आए हैं, वे स्वामीनाथन आयोग को ले कर आए हैं। मुझे आज सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी भी लोग विश्वास करते हैं कि पुरानी खेती की जो विधि थी, उसको अपना कर हम स्वावलंबी हो पाएंगे। क्या सोचते हैं कि अगर हम आज हल चला कर खेती करें तो हम स्वावलंबी हो जाएंगे? आज अगर उसी तरह रहट की खेती करें तो क्या हम स्वावलंबी हो जाएंगे? आवश्यकता इस बात की थी कि खेती को भी विज्ञान के साथ जोड़ा जाए।

मुझे वह दिन स्मरण है, जब भारतवर्ष में अनाज का बहुत बड़ा संकट आया था। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में एक सैनिक होने के नाते मैं भी शामिल था और तत्कालीन प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना के लिए भी कहा था कि एक वक्त का खाना सोमवार को छोड़ दीजिए। हमारे यहां भोजन की इतनी दिक्कत थी? नई टैक्नॉलोजी आई, नया बीज आया और हमारे किसान ने मेहनत की, सरकार ने सहयोग दिया तो इतना अन्न पैदा किया गया कि हम स्वावलंबी भी हो गए और अनाज को बाहर भेजने की स्थिति में भी आ गएए। अगर हम वहीं उस हल की खेती पर चलते रहते और एक एकड़ में दो-तीन क्विंटल पैदा करते रहते तो यह देश कभी भी स्वावलंबी होने वाला नहीं था। मुझे तकलीफ इसी बात की है। हमें समझना चाहिए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है क्या? उसको पढ़ना चाहिए? उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया है कि अगर किसान को उसकी उपज का सही दाम देना है, तो उस उपज का सही दाम देने का तरीका क्या होगा। हम अभी तक क्या करते थे? हम देखते थे कि खाद की कीमत इतनी बढ़ गई, सिंचाई की कीमत इतनी बढ़ गई और यहां पर आयोग बना हुआ है, सिफारिश कर दी, सरकार ने उसकी घोषणा कर दी। लेकिन स्वामीनाथन जी चूंकि एक वैज्ञानिक थे, कृषि से जुड़े हुए थे, कृषि में उनकी आस्था थी, उन्होंने कहा कि यह तरीका सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जमीन के रूप में उसकी जो पूंजी लगी हुई है, उसका भी आंकलन कीजिए। उसका जो श्रम है, अपनी मेहनत है, उसका भी आंकलन कीजिए। तब किसान को खेती की उपज का दाम आप दीजिए। इसमें गलती क्या है? मान्यवर गलती कहां हुई। इसमें दो फैक्टर्स हैं, जिन पर विचार करना चाहिए। एक तो सरकारों का कुशासन। जो सरकारें रहीं, चाहे प्रदेश में रही हों, अगर उन्होंने इस बात के ऊपर विचार किया होता, चाहे वे गांधी जी रहे हों, सरदार पटेल रहे हों, चौधरी चरण जी रहे हों, जो आज किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। हरेक ने कहा कि जमीन से बोझ कम कीजिए। अगर आज चार आदमियों का परिवार है तो कल दस आदमियों का हो जाएगा, तो दस आदमियों का गुजारा उस खेती से नहीं हो पाएगा। सारे के सारे लोग खेती में लगाएंगे तो कहां से पैदावार हो जाएगी, इसलिए जमीन का बोझ कम

कीजिए। छोटे उद्योग लगाइए, इन बच्चों को, जो परिवार बढ़ता जा रहा है, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसको लघु उद्योग की तरफ ले जाइए। तब जा कर किसान स्वावलंबी हो पाएगा। उस तरफ तो ध्यान दिया नहीं गया।

हमारे पूर्व वक्ता यादव जी बोल रहे थे, बड़ा भावुक उनका भाषण था। वे कह रहे थे कि जमीन के ऊपर, पेड़ के नीचे और पेड़ के ऊपर किसान रहता है। सोचना तो इस बात को चाहिए कि यह स्थिति आई क्यों? वे ऐसे ही रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकारों को कोशिश यह करनी चाहिए थी कि छोटे उद्योगों के माध्यम से रोज़गार के अवसर बढ़ाते, ताकि किसानों के बच्चों को केवल उस दो एकड़ जमीन के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बाकी लोगों को छोटे उद्योगों में जाना चाहिए था, उत्पादन करना चाहिए था और जमीन का बोझ कम करना चाहिए था। सोचने की बात तो वह थी। उधर सोचा नहीं गया। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, सारी बातों का विस्तार से उसमें विशलेषण किया गया है। उसको मान कर कार्यरूप देना चाहिए और उसको आगे ले कर चलना चाहिए। आज आवश्यकता किस बात की है? यह तो कहना बहुत आसान है कि बाहर से ज़हर आ गया, खाद आ गया। खाद अगर न आता, अगर रासायनिक खाद इस्तेमाल न करते तो क्या पैदावार बढ़ जाती? गलती तो अपने आप की कि हमने किसान को आगाह नहीं किया कि उसका सन्तुलित उपयोग कैसे किया जाए, बैलेंस - वे में उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए? पंजाब की क्या हालत हुई? पंजाब ने इतनी ज्यादा उपज पैदा की और बिना भेदभाव के इतना ज्यादा खाद उसमें इस्तेमाल किया कि जमीन को तो खराब होना ही था। निराशा की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि, कभी पंजाब और हरियाणा इस देश के सबसे बड़े उत्पादक थे, लेकिन आज राजस्थान आगे बढ़ रहा है, आज मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। गेहूं के उत्पादन में आज मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया है। अच्छी तरह के गेहूं की क्वालिटी में भी और उपज में भी। उन्होंने शुरूआत इस बात से की कि उन्होंने सिंचाई के साधन दिए, राजस्थान ने सिंचाई के साधन दिए, जहाँ कभी बिल्कुल रेत पड़ा रहता था, आज वह हरा-भरा हो गया, उन्होंने इजरायल की टेक्नोलॉजी को अपनाया। आवश्यकता तो इस बात की थी कि जो नयी-नयी तकनीकें खेती की आ रही हैं, सिंचाई की आ रही हैं, किसान को हम पूर्णतया अनुदान देकर उन तकनीकों पर ले जाएँ।

हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और हमारा मुकाबला पंजाब और हरियाणा से ही खेती के मामले में होता है। हम भी पिछड़ जाएंगे, अगर हम नयी टेक्निक पर नहीं आएंगे, क्योंकि, पानी की कमी तो होती ही जा रही है। आज ड्रिप इरीगेशन आ जानी चाहिए थी, एक-एक बूंद पानी की कीमत होनी चाहिए, फसल को उतना पानी मिलेगा, जितनी उसे आवश्यकता है। कंप्यूटराइज्ड सिंचाई का साधन होगा। ओपन

कैनाल सिस्टम से सिंचाई जो आज भी भारतवर्ष में हो रही है, दुनिया इसके ऊपर हँसती है कि भारत आज भी वहीं का वहीं है। नहरें चल रही हैं, पानी भाप बनकर उड़ रहा है, जमीन के नीचे जा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। कोशिश यह होनी चाहिए कि नये आधुनिक विचारों के साथ, नई वैज्ञानिक विधि से और जो हमारे सम्मानित नेताओं ने, चाहे बापू महात्मा गाँधी हों, चाहे सरदार पटेल हों या चौधरी चरण सिंह हों, जो विधि उन्होंने बतायी थी कि जमीन के ऊपर से बोझ कम करके छोटे-छोटे उद्योग लगाइए, ताकि खेती के ऊपर, जमीन के ऊपर बोझ कम हो। आज मैं भारतवर्ष के किसानों को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने उपज में नया कीर्तिमान बनाकर सारी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत का किसान वैज्ञानिक सोच का भी है, मेहनती भी है और ईमानदारी के साथ फसल पैदा कर सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे माननीय सदस्य महताब साहब बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, बड़े विश्लेषण से उन्होंने कहा, मैं उनकी सब बातों का समर्थन करता हूँ।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदय, मैं राजू शेट्टी जी द्वारा लाये हुए रेजोल्यूशन का समर्थन करते हुए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मेरे पहले के जितने वक्ता थे, भर्तृहरि महताब साहब, प्रहलाद सिंह पटेल साहब, हुक्मदेव बाबू, हुकुम सिंह जी, सत्यपाल जी और कटारिया जी, उन्होंने अपनी-अपनी बातें कहीं। इस देश के हालात ये हैं कि हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, खासकर इस पार्लियामेंट में मैं हमेशा देखता हूँ। मेरा पार्लियामेंट का यह छठा साल है, शिक्षा की बात आएगी तो सबको शिक्षा एकदम से दे देनी चाहिए, पैसा है या नहीं है, इसके लिए चर्चा शुरू हो जाती है। स्वास्थ्य सेवा सबको दे देनी चाहिए, कैसे स्वास्थ्य सेवा देनी चाहिए, इसकी कोई बात नहीं होती है। गाँव के लोग बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं और जब गाँव, गरीब और किसान की बात आती है तो सारी पार्लियामेंट एक साथ एकत्रित हो जाती है कि गाँव, गरीब और किसान की बात करनी है। जो इस देश की बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में लोग, अभी जैसे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, उत्पादन लागत जितनी है, उसका 50 परसेन्ट से ज्यादा दे देना चाहिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि दे देना चाहिए, लेकिन उसी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, जिसे हुकुम सिंह साहब कह रहे थे। एक-दो रिपोर्ट्स नहीं हैं, पाँच रिपोर्ट्स हैं और पाँच रिपोर्ट्स में वे जिक्र करते हैं कि जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वे 11.5 परसेन्ट हैं। जो सब-मार्जिनल होल्डिंग्स है, जिनके पास मैक्सिमम एक एकड़ जमीन है, ज्यादा से ज्यादा एक एकड़ जमीन है, उस तरह के 40 परसेन्ट लोग हैं। जो मार्जिनल होल्डिंग्स है, मतलब जिनके पास दो एकड़, ढ़ाई एकड़ जमीन है, उस तरह के 20 परसेन्ट लोग हैं। 40 परसेन्ट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं।

<u>16.59 hrs</u> **(Shri Hukum Singh i*n the Chair)***

अभी मैडम सीतारमण जी यहाँ बैठी हुई हैं, लड़-झगड़कर आई हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी और मैडम सीतारमण जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी। उस देश में आपको कैसा लगता है, जब सीमान्त किसान 85 परसेन्ट हैं, गरीब आदमी 85 परसेन्ट हैं। वह जो पैदा करता है, साल भर तक उसको खा पाने की स्थिति नहीं होती है। यदि आप चाहते हैं कि इतना दाम बढ़ा दें, किसी फूड का दाम बढ़ा दें, पैडी का दाम बढ़ा दें, राइस का दाम बढ़ा दें, सारी चीजों का दाम बढ़ा दें तो आप गरीबों को मार देना चाहते हैं।

यदि इस बारे में कोई बात करने आएगा तो कहते हैं कि यह कारपोरेट की बात करता है, यह किसान की बात नहीं करता है। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैं गांव का लड़का हूं और दो रुपए

बचाने के लिए पैदल तीन किलोमीटर चलकर स्कूल जाया करता था। वहां से आज मैं संसद में पहुंचा हूं। मैं गांव, गरीब और किसान की बात समझता हूं। यदि किसान की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, तो इस देश में एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है। संविधान बनाने वालों ने क्या सोचा कि एग्रीकल्चर को राज्य सब्जेक्ट बना दिया, लेकिन इससे संबंधित पालिसी सैंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और खेती प्राइवेट लोगों के पास है। आप देखें कि कितना ज्यादा मिस मैच है। हम संसद में चर्चा भले ही कर लेते हैं क्योंकि पालिसी यहां से बनती है लेकिन यह विषय कनकरेंट लिस्ट में भी नहीं है। जब भी यहां प्रश्न किया जाता है तो कहा जाता है कि राज्य से बात कीजिए। एग्रीकल्चर विभाग और इंटर मिनिस्टीरियल विभाग में कोई कार्डिनेशन नहीं है। स्वामीनाथन जी कहते हैं कि देश में चार रेवोल्यूशंस की आवश्यकता है। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता है, जिसकी बात हुकुम सिंह साहब कह रहे थे कि एक समय था वर्ष 1980-82 तक हम लोगों को खिलाने के लिए पैसा नहीं था। यहां कामर्स मिनिस्टर बैठी हुई हैं, जब भी भारत मार्केट में जाता है, उसे राइस लेना है, पैडी लेना है, अरहर लेना है या कोई अन्य सामान लेना होता है तो अपने आप इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइज़ बढ़ जाती है क्योंकि लोगों को लगता है कि अब उस चीज के दाम बढ़ने वाले हैं। उस स्थिति में जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने " जय जवान, जय किसान " का नारा दिया और जिसकी बात आपने कही कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने " जय किसान, जय जवान और जय विज्ञान " की बात कही, तो आज हमारा देश इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि उसे आज मार्केट में केवल पल्स के अलावा या आयल सीड के अलावा बहुत ज्यादा चीजों को लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये उसी सीमांत किसान के कारण हुआ है और इसीलिए किसान बधाई के पात्र हैं। आज किसान के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह सोचने की बात है।

ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमें वाइट रेवोल्यूशन चाहिए, जिसके बारे में बात हो रही थी कि मवेशी कम हो रहे हैं। इसके साथ हमें ब्लू रेवोल्यूशन की आवश्यकता है कि मछली देश में कैसे पैदा की जाए। चौथा येलो रेवोल्यूशन है जिसमें पाल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं जैसे मुर्गी या मटन आदि आते हैं। इसके अलावा पिंक रेवोल्यूशन जैसे हमारे यहां सेब बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। इन सभी रेवोल्यूशंस की आज हमारे देश में आवश्यकता है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि देश में बहुत कमीशन बनते हैं। 19वीं शताब्दी के पहले एग्रीकल्चर देश का विषय है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता था। 1880 ईसवीं में अकाल कमीशन बना, फेमिन कमीशन बना। उस कमीशन को श्री आर. स्ट्रेच ने लीड किया। चूंकि भारत मानसून के ऊपर निर्भर देश है, उन्होंने बताया कि अगर दो साल यहां वर्षा होगी तो एक साल अकाल पड़ेगा। यहां मानसून कभी कंसिस्टेंट नहीं हुआ। यह संयोग है कि पिछले 15-20 साल से लगातार मानसून लगभग आ ही रहा है। इस बार भी लग रहा था कि मानसून नहीं आएगा। वर्ष 1880 में पहली बार इस देश में लोगों ने सोचा कि इस

देश में अकाल को खत्म करने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए। उसी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1879 में बोरालकर कमेटी बनी। इस कमेटी के आधार पर वर्ष 1893 से लेकर 1903 तक इर्रीगेशन कमेटी बनी कि देश भर के इर्रीगेशन के बारे में देखेगी। अब इसे भी स्टेट सब्जेक्ट बना दिया है क्योंकि कोई भी नदी या नाला एक राज्य से हो कर नहीं बहता है। यदि आप यहां वाटर रिसोर्सिस की बात करेंगे, इर्रीगेशन की बात करेंगे, तो आपको वही रटारटाया जवाब यहां मिलता है। फेमिन कमीशन की अनुशंसा और इर्रीगेशन कमीशन की अनुशंसा थी।

सभापति महोदय, फेमीन कमीशन और इर्रीगेशन कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे, उसने एक सिचुएशन पैदा किया। फिर वर्ष 1937 में जॉन रसेल की एक कॉम्प्रिहेन्सिव रिपोर्ट आयी। कृषि के लिए इंस्टीच्यूट कैसे बनेंगे, विश्वविद्यालय कैसे बनेंगे, और कृषि के स्ट्राँग और वीक एरियाज क्या हैं, वह जॉन रसेल ने इस देश को बताया। फिर पंचवर्षीय योजना लागू हो गयी। उसके बाद वर्ष 1970 से वर्ष 1976 एक नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स भी आ गया और उसके बाद यह स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आयी।

सभापति महोदय, वर्ष 1926 में एक और कमेटी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनी थी। आज से एक सौ साल पहले की वर्ष 1926 की रिपोर्ट और एम. एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को यदि आप देख लीजिए तो इन एक सौ सालों में इस देश के हालात नहीं बदले। इस देश के हालात नहीं बदले तो सीमांत किसानों के भी हालात नहीं बदले। मैंने दोनों आयोगों की रिपोर्ट्स को टैली किया। दोनों कमीशंस कह रहे हैं, जैसा प्रह्लाद सिंह पटेल जी ने कहा, कि गोचर की जमीन खत्म हो रही है, चारागाह ही नहीं हैं। उसके बारे में इस देश में कोई चर्चा नहीं है।

वर्ष 1926 की जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है, वह यह कह रही है कि उस वक्त ट्यूबवेल शुरू-शुरू आया था। यह कहा कि अब इस देश में ट्यूबवेल की संस्कृति विकसित हो रही है, लोग कुएं के बदले ट्यूबवेल्स की तरफ जा रहे हैं। अगर यही सिचुएशन रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी का जो लेवल है, वह इतना नीचे चला जाएगा कि लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। आप यह समझिए कि इन एक सौ सालों में किसी कमीशन ने, किसी रिपोर्ट ने, किसी सरकार ने उस पानी के स्तर को रोकने का प्रयास नहीं किया और आज पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। राजू शेट्टी साहब के महाराष्ट्र में आज पीने के पानी की समस्या है। फिर आप खेती को कैसे पानी देंगे? उस कमीशन ने कहा कि आप एग्रीकल्चर के जितने इंस्टीच्यूट्स खोल सकते हैं, उतने खोलिए। क्या आज़ादी के 67 सालों के बाद भी कोई एग्रीकल्चर इंस्टीच्यूट खुला? क्या उसके लिए कोई कमीशन बना? चौथी बात उसने कही कि मार्केट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की बात की, नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर की बात की, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात की। इससे पहले क्या किसी ने सोचा?

महोदय, आज मैं जिस गांव में रहता हूं, उस गांव में सबसे ज्यादा सब्जी पैदा होती है। वहां लोग पैदल तो मार्केट चले जाएंगे, लेकिन उस सब्जी को तीन-चार किलो मीटर दूर मार्केट ले जाने की व्यवस्था नहीं है।

महोदय, इसके बाद फाइनैंसर की स्थिति आती है। मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है कि वह लोगों को एक प्रतिशत, दो प्रतिशत इंटेरेस्ट पर पैसे दे रही है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि चार प्रतिशत पर दीजिए। इस पर लगातार चर्चा होती है, लेकिन हम लोग सरकार के ऊपर यह दबाव नहीं बना पाते हैं कि वहां का जो बिचौलिया है, वहां के जो महाजन हैं, उस महाजन प्रथा को हम खत्म करें। यह वर्ष 1926 की रिपोर्ट है। मैं देख रहा था कि स्वामीनाथन आयोग और रॉयल कमीशन की वर्ष 1926 की रिपोर्ट में क्या-क्या समानताएं हैं। वर्ष 1926 की रिपोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड प्रॉपर नहीं है। यह तो फैक्ट है। अगर आप स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को देखेंगे तो मात्र 10% लोगों के पास मैक्सिमम लैंड होल्डिंग है और उसी के आधार पर हम एम.एस.पी. की बात करते हैं। यदि हम उन्हें प्रॉफिट दिलाने की बात करेंगे तो उसी किसान की बात करेंगे क्योंकि सीमांत किसान तो कमाता है और साल भर तक अपने बच्चों और अपने परिवार को खिलाता है।

इसके अलावा स्वॉयल है, जिसके बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी का भी आग्रह है। पहली बार किसी सरकार ने मिट्टी की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की बात की है। गांव-गांव में मिट्टी के अलग-अलग प्रकार हैं, इस तरफ पहली बार किसी सरकार ने सोचा। उसी तरह से उन्होंने कहा कि जो क्रॉप है, उसमें सीड कौन-सा लगेगा और उन्होंने ऑयल सीड की बात की। आपको पता है कि हम सबसे ज्यादा तेल ला रहे हैं और पल्स के बारे में हमारा आग्रह है। यह बात उस कमीशन ने उस वक्त वर्ष 1926 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था।

सभापति महोदय, उसी तरह से फर्टिलाइजर की बात है। जिस वक्त यह रिपोर्ट बनी, उस वक्त हम एक किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फर्टिलाइजर लगाते थे। वर्ष 1980-81 में 100 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर फर्टिलाइजर लगता था और आज 252 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फर्टिलाइजर लग रहा है। इस फर्टिलाइजर के कारण पंजाब में क्या हो रहा है, यह आपने भगवंत मान साहब से सुना।

महोदय, एग्रीकल्चर के बारे में एजुकेशन नहीं है। अभी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर में लोगों में स्किल की आवश्यकता को नहीं समझता है। जो ग्रामीण रोजगार होने चाहिए, उसमें लेबर का किस तरह विकास होना चाहिए, उसकी इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए, आज इस तरह का कोई सवाल नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जब हम इस तरह की कोई चर्चा करते हैं, जब हम गांव, गरीब, किसान की बात करते हैं तो हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि सरकार के पास क्या संसाधन हैं, गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं, सीमांत किसान कितने हैं, अमीर किसान कितने हैं? इस देश में यदि हमें फूड सिक्यूरिटी लागू करना है, यदि हमें सबको भोजन कराना है तो उसकी क्या व्यवस्था होगी, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बार-बार जो कमीशन बने हैं, उन कमीशन ने क्या कहा है और इस कमीशन ने क्या कहा है? इसका कांप्रिहेंसिव विश्लेषण होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गांव-गरीब की बात की है। जो स्वच्छता भारत अभियान है, जो झाड़ू लगाना लोगों को बुरा लगता था, आज अंबानी से लेकर टाटा तक सोचते हैं कि यदि झाड़ू लगायेंगे तो इस देश के लिए कुछ कल्याण का काम करेंगे। उसी तरह से किसान के कल्याण के लिए काम करें।

मेरा सरकार से यही आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : सभापति महोदय, श्री राजू शेट्टी द्वारा पेश किए गए संकल्प के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि यह विशेषकर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं, उन्हें लागू करने के विषय में है। बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार यहां व्यक्त किए। खासतौर से इस समय देश में जल, जंगल और जमीन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। यह इससे जुड़ा हुआ सवाल है। जब हम किसान के बारे में बात करते हैं, किसान को सक्षम बनाने की बात करते हैं, खेती को उद्योग या धंधा बनाने की बात करते हैं तो हमारे लिए यही जल, जंगल और जमीन है। यह बहुत आवश्यक है।

इस देश के अन्दर जब भूमि सुधार आन्दोलन शुरू हुआ, सारे देश भर से विभिन्न संस्थाओं ने, खासतौर से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से और पूरे देश से लोग एकत्रित हुए। पूरे देश में कई तरह के एजिटेशंस हुए। इतनी बड़ी संख्या में इस प्रकार के आंदोलन हुए, उन आंदोलनों को लेकर कुछ संस्थायें आगे बढ़ीं, तो सरकारों के रोंगटे खड़े हो गए। हम इस बारे में विचार क्यों नहीं करते हैं कि इसका समाधान क्या होना चाहिए? भूमि सुधार आंदोलन में मैंने कुछ क्षेत्रों को देखा है। हमारे कुछ साथियों ने कहा है कि जो पड़त भूमि है, कभी उसके बारे में हमने चिन्ता नहीं की है। कई बार राज्य सरकारों ने कहा कि इसे गरीबों को दे दिया जाए, इन वर्गों को दे दिया जाए, दलितों को दे दिया जाए या भूमिहीन परिवारों को दे दिया जाए। केवल यह कहने से इसका रास्ता नहीं निकलेगा। किसान को अगर हमें सक्षम बनाना है तो वास्तव में कानून में बदलाव करना पड़ेगा और इसके बारे में बेसिक तौर से सोचना पड़ेगा। यह बहुत आवश्यक है। वास्तव में ये जो आंदोलन होते हैं, ये इन्हीं क्षेत्रों में होते हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो यह परिस्थिति हमारे देश में पैदा हो रही है, इसको कहीं न कहीं आज रोकने की आवश्यकता है। आज इसकी जरूरत है। अगर हम इसके बारे में विचार नहीं करेंगे, तो देश में अशान्ति फैलेगी। जब अशान्ति फैलेगी तो अपने आप देश का वातावरण और माहौल खराब होगा। लोग देश को तब सही दृष्टि से नहीं देखेंगे। हम चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था किसानों के हित में बने कि कोई असंतुलन न हो। चाहे महाराष्ट्र के लोग हों, आन्ध्र प्रदेश के लोग हों, तेलंगाना के लोग हों या छत्तीसगढ़ के लोग हों, मैं इन क्षेत्रों में देखता हूं, ये ऐसे ही क्षेत्र हैं। आज बहुत सुसाइड हो रही हैं। किसान परेशान है, कितने ही लोग इस विषय को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं। हम किसानों के हित में केवल चर्चा करें और कोई रास्ता न निकालें तो ऐसी चर्चा करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। हमें वास्तव में इस विषय को लेकर सोचना पड़ेगा कि आखिर इस प्रकार की स्थिति क्यों बन रही है? उसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। भूमि सुधार के जो आंकड़े हमारे पास आते हैं, आप उन्हें दिखवाइए। इन्हें विभाग देखे, सरकार देखे कि खेती के लिए क्या रास्ता निकल सकता है। आप सामूहिक खेती करा सकते हैं, सहकारिता के क्षेत्र में कोऑपरेटिव सैक्टर को

बढ़ावा दे सकते हैं। समूह में सरकार और उन गरीबों का हिस्सा रहे, लेकिन प्रापर्टी सरकार की रहे, परन्तु हम सामूहिक रूप से इस क्षेत्र में खेती करने के बारे में विचार करें। फॉरेस्ट के अन्दर भी इस प्रकार की स्थिति बनती है। कुछ लोगों ने देश के उद्वहन सिंचाई परियोजना के बारे में कहा है। यह उद्वहन सिंचाई परियोजना भी पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर है। सरकारों ने उसे बंद करके रखा है। हम एक तरफ कृषि के क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को सक्षम बनाने की बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रावधान हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, ताकि किसान सक्षम हो सकें। मैंने वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट में देखा है। ...(व्यवधान) यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि, यह किसानों से संबंधित मामले हैं। किसानों से संबंधित ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिनके बारे में विचार किया जाना चाहिए। हम किसानों को 13.5 प्रतिशत की दर से, विद्यार्थियों को 14 प्रतिशत की दर से, मकान बनाने के लिए 10 प्रतिशत की दर से और कार खरीदने के लिए लगभग 10 प्रतिशत की दर से कर्ज देते हैं। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए कि आखिर इस प्रकार की स्थिति क्यों है।

जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय है, वह ट्राइबल क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। हमारे यहां तेलहन और दलहन की खेती विशेष मात्रा में होती है, परन्तु कुछ वैज्ञानिकों ने इसे अलग स्थानांतरित करने की बात की है। मैंने मंत्री जी से कहा है कि हम जिस बंजर भूमि की बात करते हैं, जहां पर ये पैदा होते हैं, अगर उनके बारे में लोग सोचेंगे तो हम किसानों की मदद कर पाएंगे? इस पर राजनीतिक दृष्टि से विचार नहीं होना चाहिए। वास्तव में, यह किसानों के बारे में चिन्ता का विषय है। मैं यह चाहता हूं कि इन स्थितियों में जो आयोग बनते हैं, इन सिफारिशों के बारे में भी उनको भी बताया जाये और सरकार इस पर पहल करे, मेरी इतनी प्रार्थना है। धन्यवाद।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : सभापति महोदय, श्री राजू शेट्टी द्वारा यह संकल्प कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए सरकार से आग्रह किया जाना चाहिए, यह अपने-आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। कृषि और किसानों के बारे में लम्बे समय से संसद में और संसद के बाहर चर्चा होती रही है। आज देश की 70 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है जिनमें लगभग 70 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं। यह देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि, उससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति और रोजगार जुड़े हुए हैं, उससे सरकार की कई नीतियां जुड़ी हुई हैं। इस विषय को संसद ने गंभीरता से लिया है। सभी सदस्यों ने इस विषय पर अपने-अपने मत व्यक्त किए हैं, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं।

अगर हम कृषि को 1961 से देखें तो इसकी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। वर्ष 1961 में कृषि से 75 प्रतिशत रोजगार होता था जो वर्ष 2014 में घटकर 60 प्रतिशत रह गया है। यही नहीं, पिछले 60 सालों में देश की जो आर्थिक नीति रही है, 1961 में जीडीपी का हिस्सा 60 प्रतिशत था जो आज घटकर 13 प्रतिशत रह गया है। आज देश में 31 घराने ऐसे हैं जिनका 55 प्रतिशत के करीब हिस्सा जीडीपी में है। आज देश की कृषि 60 प्रतिशत मानसून पर निर्भर करती है और 40 प्रतिशत ट्यूबवैल, अंडरग्राउंड वाटर पर निर्भर करती है। हम सब जानते हैं कि जो किसान मानसून पर निर्भर करते हैं, वे सूखे से ग्रसित होते हैं और कई बार बाढ़ की वजह से भी परेशान होते हैं। आज किसानों की लागत मूल्यों की बात करना बहुत आवश्यक है। ऐसी स्थिति क्यों आई? खाद के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज किसान जिस समय बुवाई करता है, उस समय खाद की कालाबाजारी होती है, खाद समय पर नहीं मिलती, बीज नकली मिलते हैं और बिजली पूरी नहीं मिलती। मैं प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आज की तारीख में डीजल के दाम काफी नीचे आए हुए हैं। इससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। जहां तक एग्रीकल्चरल इनपुट्स, इम्प्लीमेंट्स की बात है, इसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट, किसानों को कृषि का मूल्य बहुत कम मिलता है। आज कृषि फायदे का सौदा नहीं रहा। गांव दिनों-दिन मजबूरी की शरणस्थली बनते जा रहे हैं। जहां तक ऋण की बात है, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि गांव विकसित हों, किसान विकसित हों, गांव के गरीब विकसित हों तो अगर किसानों का ऋण चार प्रतिशत से ज्यादा होगा तो उन्हें खेती करने में कोई फायदा नहीं होगा। आखिर में उसे खेती छोड़कर जाना पड़ेगा। जहां तक फसल बीमा का सवाल है, सिर्फ 14 प्रतिशत किसान ही इसका फायदा उठा पा रहे हैं। इसका कारण है कि पिछले 17 सालों में लगभग तीन लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में नदियों से नदियां जोड़ने की एक योजना बनी थी जिसमें माननीय सुरेश प्रभु जी को इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 5 लाख 60 हजार करोड़ रुपये से नदियों का इंटरलिंकिंग किया जा सकता है जिससे बाढ़ और सूखे से बचा जा सकता है। यही नहीं, अगर यह काम हो जाता है तो इससे 24 हजार मेगावाट बिजली बनेगी, 25 मिलियन हेक्टेयर लैंड में इरिगेशन होगी, 10 मिलियन हेक्टेयर लैंड में ग्राउंड वाटर होगा।...(व्यवधान) मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।...(व्यवधान) बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इन्हें पूरा देश सुनना चाहता है। आप मुझे थोड़ा और बोलने की अनुमति दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका एक-एक शब्द महत्वपूर्ण था। अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पी.पी.चौधरी : मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।...(व्यवधान) यही नहीं, मैं पिछली सरकार की नीति के बारे में बताऊंगा। 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये उद्योगों को प्रोत्साहन राशि दी गई, 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये इनकम में छूट दी गई, 5 लाख करोड़ रुपये से उद्योग की तरफ देखा गया, कृषि की तरफ नहीं देखा गया। अगर कृषि की तरफ देखा गया होता तो आज कम से कम 55-60 हजार किसानों को रोजगार मिल जाता और रोजगार की तकलीफ नहीं होती। उन्हें रोजगार की तकलीफ नहीं होती। एक मोटे सर्वे के तहत हम ये तकलीफें फेस करेंगे कि प्रतिदिन 50 हजार लोग गांवों से शहर की तरफ पलायन करेंगे। आज दिल्ली में ट्रांसपोटेशन, ट्रैफिक, बिजली, पानी की हालत बहुत खराब है। अगर इस हिसाब से लोग गांव से पलायन करेंगे तो गांव उजाड़ होते जायेंगे, किसान खेती छोड़ने के लिए तैयार हो जायेंगे। एक मोटे सर्वे के अनुसार 42 परसेंट किसान ऐसे हैं, जिन्हें ऑल्टरनेटिव रोजगार मिल जाये तो वे खेती छोड़ने के लिए तैयार हैं। वर्ष 2007 और 2012 के दौरान 3 करोड़ 20 लाख किसान खेती छोड़ चुके हैं और शहरों में छोटे-छोटे काम करने के लिए मजबूर हैं। शहरों में झुग्गी-झोंपड़ी कल्चर आया है, यह इसी कारण आया है। यही नहीं, अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ मैनुफैक्चरिंग में ही सब कुछ हो जायेगा, पूरे गांव पलायन करके शहर की तरफ आ जायेंगे तो पिछले दो साल में 57 लाख लोगों की मैनुफैक्चरिंग सैक्टर से नौकरी छूटी है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने अभी सांसद आदर्श ग्राम की योजना बनायी है। मुझे लगता है कि इससे इस समस्या का निराकरण होगा। गांवों से शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है, वह वापस शहरों से गांवों की ओर होगा। अगर गांव में कृषि के अलावा छोटे-छोटे उद्योग पनपेंगे और हर व्यक्ति

को रोजगार मिलेगा, तो यह पलायन रुकेगा, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार यह भी बताया गया है कि वर्ष 2015 तक 40 करोड़ लोग पलायन कर चुके होंगे। अगर हम गांव की टोटल जनसंख्या देखें, तो वह 75 हजार के करीब है। अब आप सोच सकते हैं कि हम शहरों को कैसे संभालेंगे और उन्हें कैसे हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकेंगे? वर्ष 2030 तक यह बताया गया है कि देश की 50 परसेंट जनसंख्या शहरों में रहने लगेगी। हमें यह भी बैलेंस करना पड़ेगा कि गांवों से माइग्रेशन न हो। अगर गांवों से माइग्रेशन न हो तो हमें कृषि को प्रोत्साहन देना होगा।

डॉ. स्वामीनाथन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन्स दी हैं, उन्हें लागू किया जाये, ताकि किसानों को राहत और रोजगार मिल सके और वे गांवों में ही बसे रह सकें। गांवों का विकास हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। जैसा सभी सम्मानित सदस्यों ने कहा कि देश की लगभग 70 प्रतिशत जनता आज भी कृषि पर आधारित है। हमारा नैशनल कमिशन ऑन फार्मर्स, जो वर्ष 2004 में प्रो. स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में गठित हुआ, उसने 4 अक्तूबर, 2006 को अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने समय-समय पर पांच रिपोर्ट्स दीं। उस रिपोर्ट में किसानों के समक्ष जो चुनौतियों हैं, उनका जिक्र किया है। मैं अपनी भावनाओं को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहूंगा कि नैशनल कमिशन ऑन फार्मर्स पर उन्हें टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया था। The terms of reference included - medium-term strategy for food and nutrition security, enhancing the productivity, profitability, stability and sustainability of the major farming systems, policy reforms for sustainable increase in flow of rural credit to all farmers, special programmes for dry land farming for farmers in the arid and semi-arid regions as well as for farmers in hilly and coastal areas, enhancing the quality and cost competitiveness of farm commodities so as to make them globally competitive, protecting farmers from import when international prices fall sharply, and suggest methods of empowering members of elected local bodies to discharge effectively their role in conserving and improving the ecological foundations for sustainable agriculture. आज स्थिति यह है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया, आज भी हम दुनिया के सबसे बड़े दूसरे देश हैं, जिसके पास खेती योग्य जमीन है। आज भी 179.9 मिलियन हैक्टेयर जमीन भारत में है, जो दुनिया की सैकिंड लार्जेस्ट है। हमारा एक कम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है, वह भी 3.3 पर्सेंट बढ़ रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ने भी जो कृषि विकास दर रखा है, वह भी चार प्रतिशत रखी है। जैसा कि आज हमारे साथियों ने कहा कि डा. स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है और आज उसके बावजूद एग्रीकल्चर का देश की जी.डी.पी. में एक बड़ी हिस्सेदारी थी, आज वह घटकर 14 से 18 प्रतिशत तक आ गयी है। इसमें कुछ भिन्नता हो सकती है। लेकिन लगभग बात इसी पर आ गयी है कि आज कृषि का योगदान जी.डी.पी. में कम है। आज भी कंट्री का जो वर्क फोर्स है, उसमें 50 प्रतिशत से थोड़ा ही कम रोजगार पैदा कर रहे हैं। भारत पल्सेज में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, आज हम पल्सेज में पहले नम्बर पर हैं। राइस, व्हिट में हम दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से, आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहां खेती की जो पैदावार है, जो हमसे पीछे थे, आज स्थिति यह है कि पैडी के मामले में देखें तो प्रति हेक्टेयर 2929 किलो ग्राम हम पैदा करते हैं, चाईना 6321 किलो ग्राम पैदा करता है, जापान 6414 किलो ग्राम पैदा करता है,

यू.एस.ए. 6622 किलो ग्राम पैदा करता है, इंडोनेशिया भी 4261 किलो ग्राम पैदा करता है, वियतनाम 3845 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर पैदा करता है। इसी तरह से व्हिट में देखें तो हम जहाँ 2583 किलो ग्राम पैदा कर रहे हैं, वहीं चाईना तथा यू.एस.ए. प्रति हेक्टेयर हमसे ज्यादा पैदा कर रहा है। इसी प्रकार से ग्राउंड नट हो या सुगर केन हो, सुगर केन के मामले में हम दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। आज जहाँ भारत प्रति हेक्टेयर 68012 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर पैदा करता है, वहीं चाईना 85294 किलो ग्राम और यू.एस.ए. प्रति हेक्टेयर 80787 किलो ग्राम और वियतनाम 65689 किलो ग्राम पैदा करता है। आज इस सरकार को यह चिन्ता करनी होगी कि डा. स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, हम किस तरीके, एक तरफ जो कृषि योग्य भूमि है, वह किन्हीं योजनाओं के कारण निरंतर घट रही है, चाहे टाऊनशिप के कारण। आज गांव में देखते हैं कि जहां पहले एक-दो दुकानें थीं, वहाँ पर धीरे-धीरे वहां पर पूरे गांव बसते जा रहे हैं, बाजार बसते जा रहे हैं। गांव से जिस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, उससे निरंतर यह सारा दबाव कृषि भूमि पर है। डा. स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में जो रिक्मेंडेशन दिया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा था कि prevent divergence of prime agricultural and forest land to corporate sector for non agricultural purposes. सबसे पहले तो हमें इस बात की चिन्ता करनी होगी कि कृषि योग्य भूमि को गैर-कृषि भूमि न होने दें या गैर-कृषि कार्यों में उसका उपयोग न होने दें। यदि हम किसी टैक्नोलॉजी या कृषि को हम वैज्ञानिक ढंग से करेंगे, जैसा कि हमारे सभी सम्मानित साथियों ने सुझाव दिया है, लेकिन स्वाभाविक है कि हमारे लैंड के होल्डिंग्स दिन-ब-दिन कम होते जा रहे हैं। लोगों का लगातार इंट्रेस्ट कम होता जा रहा है। इन परिस्थितियों में हमें इस बात की चिन्ता करनी होगी कि कैसे इस खेती योग्य भूमि को हम बचा सकें। कृषि योग्य भूमि को हम बचा सकते है, जैसा कि सभी सदस्यों ने कहा, मैं उसे दुहराना नहीं चाहता हूँ, आज भी हमारी खेती नेचर पर ही डिपेन्ड है। आज भी हम इरिगेशन के मामले में 30 पर्सेंट से ऊपर नहीं पहुंच पाये हैं। आज भी हम रेनफॉल के लिए प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। जहाँ प्रकृति पर हम निर्भर कर रहे हों, ऐसी परिस्थितियों में हम क्या-क्या कर सकते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम हम इस ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे। आज किसान को यह भी नही पता होता है कि उनकी जमीन के मिट्टी की हेल्थ क्या है, यदि मानव जाति को कोई समस्या होती है तो वह खुद अस्पताल चला जाता है, लेकिन जमीन के हेल्थ की जानकारी के लिए कोई कृषि विज्ञान केन्द्र हो, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटिज़ हों, वहाँ पर जो टैक्नोलॉजी लैब में है, यदि वह लैब टू लैंड में ट्रांसफर नहीं होती है तो उन्नतिशील प्रजातियों के बिना हम अपने उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते हैं। स्वाभाविक है, आज यह चिन्ता करनी होगी कि जो राष्ट्रीय कृषि विकास नीति में फोकस किया गया है,

हम उसमें पैसा भी दे रहे हैं और राष्ट्रीय विकास नीति में हम सभी राज्यों से आज कम से कम यह अपेक्षा करते थे कि एक स्टेट लेवल कमीशन बनाया जाए। वह अभी तक सेट-अप नहीं हो पाया है। राज्य लोगों के लिए कृषि से संबंधित आयोग नहीं गठित कर पा रहे हैं और हम फेडरल स्ट्रक्चर में पैसा देते चले जा रहे हैं। पिछली बार आपने देखा था कि बजट में राइस उत्पादन करने वाले राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और दक्षिण के राज्यों के लिए पैसा दिया गया, उसका उपयोग कैसे होगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में बार-बार यह बात आई कि यह चार प्रतिशत से नीचे हो। चाहे नेशनल क्रॉप लोन की बात हो, आज किसान को कितनी परेशानी किसान क्रेडिट कार्ड में होती है। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूगा कि अभी तक बैंक में खाता खुल ही नहीं सकता था जब तक कोई आपको आइडेंटीफाई न करे। हमारे जैसे व्यक्ति को भी जब बैंक में खाता खोलना होता था तो किसी से आइडेंटीफाई कराना होता था। पहली बार दुनिया में क्रांति हुई है। ...(व्यवधान)

इसलिए मैं समझता हूं कि जहां मैंने स्वाइल हेल्थ की बात की, वैसे ही किसानों की हेल्थ के लिए भी इंश्योरेंस स्कीम हो, उनको अच्छे बीज मिलें, पेस्टीसाइड्स मिलें। फर्टिलाइजर के जो कारखाने बंद हैं, गोरखपुर का कारखाना बंद है, इफ्को के चार कारखाने बंद हैं। मुझे जानकारी मिली है कि 50 हजार करोड रुपये का इनवेस्टमेंट करके हमारी केंद्र सरकार सोच रही है कि उन कारखानों को किस तरह से चलाएं और दो नए कारखाने सेट-अप करें। स्वाभाविक है कि आज किसानों को यूरिया ब्लैक में लेना पड़ रहा है। तमाम राज्यों में यूरिया के संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। एनपीके मिल गया, लेकिन किसान को आवश्यकता के सापेक्ष उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है। आपने देखा कि धान की फसल तैयार है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1360 रुपये केंद्र ने तय किए हैं, उसके बजाय उत्तर प्रदेश का किसान 850 रुपये, 900 रुपये प्रति क्विंटल में बेच रहा है। उत्तर प्रदेश के हमारे जितने भी साथी बैठे हैं, हम सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र में आज किसान को 1000 रुपये प्रति क्विंटल दाम नहीं मिल रहा है। स्वाभाविक है कि जहां एक तरफ 50 प्रतिशत लाभ की बात स्वामीनाथन जी ने की है, हम कह रहे हैं कि उसके एट पार भी हो जाए। उसको कम से कम सीड में, खाद में, पेस्टीसाइड में, इरिगेशन में जो खर्च करना पड़ता है, वही मिल जाए, इसकी वजह से लोगों का खेती से मोहभंग हो रहा है। अगर खेती की जीडीपी घटती जाएगी। ...(व्यवधान)

पिछले दिनों जो योजना आयोग था, वह यहां एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर कभी भी यह नहीं सोचता था कि किसानों की व्यावहारिक दिक्कतें क्या हैं। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने योजना आयोग को आते ही समाप्त किया और अब उन्होंने कहा है कि राज्यों को भी स्वतंत्र करेंगे, हम राज्यों को भी चाहेंगे कि प्लानिंग में उनकी भी भागीदारी हो। इस तरीके से कृषि के विकास के लिए

पॉलिसी को फार्मूलेट करने के लिए राज्यों के योगदान की बात कही है। मुझे उम्मीद है कि आज जिस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, स्वामीनाथन जी ने जो रिकमेंडेशन्स दी हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में निश्चित तौर से चाहे एक टास्क फोर्स बने या कोई आयोग बने। अब यह जरूरी है कि वर्ष 2004 और 2006 की चीजें केवल यहां सब्मिट होकर केवल सचिवालय या मंत्रालयों में न पड़ी रहें, किसानों की वास्तविकता के धरातल पर उतरे, जिससे उत्पादन बढ़े और किसान खुशहाल हों।

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Mr. Chairman Sir, I thank you for giving me time to put forward my views.

A number of very senior hon. Members have expressed their opinions on this subject. According to me, the main income of 70 per cent of the population of this country is from agriculture. So, it is important to have certain suggestions. Before giving certain suggestions, I would like to elaborate certain points.

According to the Swaminathan Committee's Report, 11.25 per cent of them are landless labourers; farmers with sub-margin holdings, that is those who are holding 0.01 acre to 0.99 acre, are 40.11 per cent and they are holding 3.80 per cent of the land; farmers with marginal holdings, that is those who are holding one acre to 2.49 acres, are 20.52 per cent and they are holding 13.13 per cent of the land; farmers with small holdings, that is those who are holding 2.50 acres to 4.99 acres, are 13.42 per cent and they are holding 18.59 per cent of the land; farmers with medium holdings, that is those who are holding five acres to 14.99 acres, are 12.09 per cent and they are holding 37.81 per cent of the land; and farmers with large holdings, that is those who are holding 15 acres and above, are 2.62 per cent and they are holding 26.67 per cent of the land. This is one aspect.

The second aspect of the Report is that, with regard to paddy, India produces 2,929 kgs per hectare; whereas China produces 6,321 kgs., Japan produces 6,414 kgs.; the USA produces 6,022 kgs. So, this is the position.

Since Independence, in spite of all our planning, we have come to a position where landless farmers and those who are having less than one acre land, who are really helping the agriculture sector, are not getting even a square meal in a day for 365 days.

Another Report says that from 1995 to 2013, 2,96,438 farmers committed suicide as they are not getting adequate price, adequate employment, etc. The most interesting aspect is that the 76 per cent of the farmers want to give up farming. This is what the Report says. This Report is given by the Government of India, and not by the Press. The sample size of this study is not very large. Just 36

households per district were chosen. The National Sample Survey Organisation and the Census Survey also pointed out agrarian crisis and increasing number of people giving up farming. It covered hundreds of thousands of respondents. So, this is the picture.

This is a State subject. We are discussing this subject in order to know how the Government of India is going to react to this. What is the future of 41 per cent of the landless labourers and the farmers who are having less than one acre of land? Around 76 per cent of the farmers are going to give up this profession. So, in this context, my suggestion is this. Already, a number of hon. Members have given their suggestions. They have explained what is what. I am not getting into those things. Simply, my suggestion is this. Can the Government at least consider giving pension to the landless labourers? It may be Rs.100 a day. The land-owners who have less than one acre of land constitute 41 per cent and they are basing their livelihood on agriculture. If the Government can give a sum of even Rs.100 a day as pension, as I told earlier, the way migration is happening throughout the country will be, I think, addressed like anything. This suggestion may be considered by the Government of India. It may be like the Old-Age Pension or this or that.

Then, I come to the Minimum Support Price. We are talking of the Minimum Support Price and how this will benefit the land-owners owing up to one acre of land as also the landless labourers. The point is that Government is increasing the MSP every year by Rs.50 or Rs.60. It is determined as per production. Some days ago, some hon. Members put a Starred Question and the Government answered that this is a State Subject; the State Government would recommend it to the Central Government. Already on 17 items of agriculture, the

Government of India considers what will be the price. Yes, it is a fact that we have to increase the price of the commodities. We welcome it. But my suggestion is this. The Government should come to the rescue of the landless cultivators as also the land-owning cultivators who have below one acre of land.

With these words, I conclude. Thank you.

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : सभापति जी, आज किसान आयोग, जिसे डॉ. स्वामीनाथन जी ने किसानों के संकट और कृषि के संकट के समाधान के लिए बनाया था, इस विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। यह विषय हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। केवल किसान या कृषि का संकट नहीं है, इसके समाधान के लिए संसद में जो चर्चा हो रही है, उसके लिए भी संकट है। इस देश की 65 फीसदी आबादी कृषि से संबंधित है और जिसका प्रतिनिधित्व संसद करती है, उस विषय पर चर्चा हो रही है और सदन में कितनी उपस्थिति है, यह भी देखने को मिल रहा है। मैं किसान हूं इसलिए मैं इस बात से निराश हूं। इस देश की सरकार नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनी है, इस बात से मैं उत्साहित हूं कि इसकी परवाह नहीं करते हुए किसानों के हित में आगे की योजना तय की है। मुझे भरोसा है कि किसानों का हित जरूर होगा।

महोदय, मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां भारत सरकार के कई मंत्री बैठे हैं और कृषि राज्य मंत्री भी बैठे हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि कृषि की समस्या, कृषि विभाग की समस्या का समाधान अगर हो सकता है तो कीजिए। कृषि मंत्रालय का नाम बदल कर कृषि या किसान कल्याण मंत्रालय किया जाए। पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम बदल कर परिवार कल्यारण मंत्रालय वर्ष 1977 में किया गया था। इससे कम से कम यह बोध तो होगा कि कृषि कल्याण के लिए है और कृषकों के कल्याण के लिए है। महोदय, समस्या एक ही नहीं है, यह आप जानते हैं। आप किसान रहे हैं और किसान की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश की असेम्बली में हमेशा चिंतित रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि कृषि की समस्या केवल कृषि मंत्रालय या किसी एक मंत्रालय से संबंधित नहीं है। जब कृषि के उत्पादन के व्यापार का सवाल आता है तो वाणिज्य मंत्रालय से उसका संबंध हो जाता है। जब कृषि मंत्रालय के अनुदान और उसके बजट का सवाल आता है तो वित्त मंत्रालय से संबंधित हो जाता है। जब कृषि के लिए सिंचाई का सवाल आता है तो जल संसाधन से संबंधित हो जाता है। जब कृषि से संबंधित सिंचाई के लिए बिजली से संबंधित सवाल आता है तो बिजली मंत्रालय से संबंधित हो जाता है। जब सब सवाल खत्म हो जाते हैं और यहां से किसी सवाल का उत्तर हम चाहते हैं तो यह कहा जाता है कि यह तो राज्य का विषय है।

संकट यह है कि कृषि मंत्रालय एक मंत्रालय क्यों नहीं हो सकता? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में कृषि का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी मंत्रालय का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भारत सरकार के मंत्रियों से मेरी प्रार्थना है कि कृषि का अलग से बजट प्रस्तुत क्यों नहीं हो सकता? रेल का अलग से बजट प्रस्तुत हो सकता है तो कृषि का अलग से बजट क्यों नहीं प्रस्तुत हो सकता? मेरा निवेदन है कि कृषि के अलग से बजट प्रस्तुत करने की योजना के विषय में विचार करना

चाहिए। संकट एक नहीं है। इस देश के साढ़े तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की। उसकी समीक्षा कभी नहीं हुई है और नरेन्द्र भाई के नेतृत्व में हमारी सरकार 6 महीने से बनी हुई है। 1991 में आर्थिक नीतियों के बनने के बाद किसानों की आत्महत्या का सिलसिला शुरु हुआ। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में इससे पहले किसानों ने आत्महत्या नहीं की। 1991 के बाद की नीतियों ने किसानों के हाल को इतना बेहाल कर दिया कि साढ़े तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पिछली सरकार के कृषि मंत्री शरद पवार जी ने उधर से कहा था कि इस देश में साढ़े तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की। यह बहुत ही दुखद है।

कृषि हमारी जीवनधारा है और इस जीवनधारा में कुछ लोग कह रहे थे कि कृषि के उत्पादन की लाभकारी कीमत स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दी है कि उसकी लागत पर पचास फीसदी का लाभ मिलना चाहिए। यही बात कृषि के मूल उत्पादन के मूल्य निर्धारण करने वाली जो सरकारी समिति है, उसने भी यही कहा है कि इससे समाज में विकृति पैदा हो जाएगी। मुझे किसान होने के नाते चिंता इस बात की है कि कृषि, खेत-खलिहान के उत्पादन का मूल्य इस देश में जब बढ़ता है तो हाहाकार मच जाता है। लेकिन कारखाने में उत्पादित चीजों का मूल्य जब बढ़ता है जब किसान उसका उपभोक्ता है तो कभी भी कानोंकान तक खबर नहीं होती है। इसी 1962 वाली संसद में डा. राम मनोहर लोहिया और उस संसद में डा. राम मनोहर लोहिया और रामसेवक यादव तथा उस संसद में दत्तोपंथेगड़ी ने बहस करते हुए कहा था कि इस देश के किसानों को जब तक उनके उत्पादन की लाभकारी कीमत नहीं मिलेगी तब तक स्वराज्य का असली सपना साकार नहीं हो सकता और गांधी जी ने भी आजादी से पहले कहा था कि इस देश का स्वराज्य का सपना तभी साकार हो सकता है जब यहां के किसानों की खुशहाली उसके परिवार में दिखेगी और खुशहाली की दिशा वह तय करेगा।

इस देश को आजाद करने के जितने किसान आंदोलन इस देश में हुए हैं, चाइना में भी इतने किसान आंदोलन नहीं हुए हैं। इसी देश में नील का किसानों ने आंदोलन किया। इसी देश में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान आंदोलन हुआ। इसी देश में गुजरात में बल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भरदोली में किसानों का आंदोलन हुआ। उसी किसान आंदोलन ने इस देश को आज़ाद करने का रास्ता दिखाया। लाभकारी कीमत के लिए जब कानून बनाने की बात आती है तो कहते हैं कि किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत जब बनेगी तो देश में हाहाकार मच जाएगा। मैं प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, बहुत लोगों ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और हमारे साथियों ने कागज देखकर आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। मैं बिना आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बता रहा हूं कि जब बैंक के राष्ट्रीयकरण का मसौदा तैयार हुआ था, उस समय बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय यह तय हुआ था कि जहां जो डिपॉजिट होगा, उसका 45 फीसदी पैसा उस

क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। बैंक के राष्ट्रीयकरण का वह मसौदा कहां गया? लेकिन मैं आज अपने प्रधान मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद प्रधान मंत्री जन-धन योजना को लागू करके इस देश में खुशहाली का रास्ता दिखाने का उन्होंने काम किया है।

सभापति जी, आज बैंकों में कौन पैसा जमा करता है, कृषि मंत्री जी आप बैंकों की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, बैंकों में पैसा वही जमा करते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, जो कारीगर होते हैं और खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर होते हैं, जिनके बच्चे खेतों में पसीना बहाते हैं और सीमा की सुरक्षा के लिए खून भी बहाते हैं, वही लोग पैसा जमा करने वाले होते हैं। आज भी कस्बों और गांवों में सबसे ज्यादा डिपाजिट बैंकों में होता है और किसानों को कर्जा देते हैं तो आप भी रिकार्ड उठाकर देख लीजिए कि सबसे ज्यादा रिकवरी अगर पैसे की होती है तो किसानों की होती है, खेतिहर मजदूरों की होती है, छोटे-छोटे लोगों की होती है। पैसे का घोटाला कौन करता है, पैसे का घोटाला वे करते हैं, जो लोग कारपोरेट के समर्थन में बात करते हैं। हजारों करोड़ रुपये का घोटाला हो जाता है, कानों-कान कोई नहीं जानता है। साठ हजार करोड़ रुपये किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया तो लोगों से कहा कि हमने बड़ा काम कर दिया, आज वे लोग यहां बैठे हैं। साठ हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया गया, उससे किसका लाभ हुआ, जो बैंकों का पैसा डूब रहा था, बैंकों का लाभ हुआ। उससे किसानों का लाभ नहीं हुआ, जो किसान पैसा जमा नहीं कर पाये, कर्जा उन्हीं का माफ हुआ, जिन किसानों ने अपना कुछ कर्जा दे दिया था, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। यह किस हैसियत से हम लोगों के सामने और हमारे जैसे किसानों के सामने बोलते हैं।

सभापति जी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर कैमिकल नहीं होता तो उत्पादन नहीं होता। इस देश की प्राचीन परम्परा को जो नहीं जानते हैं, वही इस बात को कहते हैं। हम कहते हैं कि अपने देश की प्राचीन परम्परा का अनुसंधान हमें किसने सिखाया है।

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति जी, मैं अपनी बात कहूंगा और मेरा आपसे निवेदन है कि मैं दो मिनट और बोलूंगा, मेरी किसानों की जरूरी बात है, यदि आप कहेंगे तो मैं अभी बैठ जाता हूं। लेकिन मेरा निवेदन है कि मुझे अपनी बात कहने दीजिए। यहां के किसानों को किसने सिखाया की आषाढ़ के महीने में खरीफ की खेती होती है, यहां के किसानों को किसने सिखाया कि कार्तिक के महीने में रबी की खेती होती है। वैदिक व्यवस्था में, वेदों में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं और उसके माध्यम से हमारे देश के किसान किसी कृषि

वैज्ञानिक से बहुत बड़े होते हैं। वे जानते हैं कि खऱीफ की खेती आषाढ़ में होती है, रबी की खेती कार्तिक माह में होती है।

मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। खेती के साथ जुड़ा हुआ पशुधन का मामला है। आजादी के बाद पशुओं की संख्या बहुत भारी मात्रा में घटी है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला अपना क्षेत्र है। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी दुखद समस्या भी जुड़ी हुई है। स्वामीनाथन ने इस रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं किया, केवल पशुधन के संरक्षण की बात की है, लेकिन पशुधन का संरक्षण कैसे होगा। उसने चर्चा की है कि कैमिकल खादों पर सब्सिडी दी जाती है। जब अनाज की कमी थी तो कुछ समय तक कैमिकल खादों से खेतों में हरित क्रांति के नाम पर उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था की जा सकती थी। लेकिन सदा के लिए कैमिकल खादों का प्रयोग करके इस देश को और दुनिया को रोग के बाजार में धकेलना, समाज को रोगी बनाना कहां तक तर्कसंगत है। आज क्यों आर्गेनिक खेती का चलन बढ़ाने की वकालत दुनिया में हो रही है, वह इसलिए हो रही है क्योंकि कैमिकल खादों के द्वारा पैदा किया गया अनाज रोग पैदा कर रहा है, इसीलिए आर्गेनिक खेती के विस्तार की चर्चा हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कैमिकल खादों पर इतनी बड़ी सब्सिडी दी जाती है, मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि यदि हो सकता है तो आप यह कीजिए, आज गोबर की खाद पर सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती है। यदि गोबर की खाद पर सब्सिडी दी जायेगी, पूछ लीजिए, प्रधान मंत्री जी ने गुजरात में मुख्य मंत्री के नाते गोबर बैंक की स्थापना की थी।

माननीय सभापति : माननीय वीरेन्द्र सिंह जी, अब आप खत्म कीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : हां अभी समाप्त करते हैं, लेकिन अपनी बात कहकर समाप्त करेंगे। प्रधान मंत्री जी ने गोबर बैंक की स्थापना करके गुजरात में एक नई क्रांति ला दी है। मैं इस बात को कह सकता हूं, मैं एक सदस्य की भूमिका का निर्वाह करते हुए मांग करता हूं कि हम कैमिकल खादों पर इतनी बड़ी सब्सिडी दे सकते हैं तो गोबर की खाद पर सब्सिडी क्यों नहीं दे सकते हैं। यदि गोबर की खाद पर सब्सिडी देंगे तो पशुधन की जो हत्या हो रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह रुक जायेगी, वह कानून से रुकने वाली नहीं है।

<u>18.00 hrs</u>

तब सभी लोगों के मन में यह बात आएगी कि अगर हमारे पास दूध न देने वाला पशु भी होगा, तो कम से कम हमें कुछ पैसे की तो आमदनी होगी। इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ। स्वामीनाथन की सारी रिपोर्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, जो कि हमारे घोषणा पत्र में

भी है कि लागत पर 50 फीसदी लाभकारी मूल्य मिलना ही चाहिए। इस देश का किसान केवल किसान ही नहीं है, उत्पादक ही नहीं है, वह उपभोक्ता भी है। जब तक किसान की खरीदने की ताकत नहीं बढ़ेगी, आप बाजार के समर्थकों को ऐलान कर के बता दीजिए, तब तक बाजार बढ़ने वाली नहीं है। इस देश की 75 फीसदी आबादी, जो कि किसान है, जब उसकी खरीदने की ताकत बढ़ेगी, तभी बाजार में ताकत आएगी। अगर उनकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो बाजार भी चौपट हो जाएंगे। कोई भी माई का लाल उसको रोक नहीं सकता है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि स्वामीनाथन ने किसान आयोग की रिपोर्ट में जो कहा है कि लागत पर किसान के उत्पादन का 50 फीसदी लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, उसे इस संसद को स्वीकार करना चाहिए। इस बात को मैं पुनः दोहराते हुए अपनी बता समाप्त करता हूँ।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, before the House is adjourned, I would like to say that Shri Sharad Tripathi will speak when the discussion on this Resolution resumes next time.

The House stands adjourned to meet on Monday, the 8th of December, 2014 at 11 a.m.

18.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
On Monday, December 8, 2014/Agrahayana 17, 1936 (Saka).